



विनियोग लेखे

2019-2020



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2019-2020

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xix
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण—पत्र	xx-xxi
अनुदान / विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1-7
भारित विनियोग-लोक ऋण	8-10
01. सामान्य प्रशासन	11-15
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	16-17
03. पुलिस	18-21
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	22-24
05. जेल	25-27
06. वित्त	28-33
07. वाणिज्यिक कर	34-37
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	38-41
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	42-43
10. वन	44-48
11. उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	49-50
12. ऊर्जा	51-56
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	57-68
14. पशुपालन	69-73
15. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	74
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	75-76
17. सहकारिता	77-81
18. श्रम	82-83
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	84-87
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	88-95
21. लोक सेवा प्रबन्धन	96-97
22. नगरीय विकास एवं आवास	98-104
23. जल संसाधन	105-120

	पृष्ठ
24. लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल	121-126
25. खनिज साधन	127-129
26. संस्कृति	130-133
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	134-139
28. राज्य विधान मण्डल	140-141
29. विधि और विधायी कार्य	142-149
30. ग्रामीण विकास	150-152
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	153-155
32. जनसंपर्क	156-158
33. जनजातीय कार्य	159-165
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	166-169
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	170-172
36. परिवहन	173-174
37. पर्यटन	175-177
38. आयुष	178-181
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	182-186
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	187-192
41. सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	193
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	194-196
43. खेल और युवक कल्याण	197-200
44. उच्च शिक्षा	201-205
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	206-208
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	209-212
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	213-219
48. नर्मदा घाटी विकास	220-231
49. अनुसूचित जाति कल्याण	232-235
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	236-240
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	241-243
52. चिकित्सा शिक्षा	244-250
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	251-256
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	257
55. महिला एवं बाल विकास	258-265

	पृष्ठ
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	266-269
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	270
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	271-277
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	278
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	279-281
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	282
62. पंचायत	283-284
63. अल्प संख्यक कल्याण	285-286
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	287-291
65. विमानन	292-293
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	294-296
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	297-300
68. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	301-302
69. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	303-306
70. प्रवासी भारतीय	307
71. पर्यावरण	308-309
72. आनंद	310

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	312-314
परिशिष्ट-II	शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	315

प्रस्तावना

वर्ष 2019-20 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उपशीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उपशीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत कि राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अन्तर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:-

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
 2. किसी उपशीर्ष के कुल प्रावधान में उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
 3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
- क. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत	आधिकाय
(हजार ₹ में)				
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-				
प्रभारित	1,44,32,07,48	1,42,16,52,26	2,15,55,22	
भारित विनियोग- लोक ऋण पूंजीगत-				
प्रभारित	1,48,03,33,73	1,09,33,61,93	38,69,71,80	
01 सामान्य प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	6,64,40,26	4,38,31,98	2,26,08,28	
प्रभारित	64,80,02	32,45,84	32,34,18	
पूंजीगत-				
दत्तमत	89,92,33	40,21,70	49,70,64	
02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	99,97,28	86,72,10	13,25,18	
03 पुलिस				
राजस्व-				
दत्तमत	69,23,34,03	66,60,60,83	2,62,73,20	
प्रभारित	1,52,00	77,42	74,58	
पूंजीगत-	7,24,18,33	5,55,35,53	1,68,82,80	
दत्तमत				
04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	78,76,08	41,07,49	37,68,59	
प्रभारित	1,80	0	1,80	
पूंजीगत-				
दत्तमत	50,00	22,80	27,20	
05 जेल				
राजस्व-				
दत्तमत	4,04,69,71	3,70,22,40	34,47,31	
पूंजीगत-				
दत्तमत	25,47,00	13,40,76	12,06,24	
06 वित्त				
राजस्व-				
दत्तमत	1,44,32,93,58	1,22,65,83,04	21,67,10,54	
प्रभारित	1,30,98,53	3,04,95	1,27,93,58	
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,90,70,03	19,52,50	1,71,17,53	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत	आधिकार्य
	(हजार ₹ में)				
07	वाणिज्यिक कर				
	राजस्व-				
	दत्तमत	34,80,95,41	21,34,71,56	13,46,23,85	
	प्रभारित	19,60	0	19,60	
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	19,11,04,08	16,52,91,66	2,58,12,42	
	प्रभारित	2,06,34	1,10,96	95,38	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,71,40,01	97,80,01	73,60,00	
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
	राजस्व-				
	दत्तमत	24,28,21	19,02,58	5,25,63	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,60,00	0	3,60,00	
10	वन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	19,38,06,00	14,56,02,30	4,82,03,70	
	प्रभारित	90,00	30,53	59,47	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	10,06,92,93	5,37,55,10	4,69,37,83	
11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	3,67,36,33	3,53,78,86	13,57,47	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	6,81,63,04	4,96,64,00	1,84,99,04	
12	ऊर्जा				
	राजस्व-				
	दत्तमत	94,75,22,91	75,69,64,54	19,05,58,37	
	प्रभारित	7,20,12,59	0	7,20,12,59	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	17,69,67,03	6,07,37,23	11,62,29,80	

विनियोग लेखे का सार-जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिकार्य	
				बचत	(हजार ₹ में)
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
	राजस्व-				
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,26,08,44,93	1,50,20,98,62	75,87,46,31	
	प्रभारित	40,00	3,44	36,56	
14	पशुपालन				
	राजस्व-				
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	11,65,46,67	9,83,57,21	1,81,89,46	
	प्रभारित	17,86	10	17,76	
15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
	राजस्व-				
	दत्तमत	17,18,00	4,07,06	13,10,94	
16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
	राजस्व-				
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	99,78,05	79,90,62	19,87,43	
	प्रभारित	20,17	17,16	3,01	
17	सहकारिता				
	राजस्व-				
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	13,62,59,80	3,83,61,04	9,78,98,76	
	प्रभारित	60	0	60	
18	श्रम				
	राजस्व-				
	दत्तमत	9,25,94,56	7,78,87,00	1,47,07,56	
	प्रभारित	2,71	0	2,71	
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
	राजस्व-				
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	73,62,87,01	65,77,72,98	7,85,14,03	
	प्रभारित	7,25,00	6,91,57	33,43	
	दत्तमत	2,84,80,84	1,77,97,28	1,06,83,56	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि (हजार ₹ में)	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिकार्य	
				बचत	आधिकार्य
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
	राजस्व-				
	दत्तमत	6,36,24,90	5,88,41,27	47,83,63	
	प्रभारित	5,50,00	2,26,80	3,23,20	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	34,28,92,66	23,99,85,56	10,29,07,10	
21	लोक सेवा प्रबन्धन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	76,39,50	52,73,70	23,65,80	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	5,00,00	1,08,16	3,91,84	
22	नगरीय विकास एवं आवास				
	राजस्व-				
	दत्तमत	70,26,51,44	35,50,08,27	34,76,43,17	
	प्रभारित	50,00	0	50,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	15,48,77,17	10,58,24,97	4,90,52,20	
	प्रभारित	15,00,00	0	15,00,00	
23	जल संसाधन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	11,48,38,37	10,53,92,60	94,45,77	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	70,65,26,34	59,79,35,56	10,85,90,78	
	प्रभारित	1,16,00	62,62	53,38	
24	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल				
	राजस्व-				
	दत्तमत	13,72,39,15	11,34,22,93	2,38,16,22	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	73,79,69,06	61,51,08,08	12,28,60,98	
	प्रभारित	3,20,00,00	0	3,20,00,00	
25	खनिज साधन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	47,70,51	38,44,46	9,26,05	
	प्रभारित	7,02,05,00	7,01,14,00	91,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,08,50,00	1,06,02	3,07,43,98	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
26 संस्कृति				
राजस्व-				
दत्तमत	1,85,83,19	1,35,19,44	50,63,75	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूंजीगत-				
दत्तमत	42,30,03	12,53,90	29,76,13	
27 स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
राजस्व-				
दत्तमत	1,62,13,75,61	1,50,02,60,24	12,11,15,37	
पूंजीगत-				
दत्तमत	7,47,67,35	6,68,33,34	79,34,01	
28 राज्य विधान मण्डल				
राजस्व-				
दत्तमत	96,39,29	81,03,07	15,36,22	
प्रभारित	61,85	45,22	16,63	
29 विधि और विधायी कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	17,70,21,09	13,24,56,01	4,45,65,08	
प्रभारित	1,83,16,84	1,38,18,63	44,98,21	
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,87,04,00	1,63,37,82	23,66,18	
30 ग्रामीण विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	10,65,55,54	9,20,56,75	1,44,98,79	
प्रभारित	4,81	0	4,81	
पूंजीगत-				
दत्तमत	29,87,50,04	29,05,34,83	82,15,21	
31 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	87,79,49	63,71,65	24,07,84	
प्रभारित	60	0	60	
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,70,94,00	1,47,55,24	23,38,76	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि (हजार ₹ में)	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिकाय
32	जनसंपर्क				
	राजस्व-				
	दत्तमत	4,47,57,85	3,30,49,06	1,17,08,79	
	प्रभारित	10	0	10	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	2,50,00	0	2,50,00	
33	जनजातीय कार्य				
	राजस्व-				
	दत्तमत	75,14,07,58	65,19,83,28	9,94,24,30	
	प्रभारित	5,50	1,49	4,01	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	15,06,09,96	9,28,98,40	5,77,11,56	
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण				
	राजस्व-				
	दत्तमत	9,37,91,53	7,49,06,59	1,88,84,94	
	प्रभारित	1,80	0	1,80	
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
	राजस्व-				
	दत्तमत	7,83,43,33	5,63,15,35	2,20,27,98	
	प्रभारित	1	0	1	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,38,50,53	2,54,82,47	83,68,06	
36	परिवहन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	92,30,37	76,03,07	16,27,30	
	प्रभारित	2,40	0	2,40	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	20,00,01	9,47,41	10,52,60	
37	पर्यटन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,33,33,67	95,95,36	37,38,31	
	प्रभारित	1,20	0	1,20	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,06,00,02	59,45,03	46,54,99	
38	आयुष				
	राजस्व-				
	दत्तमत	5,34,58,23	4,90,60,44	43,97,79	
	प्रभारित	10,00	0	10,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	23,20,01	20,43,80	2,76,21	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत	आधिक्य
	(हजार ₹ में)				
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
	दत्तमत	15,48,45,56	9,58,42,45	5,90,03,11	
	प्रभारित	1,25	0	1,25	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	2,00,05	35,16	1,64,89	
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) राजस्व-				
	दत्तमत	33,31,62,71	30,77,22,57	2,54,40,14	
	प्रभारित	60,00	24,00	36,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,71,75,94	2,97,76,88	73,99,06	
41	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	1	0	1	
42	भोपाल गैस ट्रासदी राहत तथा पुनर्वास राजस्व-				
	दत्तमत	1,15,43,50	1,02,45,30	12,98,20	
	प्रभारित	1	0	1	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	18,99,02	29,42	18,69,60	
43	खेल और युवक कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	1,40,95,10	99,22,18	41,72,92	
	प्रभारित	5,00	0	5,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	60,27,32	40,02,56	20,24,76	
44	उच्च शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	21,38,83,78	18,51,89,57	2,86,94,21	
	प्रभारित	10,00	0	10,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	4,30,86,00	3,66,38,57	64,47,43	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि (हजार ₹ में)	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ बचत व्यय की तुलना	आधिक्य
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	76,41,30	62,38,12	14,03,18	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	86,45,39	86,15,58	29,81	
	प्रभारित	4,00	0	4,00	
46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्व-				
	दत्तमत	1,85,71,89	70,96,60	1,14,75,29	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	61,00,03	0	61,00,03	
47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राजस्व-				
	दत्तमत	12,96,24,80	7,81,89,25	5,14,35,55	
	प्रभारित	6,00	0	6,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,74,08,03	1,66,29,41	2,07,78,62	
48	नर्मदा धाटी विकास राजस्व-				
	दत्तमत	17,64,66	11,85,32	5,79,34	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	33,04,86,21	32,13,12,11	91,74,10	
	प्रभारित	3,27,00	0	3,27,00	
49	अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	12,26,50,28	9,88,18,36	2,38,31,92	
	प्रभारित	10,00	0	10,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	2,28,20,03	74,30,59	1,53,89,44	
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-				
	दत्तमत	10,27,19,64	6,17,19,84	4,09,99,80	
	प्रभारित	1,20	0	1,20	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,00,00,00	0	1,00,00,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ बचत व्यय की तुलना	आधिक्य
	(हजार ₹ में)				
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व- राजस्व-				
	दत्तमत	99,32,88	55,08,49	44,24,39	
	प्रभारित	50	0	50	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	10,00,00	0	10,00,00	
52	चिकित्सा शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	12,99,36,05	11,36,35,25	1,63,00,80	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	11,85,84,34	8,97,60,06	2,88,24,28	
53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-				
	दत्तमत	2,69,38,66,36	1,94,96,01,84	74,42,64,52	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,36,80,01	32,94,40	1,03,85,61	
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	1,60,92,16	1,51,36,94	9,55,22	
55	महिला एवं बाल विकास राजस्व-				
	दत्तमत	52,57,04,67	45,89,34,31	6,67,70,37	
	प्रभारित	15,00	2,70	12,30	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,30,52,08	69,99,42	60,52,66	
56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग राजस्व-				
	दत्तमत	1,68,07,17	1,21,26,94	46,80,23	
	प्रभारित	60	0	60	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	2,01,60	32,74	1,68,86	
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें पूंजीगत-				
	दत्तमत	1	0	1	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत	आधिक्य
	(हजार ₹ में)				
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय राजस्व-	दत्तमत पूँजीगत-	1,57,67,98,27 1,80,00	60,25,34,38 77,66	97,42,63,89 1,02,34
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें पूँजीगत-	दत्तमत	14,00,00,00	11,25,33,60	2,74,66,40
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय राजस्व-	दत्तमत पूँजीगत-	44,65,00 2,97,58,33	41,63,89 2,41,14,20	3,01,11 56,44,13
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय राजस्व-	दत्तमत पूँजीगत-	2,73,08	1,70,68	1,02,40
62	पंचायत राजस्व-	दत्तमत प्रभारित	10 2,11,40,77 72	0 1,83,16,84 0	10 28,23,93 72
63	अल्प संख्यक कल्याण राजस्व-	दत्तमत पूँजीगत-	27,23,68	12,67,10	14,56,58
64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-	दत्तमत प्रभारित पूँजीगत-	6,00,00 78,59,68,45 6,02,17,00 57,17,30	0 63,92,97,97 5,81,59,38 35,42,00	6,00,00 14,66,70,48 20,57,62 21,75,30

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि (हजार ₹ में)	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य
65	विमानन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	37,24,45	22,39,73	14,84,72
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	70,50,01	4,44,60	66,05,41
66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व-			
	दत्तमत	8,67,79,81	8,37,64,90	30,14,91
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	26,74,02	3,77,61	22,96,41
67	लोक निर्माण कार्य-भवन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	6,70,88,95	4,59,72,40	2,11,16,55
	प्रभारित	3,00,00	2,35,98	64,02
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	2,22,30,03	1,38,99,35	83,30,68
68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
	राजस्व-			
	दत्तमत	2,71,21,91	1,09,25,52	1,61,96,39
69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण			
	राजस्व-			
	दत्तमत	24,51,11	15,75,50	8,75,61
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	7,00,00	2,67,55	4,32,45
70	प्रवासी भारतीय			
	राजस्व-			
	दत्तमत	90,93	5,25	85,68
71	पर्यावरण			
	राजस्व-			
	दत्तमत	35,14,42	26,84,63	8,29,79
	पूंजीगत-			
	दत्तमत	40,00	30,80	9,20
72	आनंद			
	राजस्व-			
	दत्तमत	2	0	2

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत	आधिक्य	
(हजार ₹ में)					
योग		25,69,25,40,76	19,47,93,78,20	6,21,31,62,56	0
राजस्व-					
दत्तमत	18,43,46,38,94	13,79,44,52,50	4,64,01,86,44		0
प्रभारित	1,68,59,13,08	1,56,87,62,44	11,71,50,64		0
पूंजीगत-					
दत्तमत	4,05,77,08,01	3,02,27,38,70	1,03,49,69,31		0
प्रभारित	1,51,42,80,73	1,09,34,24,56	42,08,56,17		0
महायोग					
राजस्व-	20,12,05,52,02	15,36,32,14,94	4,75,73,37,08		0
पूंजीगत-	5,57,19,88,74	4,11,61,63,26	1,45,58,25,48		0

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदानों और प्रभारित विनियोगों पर कोई आधिक्य नहीं है।

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय से राजस्व अनुभाग में ₹ 46,82.16 लाख (दत्तमत) 31 मार्च 2020 को आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित हैं, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(हजार ₹ में)				
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	13,79,44,52,50	1,56,87,62,44	3,02,27,38,70	1,09,34,24,56
घटाइये-वसूलियों का जोड़	31,87,85,07	0	02	0
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	13,47,56,67,43	1,56,87,62,44	3,02,27,38,68	1,09,34,24,56

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुईः-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | |
|----------------------------|---|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 71 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51,
55, 56, 62, 67 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 22, 23, 24, 45, 48, CH-I |

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हे एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुये विवरणों से संकलित किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमिता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा—द्वितीय) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिये की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक: 01 अप्रैल 2021
स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुमू)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियां)

राजस्व:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,44,32,07,48			
पूरक	0	1,44,32,07,48	1,42,16,52,26	(-) 2,15,55,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				14,53,72

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र शून्य प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 2,15,55.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 14,53.72 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

[अ] बचत

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.5437-7.18 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	मूल	78,98.00	78,98.00	39,49.00	(-) 39,49.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.5438-7.59 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2029	मूल	75,90.00	75,90.00	0.00	(-) 75,90.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.5439-7.61 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2029	मूल	76,10.00	76,10.00	0.00	(-) 76,10.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.7583-8.95 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	89,50.00	89,50.00	44,75.00	(-) 44,75.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.9125- 8.25 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल	94,00.00	94,00.00	0.00	(-) 94,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9315- 8.33 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	83,30.00	83,30.00	41,65.00	(-) 41,65.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9316- 8.55 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	85,50.00	85,50.00	42,75.00	(-) 42,75.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9321- 8.63 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	मूल	43,27.08	43,27.08	0.00	(-) 43,27.08	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9323- 8.52 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2043	मूल	42,77.47	42,77.47	0.00	(-) 42,77.47	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9324- 8.37 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	67,01.01	67,01.01	0.00	(-) 67,01.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.200.3732- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष से ऋण पर ब्याज	मूल	7,50,00.00	7,50,00.00	5,64,54.39	(-) 1,85,45.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.6973- स्थानीय निधि खाते पर ब्याज	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.305.2624- पुराने ऋणों का प्रबंधन	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	22,22.54	(-) 77,77.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान बचत हुई थी।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-03.104.0807- कर्मकार अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	12,10.00	12,10.00	0.00	(-) 12,10.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-03.104.4033- विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	78,65.00	78,65.00	1,53,92.37	+ 75,27.37 आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-03.104.6854- अंशदायी पेशन योजना	मूल	6,05.00	6,05.00	0.00	(-) 6,05.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-03.108.0117- परिभाषित पेशन योजना	मूल	12,10.00	12,10.00	0.00	(-) 12,10.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान बचत हुई थी।
2049-03.108.3360- मध्य भारत लाइफ एश्योरेंस फंड पर ब्याज	मूल	5,36.80	5,36.80	0.00	(-) 5,36.80 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-04.102.0930- केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	मूल	2,56.70	2,56.70	0.00	(-) 2,56.70 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-04.109.5691- 12वे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार एकीकृत राज्य योजना ऋण पर व्यय	मूल	2,25,00.00	2,25,00.00	1,37,77.63	(-) 87,22.37 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान बचत हुई थी।
2049-60.701.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-60.701.3588- डी.सी.आर.जी. राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-60.701.4209- सरकारी कर्मचारी परिवार लाभ निधि योजना पर ब्याज	मूल	4,87.76	4,87.76	0.00	(-) 4,87.76 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-60.701.6587- अन्य दायित्वों पर ब्याज	मूल	80,00.00	80,00.00	2,14.12	(-) 77,85.88 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6971- सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003 (निधि पर ब्याज बचत)	मूल	1,35,15.20	1,35,15.20	0.00	(-) 1,35,15.20 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6972- सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 (निधि पर ब्याज बचत)	मूल	1,76,24.26	1,76,24.26	0.00	(-) 1,76,24.26 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

[ब] आधिक्य

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.2047- 8.39 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	मूल	83,90.00	83,90.00	1,12,16.24	+ 28,26.24 आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.5518- 8.49 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	मूल	0.01	0.01	38,05.00	+ 38,04.99 आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.5520-8.43 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	मूल	0.01	0.01	37,95.00	+ 37,94.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.6055-8.32 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	मूल	64,90.00	64,90.00	1,29,79.20	+ 64,89.20	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.6056-8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	64,60.00	64,60.00	1,29,20.96	+ 64,60.96	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.6237-8.54 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	49,02.00	49,02.00	98,03.92	+ 49,01.92	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.6444-8.41 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1,00,92.00	1,00,92.00	1,68,80.00	+ 67,88.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।
2049-01.101.6763-नया बजार ऋण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	2,27,29.88	+ 1,27,29.88	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।
2049-01.101.6876-8.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	83,60.00	83,60.00	2,09,00.00	+ 1,25,40.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.6880-8.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	59,36.00	59,36.00	1,20,24.00	+ 60,88.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.6881-8.33 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	83,60.00	83,60.00	83,90.00	+ 30.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-01.101.7584- 8.95 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	93,97.50	93,97.50	1,38,72.50	+ 44,75.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9122- 8.25 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	मूल	82,50.00	82,50.00	1,23,75.00	+ 41,25.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9319- 8.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	मूल	28,13.77	28,13.77	35,59.88	+ 7,46.11	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9320- 8.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2033	मूल	32,12.77	32,12.77	59,22.72	+ 27,09.95	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9322- 8.52 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2043	मूल	42,60.70	42,60.70	85,35.00	+ 42,74.30	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9325- 8.37 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	84,61.35	84,61.35	1,17,18.00	+ 32,56.65	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.101.9326- 8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	83,70.00	83,70.00	1,17,18.00	+ 33,48.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.200.0845- उदय बांड का ब्याज भुगतान	मूल	5,65,25.00	5,65,25.00	5,98,40.20	+ 33,15.20	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-01.200.3089- भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थेपय पेशागियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	मूल	0.01	0.01	40.71	+ 40.70	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.200.3752- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज	मूल पुनर्भिः.	32,40.00 (-) 14,53.72	17,86.28	17,86.28 0.00	₹ 14,53.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2049-04.101.3707- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की नियोजित योजना के लिए ऋण पर ब्याज	मूल	4,35,60.00	4,35,60.00	7,74,16.61 + 3,38,56.61	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।

भारित विनियोग—लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष—6003—राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004—केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूंजीगत:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,48,03,33,73			
पूरक	0	1,48,03,33,73	1,09,33,61,93	(-) 38,69,71,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,96,01

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र चौसठ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

पूंजीगत:

- (1) ₹ 38,69,71.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,96.01 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-) 1,00,00.00
6003-109.1216- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण	मूल	23,43.00	23,43.00	19,62.26	(-) 3,80.74
6003-110.0637- मजदूरी और उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल	20,00,00.00	20,00,00.00	0.00	(-) 20,00,00.00
6003-110.0779- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	मूल	20,00,00.00	20,00,00.00	0.00	(-) 20,00,00.00

भारित विनियोग—लोक ऋण जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6004-01.115.2644- पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए ऋण	मूल	4,43.81	4,43.81	3,53.43	(-) 90.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-01.201.0489- गृह निर्माण अग्रिम (ए. आई.एस. को अग्रिम)	मूल	6.05	6.05	1.50	(-) 4.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6004-02.101.3052- ब्लॉक ऋण	मूल	4,18,45.50	4,18,45.50	2,50,22.31	(-) 1,68,23.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-02.105.6983- 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित समेकित ऋण	मूल	4,54,96.00	4,54,96.00	3,64,18.33	(-) 90,77.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6004-04.102.3128- मृदा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण	मूल	1,87.30	1,87.30	0.00	(-) 1,87.30	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6003-101.63- 7.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य शासन विकास ऋण, 1997	मूल	0.00	0.00	0.03	+ 0.03	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। व्यय के विरुद्ध इस योजना में कोई विनियोग नहीं किया गया था।
6003-101.66- 9.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य शासन विकास ऋण, 1998	मूल	0.00	0.00	1.54	+ 1.54	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। व्यय के विरुद्ध इस योजना में कोई विनियोग नहीं किया गया था।
6003-103.8140- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	मूल	9,00.00	9,00.00	9,29.81	+ 29.81	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

भारित विनियोग—लोक ऋण समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6003-104.3093- भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	मूल	95.00	95.00	98.57	+ 3.57	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6003-111.6835- केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	मूल	16,97,93.85	16,97,93.85	21,77,04.44	+ 4,79,10.59	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-02.101.9086- बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बैंक-टू-बैंक ऋण	मूल	4,84,00.00	4,84,00.00	6,02,59.93	+ 1,18,59.93	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,84,40,26			
पूरक	80,00,00	6,64,40,26	4,38,31,98	(-) 2,26,08,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				27,02,42

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	63,57,08			
पूरक	1,22,94	64,80,02	32,45,84	(-) 32,34,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,67,49

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	82,65,08			
पूरक	7,27,25	89,92,33	40,21,70	(-) 49,70,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (02 जनवरी एवं 09 मार्च 2020)				19,97,00

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 80,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,26,08.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 27,02.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2012-03.102.9060-वैवेकिक अनुदान	मूल	90.93	90.93	4.60 (-) 86.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-101.3282-मंत्रियों के वेतन	मूल	5,12.35	5,12.35	2,13.02 (-) 2,99.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-102.3282-मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	8,41.50 (-) 40.00	8,01.50	4,52.30 (-) 3,49.20	₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत चिकित्सा, यात्रा भत्ता बिल प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-105.9064-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	मूल पूरक	29,00.00 10,00.00	39,00.00	25,38.27 (-) 13,61.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2013-108.3283-मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय	मूल	47.25	47.25	1.35 (-) 45.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-800.9939-मंत्रियों द्वारा सहायता अनुदान	मूल	5,75.14	5,75.14	2,85.13 (-) 2,90.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पूरक पुनर्वि.	1,17,62.68 30,00.00 (-) 20,45.47	1,27,17.21	6,73.38	(-) 1,20,43.83	₹ 20,45.47 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 में बचत हुई थी।
2015-101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	2,00.93 (-) 48.66	1,52.27	10.27	(-) 1,42.00	₹ 48.66 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-090.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	2,95.47	2,95.47	64.78	(-) 2,30.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2052-091.5377- मध्य लोक मुम्बई कार्यालय	मूल	1,69.50	1,69.50	1,01.65	(-) 67.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2052-091.9414- विशेष आयुक्त कार्यालय की स्थापना	मूल	1,11.91	1,11.91	52.77	(-) 59.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2070-104.3844- लोक आयुक्त	मूल	40,54.34	40,54.34	35,08.56	(-) 5,45.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 1,22.94 लाख का
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 32,34.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 9,67.49 लाख अभ्यर्पित किये
गये।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 8.00	2.00	0.00	(-) 2.00	₹ 8.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2051-102.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	45,52.90 (-) 9,39.31	36,13.59	20,84.31	(-) 15,29.28	₹ 9,39.31 लाख की प्रत्याशित बचत विनियोग में ₹ 9,46.31 लाख की कमी (समर्पण ₹ 9,39.31 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7.00 लाख) एवं ₹ 7.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-101.4544- सी.आई.डी. (इकानामिक आफेसेस)	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-) 4,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 7,27.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 49,70.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 02 जनवरी 2020 एवं 9 मार्च 2020 को केवल ₹ 19,97.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.2363- राज भवन में लघु मूल कार्य	पूरक	3,38.25	3,38.25	3.81	(-) 3,34.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 19,97.00	3.00	3.00	0.00	₹ 19,97.00 लाख (समर्पण) की प्रत्याशित बचत एन.बी.सी.सी. से व्यय के कम अनुमान प्राप्त होने एवं मध्यप्रदेश सरकार से मध्यांचल विस्तार निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4059-01.051.7212- राज भवन में ऑडिटोरियम का निर्माण	पूरक	2,53.00	2,53.00	95.79	(-) 1,57.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.1343- नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना का विकास	मूल	3,70.00	3,70.00	15.55	(-) 3,54.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.5817- प्रशासनिक भवन का निर्माण	मूल	1,50.00	1,50.00	14.19	(-) 1,35.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.6605- प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण	मूल	2,47.00	2,47.00	68.00	(-) 1,79.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.7213- मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-) 3,00.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.9506- लोकायुक्त कार्यालय भवन	पूरक	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
 (सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,68,28			
पूरक	29,00	99,97,28	86,72,10	(-) 13,25,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया ₹ 29.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,25.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.4062- विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण	मूल 1,04.55	1,04.55	18.94 (-) 85.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-105.4079- विशेष जाँच आयोग	मूल 82.35	82.35	0.00 (-) 82.35	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.4678- स्वागत तथा सामर्पणिक पदाधिकारी का कार्यालय	मूल पूरक 6,00.00 29.00	6,29.00	3,88.01 (-) 2,40.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-800.6910- राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल	9,60.20	9,60.20	6,72.59	(-) 2,87.61
₹ 1,53.55 लाख की बचत बकाया वेतन, चिकित्सा देयक, एल.टी.सी. देयक का भुगतान न होने के कारण हुई है। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।					
2070-800.7405- संयुक्त आयुक्त (लैटिगेशन एवं समन्वय) की स्थापना / गठन	मूल	1,17.95	1,17.95	69.81	(-) 48.14
₹ 7.97 लाख की बचत स्थानान्तरण न होने, व्यय एवं खरीद पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।					
2235-60.800.1982- दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा धायलों को वित्तीय सहायता	मूल	4,09.19	4,09.19	2,63.80	(-) 1,45.39
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।					
2235-60.800.9019- शहीदों के परिवार को भू-खण्ड	मूल	1,93.68	1,93.68	69.72	(-) 1,23.96
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।					

अनुदान संख्या 03—पुलिस

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	68,28,34,03			
पूरक	95,00,00	69,23,34,03	66,60,60,83	(-) 2,62,73,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,85,25,07

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,52,00			
पूरक		1,52,00	77,42	(-) 74,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,11,18,33			
पूरक	13,00,00	7,24,18,33	5,55,35,53	(-) 1,68,82,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,55,04,10

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पच्चीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 95,00.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,62,73.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 1,85,25.07 लाख की राशि अर्थार्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 2,62,73.20 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत परिलक्षित हुई है:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-003.5385- रानी दुर्गावती पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,94.56 (-) 95.25	99.31	0.00	(-) 99.31	समर्पण के रूप में ₹ 95.25 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2055-105.7588- पासपोर्ट सेवा कोष	मूल पुनर्वि.	94.70 (-) 5.81	88.89	72.96	(-) 15.93	समर्पण के रूप में ₹ 5.81 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2055-109.0109- अतिरिक्त पुलिस संरक्षक जिनका व्यय निजी कंपनियों और व्यक्तियों से वसूल की जाती है	मूल पुनर्वि.	8,65.12 (-) 0.02	8,65.10	7,34.47	(-) 1,30.63	₹ 0.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 0.10 लाख की वृद्धि (पुनर्विनियोजन) और ₹ 0.12 लाख की कमी (समर्पण ₹ 0.02 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.10 लाख) की निवल प्रभाव थी। प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2055-109.6065- थाने का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	2,30.00 (-) 16.42	2,13.58	1,66.14	(-) 47.44	समर्पण के रूप में ₹ 16.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2055-109.0802.6919- सुरक्षा से संबंधित व्यय	मूल पुनर्वि.	3,81.54 (-) 78.36	3,03.18	2,26.24	(-) 76.94	समर्पण के रूप में ₹ 78.36 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

प्रभारित

- (4) ₹ 74.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055.109.4491 - सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल	1,50.00	1,50.00	77.42	(-) 72.58 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 13,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 1,68,82.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,55,04.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई है:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055.207.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पूरक पुनर्वि.	26,00.01 13,00.00 (-) 9,51.94	29,48.07	22,11.57 (-) 7,36.50	समर्पण के रूप में ₹ 9,51.94 लाख की प्रत्याशित के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-207.1309- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-) 3,00.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-207.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	23,93.35 (-) 18,61.12	5,32.23	5,32.23 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 18,61.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055-207.3680- पुलिस मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	8,05.00 (-) 48.00	7,57.00	1,93.50	(-) 5,63.50	₹ 48.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-207.4155- वायरलेस कार्यालय भोपाल एवं ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	20,20.00 (-) 9,54.24	10,65.76	10,65.76	0.00	₹ 9,54.24 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-207.7453- राज्य साइबर मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	4,60.00 (-) 3,69.03	90.97	90.97	0.00	₹ 3,69.03 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-207.0801.5430- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) फोरंसिक साइंस लैब का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,94.84 (-) 2,94.84	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-207.0101.1948- नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम	मूल पुनर्वि.	5,02.50 (-) 5,02.50	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-800.0101.0737- 36वीं भारत रक्षित वाहिनी विस्बल बालाधारा	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 3,00.00	7,00.00	7,00.00	0.00	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4055-800.0101.7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 5,29.51	4,70.49	2,26.93	(-) 2,43.56	₹ 5,29.51 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	56,62,08			
पूरक	22,14,00	78,76,08	41,07,49	(-) 37,68,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				11,50,10

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,80			
पूरक	0	1,80	0	(-) 1,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,40

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,00			
पूरक	0	50,00	22,80	(-) 27,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				27,20

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 22,14.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 37,68.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 11,50.10 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235.60.200.0686-सम्प्रदायिक दंगों में पिड़ितों को सहायता	मूल 90.93	90.93	4.96 (-) 85.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-60.200.2653-पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान	मूल 80.00	80.00	0.48 (-) 79.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.7329-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय	मूल पुनर्वि. 2,04.84 (-) 1,15.20	89.64	77.05 (-) 12.59	₹ 1,15.20 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-60.200.0101.7330-आपदा सूचना और संचार तकनीकी विकास	मूल पुनर्वि. 63.20 (-) 62.08	1.12	1.12 0.00	₹ 62.08 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-60.200.0101.7331-आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	मूल पुनर्वि. 1,52.93 (-) 1,50.28	2.65	14.65 + 12.00	₹ 1,50.28 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3454-01.800.9946-जिला जनगणना पुस्तिका का प्रकाशन	मूल पूरक 0.91 22,14.00	22,14.91	84.53 (-) 21,30.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) सम्पूर्ण बचत से 31 मार्च 2020 को ₹ 27.20 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-60.800.1314- सैनिक आराम गृह	मूल पुनर्वि. 50.00 (-) 27.20	22.80	22.80 (+) 0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 27.20 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 05—जेल
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2056-जेल, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,04,69,71			
पूरक	0	4,04,69,71	3,70,22,40	(-) 34,47,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				35,35,05

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,47,00			
पूरक		25,47,00	13,40,76	(-) 12,06,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				10,99,09

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र इकतालीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 34,47.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 35,35.05 लाख अभ्यर्पित किया जो उपलब्ध बचत से अधिक एवं अवास्तविक था।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	13,20.94 (-) 1,16.67	12,04.27	10,79.80 (-) 1,24.47		पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,16.67 लाख की प्रत्याशित बचत, प्रावधान में ₹ 1,42.48 लाख की कमी एवं ₹ 25.81 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः संविदा चिकित्सा अधिकारी को मानदेय एवं समय वेतन मान का बकाया भुगतान के कारण हुई (₹ 24.00 लाख)। ₹ 1.81 लाख की शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 05—जेल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-101.0938- केन्द्रीय तथा जिला जेलें	मूल पुनर्वि.	3,75,51.39 (-) 26,84.26	3,48,67.13	3,51,41.09	+ 2,73.96	₹ 26,84.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 29,66.25 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 26,84.26 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में 2,81.99 लाख) और ₹ 2,81.99 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि वर्दी की खरीद, आवश्यकता के अनुसार व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए उपयोग करने के कारण हुई। कमी अंशतः (₹ 2,81.99 लाख) राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष बचत के साथ-साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2056-101.0101.5044- जेल का आधुनिकरण	मूल पुनर्वि.	9,68.98 (-) 5,88.42	3,80.56	3,80.88	+ 0.32	₹ 5,88.42 लाख की (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ-साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2056-101.0101.6855- जेलों और जिला अदालतों के बीच वीडियो क्रांफ्रेसिंग की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	90.93 (-) 33.02	57.91	44.13	(-) 13.78	₹ 33.02 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2056-102.1524- जेल उत्पाद	मूल पुनर्वि.	2,19.91 (-) 29.61	1,90.30	1,49.89	(-) 40.41	₹ 29.61 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 12,06.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 10,99.09 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.0849- जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	8,49.60 (-) 1,54.37	6,95.23	6,95.23 0.00 ₹ 1,54.37 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.1080- खुली जेलों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	20.00 (-) 20.00	0.00	0.00 ₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.6405- जेल भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	10,30.60 (-) 4,47.76	5,82.84	4,75.69 (-) 1,07.15 ₹ 4,47.76 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 06—वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,44,32,23,36			
पूरक	70,22	1,44,32,93,58	1,22,65,83,04	(-) 21,67,10,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				8,83,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,30,98,53			
पूरक	0	1,30,98,53	3,04,95	(-) 1,27,93,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,90,70,03			
पूरक		1,90,70,03	19,52,50	(-) 1,71,17,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				54,85,42

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सैतालीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 70.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 21,67,10.52 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 8,83.75 लाख की राशि समर्पित की गई।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न प्रावधानों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) ₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.1349- उच्च शिक्षा ऋण का एक मुश्त भुगतान	मूल पुनर्वि.	45.47 (-) 41.70	3.77	3.77	0.00	₹ 41.70 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) एक मुश्त निपटान के लिए सीमित प्रस्ताव प्राप्त करने के कारण हुई।
2052-091.5338- राज्य वित्त आयोग	मूल	1,90.22	1,90.22	25.12	(-) 1,65.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2052-091.9508- कर्मचारी आयोग	मूल	45.52	45.52	0.00	(-) 45.52	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2052-091.0101.5652- म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 75.00	0.00	0.00	0.00	₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) विभागों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
2052-800.0101.7623- वेंचर केपिटल कंपनी	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) विभागों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	29,40.82	29,40.82	12,98.80	(-) 16,42.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.5329-लंबित देयकों के भुगतान	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	0.00	(-) 1,50,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2054-095.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	87,00.00	87,00.00	27,42.13	(-) 59,57.87 अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.9135-म.प्र.पी.आई. कंपनी को संधारण अनुदान	मूल	9,09.31	9,09.31	1,49.11	(-) 7,60.20 अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.101.5158-सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	2,12.35	2,12.35	2.80	(-) 2,09.55 अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.101.9998-मध्य प्रदेश	मूल	13,31,00.00	13,31,00.00	9,16,77.43	(-) 4,14,22.57 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.105.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	23,72,14.91	23,72,14.91	17.89,06.32	(-) 5,83,08.59 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.111.9998-मध्य प्रदेश	मूल	50,30.30	50,30.30	3.41.03	(-) 46,89.27 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.115.9998-मध्य प्रदेश	मूल	3,25,66.90	3,25,66.90	1,52,78.28	(-) 1,72,88.62 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.115.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	3,42,12.71	3,42,12.71	2,02,83.52	(-) 1,39,29.19 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.200.5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	मूल	22,43.34	22,43.34	2.88	(-) 22,40.46 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.200.5887- असाधारण पेंशन	मूल	72.60	72.60	4.77	(-) 67.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2075-797.6857- प्रतियुति रिडंमशन निधि में हस्तानान्तरण	मूल	90.93	90.93	0.00	(-) 90.93	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3475-797.8094- रिजर्व फण्ड में हस्तानान्तरण एवं जमा लेखे	मूल	90.93	90.93	0.00	(-) 90.93	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.102.9998- मध्य प्रदेश	मूल	10,19.30	10,19.30	35,36.71	+ 25,17.41	अत्याधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	20,38.60	20,38.60	45,80.66	+ 25,42.06	अत्याधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.103.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	20.39	20.39	64.90	+ 44.51	अत्याधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.111.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	19,56.85	19,56.85	25,23.17	+ 5,66.32	अत्याधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.117.6854- अंशदायी पेंशन योजना	मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	9,16,70.75	+ 2,16,70.75	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

प्रभारित

- (5) ₹ 1,27,93.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि वर्ष के दौरान समर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई है:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.5338- राज्य वित्त आयोग	मूल	17.09	17.09	0.00	(-) 17.09	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2054-095.5329- लंबित देयकों के भुगतान	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-) 50,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	76,10.88	76,10.88	0.00	(-) 76,10.88	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	2,54.82	2,54.82	0.00	(-) 2,54.82	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2071-01.103.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	11.89	11.89	0.00	(-) 11.89	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.5158- सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	84.94	84.94	1,46.86	+ 61.92	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.106.9998- मध्य प्रदेश	मूल	18.67	18.67	1,26.51	+ 1,07.84	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 06—वित्त समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) ₹ 1,71,17.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 54,85.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.0101.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-) 39,85.40	20,14.60	20,14.60	0.00	₹ 39,85.40 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई है।
4700-800.0101.7624- एम.एस.एम.आई. वैंचर केपिटल फण्ड में निवेश	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-) 15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4885-01.190.0101.6782- म.प्र. वित्त निगम की अंशपूँजी में निवेश	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6075.800.6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-) 50,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्डस् के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075-800.6842- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-) 50,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
7610-201.9084- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऋण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण, 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,56,95,41			
पूरक	24,00,00	34,80,95,41	21,34,71,56	(-) 13,46,23,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,60			
पूरक	0	19,60	0	(-) 19,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र चालीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 24,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,46,23.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-02.101.2456- न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	मूल पुनर्वि.	25,46.07 20,00.00	45,46.07	5,34.73	(-) 40,11.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-02.102.2455- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	मूल	54,55.87	54,55.87	28,99.74	(-) 25,56.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-02.797.0570.0817- पालिक अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	मूल	5,70,66.00	5,70,66.00	0.00	(-) 5,70,66.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2039-001.0123- अधिक्षण	मूल पुनर्वि.	21,85,70.67 (-) 1,00.00	21,84,70.67	16,79,87.85	(-) 5,04,82.82	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2039-001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल	7,75.71	7,75.71	48.23	(-) 7,27.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2043-001.3569- मुख्यालय स्थापना व्यय	मूल	27,24.20	27,24.20	16,71.14	(-) 10,53.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2043-001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल	24,01.90	24,01.90	4,75.68	(-) 19,26.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2043-101.1509- जिला स्थापना	मूल	2,32,78.61	2,32,78.61	1,73,89.47	(-) 58,89.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2045-797.0550.2360-म.प्र. परिवहन अद्योसंरचना विकास निधि	मूल	54,00.97	54,00.97	0.00	(-) 54,00.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2045-797.0530.2359-म.प्र. नगरीय परिवहन अद्योसंरचना विकास निधि	मूल	26,55.14	26,55.14	0.00	(-) 26,55.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.001.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	13,13.95 (-) 5.00	13,08.95	15,09.02	+ 2,00.07	₹ 5.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) प्रावधान में ₹ 1,27.30 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,32.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम प्रावधान रखे जाने एवं कम्प्यूटराइज योजनाओं के लिए अनुबंधित संगठन को हार्डवेयर का भुगतान के कारण वृद्धि हुई। कमी एवं अंतिम आधिक्य के विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2030-01.101.4612-स्टाम्पों की लागत	मूल पूरक	4,09.19 4,00.00	8,09.19	8,80.13	+ 70.94	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2030-01.102.4611-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	मूल	2,72.79	2,72.79	5,06.64	+ 2,33.85	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर समाप्त

(5) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता हैं तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई हैं, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती हैं। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प- न्यायिकेतर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-02-स्टाम्प-न्यायिकेतर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2019 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 17,89,92.48 लाख था। वर्ष के दौरान कोई भी राशि इस निधि में जमा नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2020 को निधि में जमा शेष ₹ 17,89,92.48 लाख था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2019–20 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में सम्मिलित है।

प्रभारित

- (6) ₹ 19.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल 18.00	18.00	0.00 (-) 18.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,07,04,08			
पूरक	4,00,00	19,11,04,08	16,52,91,66	(-) 2,58,12,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,06,34			
पूरक		2,06,34	1,10,96	(-) 95,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,71,40,01			
पूरक	0	1,71,40,01	97,80,01	(-) 73,60,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 4,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,58,12.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-001.6846-भू—प्रबंधन	मूल	1,40,88.03	1,40,88.03	1,11,16.42	(-) 29,71.61 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.1472-जिला खर्च	मूल	9,11,61.55	9,11,61.55	7,97,73.96	(-) 1,13,87.59 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2029-103.0801.9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकर्षिक व्यय	मूल	80.04	80.04	6.17	(-) 73.87 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.5070-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	मूल	27,82.51	27,82.51	50.20	(-) 27,32.31 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.7167-एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल	2,72.79	2,72.79	27.12	(-) 2,45.67 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.0101.8088-नवे वित्त आयोग की सिफारिसों के अनुसार 1984 राज्य योजनागत समेकित कार्य	मूल	48.00	48.00	0.00	(-) 48.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2053-094.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बद्धी कार्य	मूल	2,71.03	2,71.03	1,07.05	(-) 1,63.98 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

प्रभारित

- (4) ₹ 95.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657- राजस्व बोर्ड	मूल	2,05.84	2,05.84	1,10.96	(-) 94.88 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगतः

दत्तमत

- (6) ₹ 73,60.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनों एवं उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	मूल	5,40.00	5,40.00	6.79	(-) 5,33.21	₹ 5,33.21 लाख की बचत मशीनों एवं उपकरणों की खरीद न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0103.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	34,00.00	34,00.00	3,95.76	(-) 30,04.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0102.5160- कम आबादी वाली तहसील में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	1,61.00	1,61.00	1,18.95	(-) 42.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0102.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	21,68.48	21,68.48	14,42.37	(-) 7,26.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	98,31.52	98,31.52	71,59.61	(-) 26,71.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.6980- भू—अभिलेख जिला एवं प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी आवास)	मूल	5,00.00	5,00.00	1,25.18	(-) 3,74.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर के निर्माण	मूल	4,27.00	4,27.00	5,11.20	+ 84.20	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2075-विविध सामान्य सेवाएँ, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	24,28,21			
पूरक	0	24,28,21	19,02,58	(-) 5,25,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,60,00			
पूरक	0	3,60,00	0	(-) 3,60,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 5,25.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2058-001.2286- नियंत्रक, शासकीय मुद्रता तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	मूल 1,43.41	1,43.41	98.67	(-) 44.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2058-103.4202- शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय	मूल	21,09.92	21,09.92	16,99.65 (-) 4,10.27	इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि (₹ 74.13 लाख) का पुनर्विनियोजन के द्वारा कमी एवं वृद्धि हुई है। प्रावधान में कमी जुलाई माह का वेतन का आहरण अगस्त माह में होने के कारण हुआ वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2058-797.4202- शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय	मूल	24.08	24.08	0.00 (-) 24.08	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 3,60.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	मूल	3,60.00	3,60.00	0.00 (-) 3,60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 10—वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	18,33,36,69			
पूरक	1,04,69,31	19,38,06,00	14,56,02,30	(-) 4,82,03,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,90,18

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90,00			
पूरक	0	90,00	30,53	(-) 59,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,44,40,97			
पूरक	62,51,96	10,06,92,93	5,37,55,10	(-) 4,69,37,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र 24.86 प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में ₹ 1,04,69.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,82,03.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 2,90.18 लाख राशि वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0101.3555-मुख्यालय स्थापना	मूल 59,14.45	59,14.45	43,77.30 (-) 15,37.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.003.4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	पूरक 7,97.91	7,97.91	0.00 (-) 7,97.91	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.004.0101.2330-वन मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन	मूल 50,00.00	50,00.00	17.21 (-) 49,82.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.004.0101.5108-अध्ययन एवं अनुसंधान	मूल 2,20.31	2,20.31	86.10 (-) 1,34.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.101.0801.0664-इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	मूल 12,70.67	12,70.67	9,02.31 (-) 3,68.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.101.0102.6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय	मूल 18,32.40	18,32.40	1.08 (-) 18,31.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.102.0101.0833-नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि	मूल 6,66.09	6,66.09	0.00 (-) 6,66.09	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वार्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.190.0703.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	मूल	13,00.00	13,00.00	3,64.59	(-) 9,35.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.190.0702.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	मूल	13,00.00	13,00.00	3,37.09	(-) 9,62.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.190.0701.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	मूल	9,84.00	9,84.00	6,06.09	(-) 3,77.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.203.0535-इमारती लकड़ी का उत्पादन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,11,19.39 49,26.00 (-) 2,18.50	1,58,26.89	82,52.99	(-) 75,73.90	₹ 2,18.50 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.204.2901-बांस उत्पादन	मूल पूरक पुनर्वि.	13,60.23 2,35.92 2,18.50	18,14.65	9,51.51	(-) 8,63.14	₹ 2,18.50 लाख के प्रावधान में वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) वन मण्डल बालाघाट के अंतर्गत वन संभाग के मजदूरों के बकाया भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-01.800.0101.0792-कर्मचारी कल्याण	मूल	1,04.00	1,04.00	61.60	(-) 42.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-02.110.0703.3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वय विकास	मूल पुनर्वि.	62,00.00 (-) 90.00	61,10.00	10.30	(-) 60,99.70	₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति से अधिक बजट प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-02.110.0702.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पूरक	37,75.62 5,98.54	43,74.16	25,44.15	(-) 18,30.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2406-02.110.0701.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पूरक पुनर्वि.	70,62.45 20,10.94 (-) 12,00.00	78,73.39	30,12.66	(-) 48,60.73	₹ 12,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

- (4) ₹ 59.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल	54.00	54.00	6.34	(-) 47.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 62,51.96 लाख का
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 4,69,37.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0703.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	10,00.00	10,00.00	8,39.44	(-) 1,60.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.101.0702.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल	30,00.00	30,00.00	23,15.50	(-) 6,84.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0102.7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण समूह	मूल	2,22,09.61	2,22,09.61	1,86,49.86	(-) 35,59.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.101.0101.7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण समूह	मूल	2,02,35.46	2,02,35.46	1,80,14.55	(-) 22,20.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.101.0101.5387- कार्य योजनाओं का निर्माण	मूल	6,00.00	6,00.00	3,98.73	(-) 2,01.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.102.0703.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल	46,20.00	46,20.00	0.00	(-) 46,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.102.0102.5109- ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा	मूल	14,37.50	14,37.50	4,87.38	(-) 9,50.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.102.0101.5109- ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा	मूल	38,12.50	38,12.50	19,09.93	(-) 19,02.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4406-01.800.5399- मध्यप्रदेश प्रतिकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना	मूल पूरक	2,50,00.00 62,51.96	3,12,51.96	0.00	(-) 3,12,51.96	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार कौशल विकास, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,67,26,33			
पूरक	10,00	3,67,36,33	3,53,78,86	(-) 13,57,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,44,74,04			
पूरक	36,89,00	6,81,63,04	4,96,64,00	(-) 1,84,99,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सोलह प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में ₹ 10.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,57.47 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई है:-

अनुदान संख्या 11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.7066- म.प्र. ट्रायफेक को संधारण अनुदान	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00	(-) 3,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 36,89.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 1,84,99.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4875-60.190.0101.7359- नर्मदा क्षिप्रा औद्योगिक जल प्रदाय परियोजना	मूल	17,00.00	17,00.00	0.00	(-) 17,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4875-60.800.9485- इंदौर मनमाड रेल परियोजना हेतु अंशपूँजी	पूरक	36,89.00	36,89.00	0.00	(-) 36,89.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4875-60.800.0101.6749- भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज	मूल	32,50.00	32,50.00	0.00	(-) 32,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6856-800.0101.2123- मैग्निफिसेंट एम.पी. इन्वेस्टमेंट अंद्रेक्षण स्कीम	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	1,87,50.00	(-) 62,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2801-बिजली, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	73,45,22,91			
पूरक	21,30,00,00	94,75,22,91	75,69,64,54	(-) 19,05,58,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,20,12,59			
पूरक		7,20,12,59	0	(-) 7,20,12,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,69,67,03			
पूरक	0	17,69,67,03	6,07,37,23	(-) 11,62,29,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सैंतीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 19,05,58.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.7861- गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली की व्हीलिंग हेतु म.प्र.रा.वि.म. उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान	मूल	1,20.00	1,20.00	0.00	(-) 1,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-80.101.0103.7313- टैरिफ अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,59,00.00 (-) 1,05,78.80	1,53,21.20	1,52,99.00	(-) 22.20	₹ 1,05,78.80 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-80.101.0102.5378- इंदिरा गृह ज्योति योजना	मूल	5,08,00.00	5,08,00.00	3,90,00.00	(-) 1,18,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-80.101.0102.7313- टैरिफ अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,00,00.00 (-) 1,11,00.81	1,88,99.19	1,88,99.00	(-) 0.19	₹ 1,11,00.81 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-80.101.0101.0688- विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अनुदान	मूल	5,00,00.00	5,00,00.00	0.00	(-) 5,00,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0101.5378-इंदिरा गृह ज्योति योजना	मूल पूरक	12,70,00.00 15,00,00.00	27,70,00.00	16,60,00.00 (-) 11,10,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-80.101.0101.5398-स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में दी गई छूट की प्रतिपूर्ति	मूल	25,00.00	25,00.00	42.84 (-) 24,57.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-80.101.0101.7313-टैरिफ अनुदान	मूल पुनर्वि.	20,00,00.00 (-) 7,83,20.39	12,16,79.61	12,15,20.00 (-) 1,59.61	₹ 7,83,20.39 लाख के प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0101.5381-इंदिरा कृषि ज्योति योजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 10,00,00.00	10,40,00.00	10,40,00.00 0.00	प्रावधान ₹ 10,00,00.00 लाख की वृद्धि (पुनर्विनियोजन द्वारा) इंदिरा किसान ज्योति योजना (₹ 5,00,00.00 लाख) में टैरिफ सब्सिडी योजना के तहत 10 एच.पी. से कम किसानों को शामिल करने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(4) विद्युत ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्त्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा सरंक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष “0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों” में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष “2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण” को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

इस निधि में 01 अप्रैल 2019 को ₹ 21,79,59.62 लाख का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान कोई भी राशि निधि में जमा नहीं की गई एवं निधि से कोई भी राशि व्यय की गई। 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 21,79,59.62 लाख के अंतशेष था।

इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष “8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2019-20 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

प्रभारित

- (5) ₹ 7,20,12.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2045-103.3218-म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण	मूल	5,20,12.59	5,20,12.59	0.00	(-) 5,20,12.59 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-80.101.2361-समाधान योजना	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	0.00	(-) 2,00,00.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 11,62,29.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-02.190.0101.5332-मध्यप्रदेश पॉवरजनरेटिंग कंपनी के वर्तमान विद्युत	मूल	36,00.00	36,00.00	0.00	(-) 36,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-02.190.0101.7253-अमरकंटक ताप विद्युतगृह विस्तार ईकाई 1 गुना 250 मेगावाट	मूल	62,48.00	62,48.00	0.00	(-) 62,48.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-02.190.0101.7254-सारणी ताप विद्युतगृह विस्तार ईकाई 1 गुना 660 मेगावाट	मूल 60,20.00	60,20.00	0.00 (-) 60,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-05.190.1202.1949-ए.डी.बी. सहायित बाह्य पोषित पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु अंशांपूंजी	मूल 6,02.00	6,02.00	0.00 (-) 6,02.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-05.190.0410.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल 1,92,57.90	1,92,57.90	0.00 (-) 1,92,57.90	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-05.190.0103.0663-मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना	मूल 26,73.28	26,73.28	0.00 (-) 26,73.28	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-05.190.0102.0663-मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना	मूल 40,09.92	40,09.92	0.00 (-) 40,09.92	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-05.190.0101.0663-मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना	मूल 1,00,24.80	1,00,24.80	0.00 (-) 1,00,24.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-05.190.0101.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल 60,00.00	60,00.00	35,00.00 (-) 25,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.5488-विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण	मूल 40,00.00	40,00.00	0.00 (-) 40,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.1203.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल 3,80.80	3,80.80	58.52 (-) 3,22.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.1202.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल 3,33.20	3,33.20	51.20 (-) 2,82.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.1201.1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल 60,00.00	60,00.00	48,00.00 (-) 12,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.1201.5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	मूल 42,00.00	42,00.00	15,86.43 (-) 26,13.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-190.0103.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,23,43.00	1,23,43.00	19,00.00	(-) 1,04,43.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.0102.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,90,11.00	1,90,11.00	48,00.00	(-) 1,42,11.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.0101.5336-विद्युत ग्रहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-190.0101.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,35,81.10	1,35,81.10	58,00.00	(-) 77,81.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-205.1203.7255-33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	मूल	16,00.00	16,00.00	64.98	(-) 15,35.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-205.1202.7255-33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	मूल	24,00.00	24,00.00	94.41	(-) 23,05.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-205.1201.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	मूल	16,66.00	16,66.00	2,56.02	(-) 14,09.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6801-205.1201.7255-33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	मूल	60,00.00	60,00.00	2,36.03	(-) 57,63.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,25,67,39,21			
पूरक	41,05,72	2,26,08,44,93	1,50,20,98,62	(-) 75,87,46,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (11, 30, 31 मार्च 2020)				75,83,34,49

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	40,00			
पूरक		40,00	3,44	(-) 36,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				36,56

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र अट्ठाईस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 41,05.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 75,87,46.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 75,83,34.49 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.1201.0733- ग्रीन कृषि	मूल पुनर्वि.	2,55.51 (-) 2,55.51	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार द्वारा ग्रीन कृषि योजना के तहत फण्ड जारी नहीं किये जाने के कारण हुआ।
2401-102.0703.7243- कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पुनर्वि.	1,63.17 (-) 1,63.17	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार द्वारा कृषि वानिकी सब मिशन योजना के तहत प्रस्तावित घटकों का अनुमोदन न किये जाने के कारण हुआ।
2401-102.0703.7497- सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	मूल पुनर्वि.	2,33.00 (-) 2,21.92	11.08	11.08	0.00	₹ 2,21.92 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आंशिक रूप से भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 1,26.67 लाख), कटौती की राशि जारी नहीं किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 90.00 लाख) के कारण हुआ। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0703.7498- सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	16,54.05 (-) 13,35.44	3,18.61	3,18.61	0.00	₹ 13,35.44 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आंशिक रूप से भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 2,49.26 लाख) कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई (₹ 10,35.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-102.0703.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	9,72.75 (-) 9,72.75	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आंशिक रूप से भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 8,36.75 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई (₹ 1,36.00 लाख)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0702.7243- कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पुनर्वि.	1,21.00 (-) 1,21.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से कृषि वानिकी उप मिशन योजना के तहत प्रस्तावित घटकों का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0702.7496- सब मिशन क्लाइमेट चैंज एण्ड स्टनेबल एग्रीकल्यार मॉनिटरिंग मॉडलिंग एण्ड नेटवर्किंग	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0702.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	12,65.00 (-) 12,65.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 10,86.50 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 1,78.50 लाख) के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7243- कृषि वानिकी सब मिशन	मूल पुनर्वि.	4,46.00 (-) 4,46.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार द्वारा कृषि वानिकी सब मिशन योजना के तहत प्रस्तावित घटकों का अनुमोदन न किये जाने के कारण हुआ।
2401-102.0701.7497- सब मिशन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट	मूल पुनर्वि.	9,26.98 (-) 9,14.87	12.11	12.11	0.00	₹ 9,14.87 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 6,06.00 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 3,08.87 लाख) के कारण हुई।
2401-102.0701.7498- सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेटमेंट	मूल पुनर्वि.	53,44.00 (-) 31,32.70	22,11.30	22,11.30	0.00	₹ 31,32.70 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 2,51.57 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 28,81.13 लाख) के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0701.7499- सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	64,10.30 (-) 57,08.83	7,01.47	7,01.47	0.00	₹ 57,08.83 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 16,67.41 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई (₹ 38,50.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-102.0701.7717- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-) 35,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 35,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 29,64.50 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई (₹ 5,35.50 लाख)।
2401-105.0703.1227- परम्परागत खेती विकास योजना	मूल पुनर्वि.	11,42.90 (-) 5,50.96	5,91.94	5,91.94	0.00	₹ 5,50.96 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी नहीं किये जाने के कारण एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई (₹ 5,25.00 लाख)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-105.0703.1229- स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना	मूल पुनर्वि.	7,97.92 (-) 7,40.68	57.24	57.24	0.00	₹ 7,40.68 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 6,29.32 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-105.0702.1229- स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना	मूल पुनर्वि.	8,95.75 (-)8,54.44	41.31	41.31	0.00	₹ 8,54.44 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 6,80.27 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-108.0702.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अप्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	21,53.17 (-)18,98.58	2,54.59	2,54.59	0.00	₹ 18,98.58 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 7,89.56 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 11,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-108.0701.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अप्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	46,15.00 (-) 30,67.20	15,47.80	15,47.80	0.00	₹ 30,67.20 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 25,78.67 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 4,50.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-109.0701.7493- नेशनल ई गर्वनेंस प्लान	मूल पुनर्वि.	2,35.00 (-) 2,35.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0701.7494-सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लार्निंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	72,86.58 (-) 60,16.05	12,70.53	12,70.53	0.00	₹ 60,16.05 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 23.85 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 56,40.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-109.0103.7670-कृषि महोत्सव	मूल पुनर्वि.	1,73.06 (-) 1,73.06	0.00	0.00	0.00	₹ 1,73.06 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 1,66.67 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-109.0102.7670-कृषि महोत्सव	मूल पुनर्वि.	1,94.17 (-) 1,94.17	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 1,86.55 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-109.0101.7670-कृषि महोत्सव	मूल पुनर्वि.	3,72.79 (-) 3,72.79	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 3,36.42 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0101.9474- कृषक बन्धु	पूरक पुनर्वि.	1,16.44 (-) 1,16.44	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-113.0703.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आवंटन विलम्ब से प्राप्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-113.0702.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आवंटन विलम्ब से प्राप्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-113.0701.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-) 2,99.10	0.90	0.90	0.00	₹ 2,99.10 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से आवंटन विलम्ब से प्राप्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-800.0801.0908- कृषि संगणना	मूल पुनर्वि.	8,77.94 (-) 8,37.91	40.03	40.03	0.00	₹ 8,37.91 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-800.0801.5311- लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना	मूल पुनर्वि.	7,85.67 (-) 7,85.59	0.08	0.00	(-) 0.08	₹ 7,85.59 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती की राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 7,79.90 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	75,82.30 (-) 64,67.01	11,15.29	11,15.29	0.00	₹ 64,67.01 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान अनुसार राशि प्राप्त न होने (₹ 20,00.00 लाख), कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 44,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-800.0103.2343- कृषक समृद्धि योजना	मूल पुनर्वि.	2,50,00.00 (-) 2,48,98.40	1,01.60	1,01.60	0.00	₹ 2,48,98.40 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 2,45,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-800.0103.5319- मुख्यमंत्री फल ऋण माफी योजना	मूल पुनर्वि.	12,80,00.00 (-) 6,38,08.71	6,41,91.29	6,41,91.29	0.00	₹ 6,38,08.71 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 6,35,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-800.0103.5321- भावांतर /फ्लोट रेट योजना	मूल पुनर्वि.	2,80,00.00 (-) 2,80,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 2,50,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0102.2343- कृषक समृद्धि योजना	मूल पुनर्वि.	3,50,00.00 (-) 3,46,83.68	3,16.32	3,16.32	0.00	₹ 3,46,83.68 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 3,46,50.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-800.0102.5319- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	मूल पुनर्वि.	18,40,00.00 (-) 10,06,83.29	8,33,16.71	8,33,16.71	0.00	₹ 10,06,83.29 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 9,90,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-800.0102.5321- भावांतर/फ्लेट रेट योजना	मूल पुनर्वि.	1,57,00.00 (-) 1,57,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 1,55,60.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-800.0101.2343- कृषक समृद्धि योजना	मूल पुनर्वि.	10,00,00.00 (-) 9,99,16.99	83.01	83.01	0.00	₹ 9,99,16.99 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 9,99,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0101.5319- मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	मूल पुनर्वि.	48,80,00.00 (-) 24,23,56.84	24,56,43.16	24,56,43.16	0.00	₹ 24,23,56.84 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 16,00,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2401-800.0101.5321- भावांतर/फ्लेट रेट योजना	मूल पुनर्वि.	6,83,00.00 (-) 2,60,15.82	4,22,84.18	4,22,84.18	0.00	₹ 2,60,15.82 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 73,40.00 लाख (पुनर्विनियोजन) की वृद्धि एवं ₹ 3,33,55.82 लाख (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने (₹ 3,30,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-80.101.0101.5855- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/क्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	8,19,23.00 (-) 6,69,23.00	1,50,00.00	1,50,00.00	0.00	₹ 6,69,23.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः कटौती राशि जारी न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने (₹ 6,65,00.00 लाख) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-110.0101.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	12,27,74.33 6,56,65.53	18,84,39.86	18,84,39.86 0.00	₹ 6,56,65.53 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 8,19,50.00 लाख (पुनर्विनियोजन) की वृद्धि एवं ₹ 1,62,84.47 लाख (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि इस शीर्ष के अंतर्गत फण्ड की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के करण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

- (5) ₹ 36.56 की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-001.0119- अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमल)	मूल पुनर्वि.	30.00 (-) 27.88	2.12	2.12 0.00	₹ 27.88 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन

(मुख्य शीष— 2059-लोक निर्माण कार्य, 2403-पशुपालन, 4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,55,28,68			
पूरक	10,17,99	11,65,46,67	9,83,57,21	(-) 1,81,89,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	7,86	17,86	10	(-) 17,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,18,00			
पूरक	0	17,18,00	4,07,06	(-) 13,10,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र चालीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 10,17.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,81,89.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.5393-डेरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-101.0701.1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल	4,77.45	4,77.45	2,54.58	(-) 2,22.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-101.0101.5007-पशु औषधालय	मूल	1,10,12.23	1,10,12.23	97,42.28	(-) 12,69.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-102.2568-पशु प्रदर्शनी	मूल	2,01.82	2,01.82	0.23	(-) 2,01.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-102.0701.1930-एफ.एम.डी.सी.पी. कार्यक्रम	मूल	48,13.70	48,13.70	23,48.15	(-) 24,65.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-102.0103.7153-गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन	मूल	29,13.03	29,13.03	21,56.42	(-) 7,56.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-102.0101.5418-सार्टेड सेक्सड सीमेन परियोजन	मूल	12,42.00	12,42.00	0.00	(-) 12,42.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-102.0101.7149-बडे पशुओं का उत्प्रेरण	मूल	4,75.98	4,75.98	2,62.15	(-) 2,13.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-102.0101.7153-गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन	मूल	72,82.59	72,82.59	53,89.46	(-) 18,93.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2403-102.0101.7482-गौ अभ्यारण अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	मूल	5,54.58	5,54.58	3,06.51	(-) 2,48.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-103.3578-मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्र	मूल पूरक	19,51.84 1,17.26	20,69.10	17,38.76	(-) 3,30.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-103.0101.7112-छोटे पशुओं एवं कुक्कुट का उत्प्रेरण	मूल	1,00.02	1,00.02	55.98	(-) 44.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-106.0103.7112-छोटे पशुओं एवं कुक्कुट का उत्प्रेरण	मूल	3,27.35	3,27.35	1,87.54	(-) 1,39.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-106.0103.7149-बड़े पशुओं का उत्प्रेरण	मूल	1,55.40	1,55.40	81.90	(-) 73.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-106.0102.4082-वत्स पालन प्रोत्साहन कार्यक्रम	मूल	1,56.86	1,56.86	81.39	(-) 75.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-106.0102.7112-छोटे पशुओं एवं कुक्कुट का उत्प्रेरण	मूल	4,30.10	4,30.10	2,47.72	(-) 1,82.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-106.0102.7149-बड़े पशुओं का उत्प्रेरण	मूल	1,43.70	1,43.70	76.59	(-) 67.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-107.0701.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल	9,17.01	9,17.01	4,57.26	(-) 4,59.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-109.9512-मण्डला में वेटनरी डिप्लोमा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना	पूरक	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-109.0103.2293-गोकुल महोत्सव	मूल	68.00	68.00	8.62	(-) 59.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-109.0102.2293-गोकुल महोत्सव	मूल	88.00	88.00	9.47	(-) 78.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-109.0101.2293-गोकुल महोत्सव	मूल	2,76.00	2,76.00	29.24	(-) 2,46.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2403-109.0101.6295-डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधिया	मूल	5,50.00	5,50.00	4,40.00	(-) 1,10.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-800.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	44,00.00	44,00.00	33,88.59	(-) 10,11.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-800.0101.2087-आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना	मूल	14,49.62	14,49.62	11,59.69	(-) 2,89.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2403-001.0101.6595-गोपाल पुरस्कार योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	4,47.77	+ 47.77	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-101.0103.7647-109-चलित पशु कल्याण सेवायें	मूल	2,34.80	2,34.80	3,50.72	+ 1,15.92	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-101.0102.7647-109-चलित पशु कल्याण सेवायें	मूल	2,27.33	2,27.33	3,42.75	+ 1,15.42	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2403-101.0101.7647-109-चलित पशु कल्याण सेवायें	मूल	8,37.35	8,37.35	11,08.00	+ 2,70.65	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(5) ₹ 17.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 14—पशुपालन समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.4297- संचालनालय स्तर	मूल पूरक	10.00 7.86	17.86	0.10	(-) 17.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 13,10.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0701.1926- पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण	मूल	2,85.00	2,85.00	0.00	(-) 2,85.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4403-101.0103.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00	(-) 1,25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-101.0102.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल	2,20.00	2,20.00	0.00	(-) 2,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-101.0102.6750- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल	58.00	58.00	20.25	(-) 37.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4403-101.0101.5093- पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	मूल	2,92.00	2,92.00	1,35.42	(-) 1,56.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-101.0101.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल	2,50.00	2,50.00	26.91	(-) 2,23.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 15—तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2			
पूरक	0	2	0	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4404-डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,78,05			
पूरक	0	99,78,05	79,90,62	(-) 19,87,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,95			
पूरक	5,22	20,17	17,16	(-) 3,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,15,00			
पूरक	0	1,15,00	0	(-) 1,15,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र अस्सी प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

(1) ₹ 19,87.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल	48,38.70	48,38.70	39,41.03	(-) 8,97.67	₹ 8,97.67 लाख की बचत कोविड-19 (लॉकडाउन) के कारण सरकार द्वारा खर्च में 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई।
2405-101.0103.3314- मत्स्य बीज उत्पादन	मूल	1,50.86	1,50.86	77.41	(-) 73.45	₹ 73.45 लाख की बचत कोविड-19 (लॉकडाउन) के कारण सरकार द्वारा खर्च में 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई।
2405-101.0102.3314- मत्स्य बीज उत्पादन	मूल	2,42.74	2,42.74	1,39.65	(-) 1,03.09	₹ 1,03.09 लाख की बचत कोविड-19 (लॉकडाउन) के कारण सरकार द्वारा खर्च में 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई।
2405-101.0101.3314- मत्स्य बीज उत्पादन	मूल	8,84.97	8,84.97	6,01.80	(-) 2,83.17	₹ 2,83.17 लाख की बचत कोविड-19 (लॉकडाउन) के कारण सरकार द्वारा खर्च में 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई।
2405-800.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	3,51.37	3,51.37	1,87.34	(-) 1,64.03	₹ 1,64.03 लाख की बचत कोविड-19 (लॉकडाउन) के कारण सरकार द्वारा खर्च में 10 प्रतिशत कटौती के कारण हुई।

प्रभारित

(3) ₹ 3.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल पूरक	14.95 5.22		20.17	17.16 (-) 3.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगतः

दत्तमत

(5) ₹ 1,15.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4405-109.0101.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	68.99	68.99	0.00	(-) 68.99	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,62,59,80			
पूरक	0	13,62,59,80	3,83,61,04	(-) 9,78,98,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,78,88,02

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	60			
पूरक	0	60	0	(-) 60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				60

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,48,86,43			
पूरक		11,48,86,43	1,17,79,88	(-) 10,31,06,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				10,31,06,55

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र बत्तीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 9,78,98.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 9,78,88.02 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0103.2091- मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	14,88.84 (-) 12,28.67	2,60.17	2,60.17	0.00	₹ 12,28.67 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।
2425-107.0103.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	68,01.65 (-) 66,01.65	2,00.00	2,00.00	0.00	₹ 66,01.65 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।
2425-107.0103.9134- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	15,12.16 (-) 13,81.87	1,30.29	1,30.29	0.00	₹ 13,81.87 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आहरण किये जाने एवं प्राकृतिक आपदा के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0103.9254- सहकारी बँकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,11,92.00 (-) 87,28.71	24,63.29	24,63.29	0.00	₹ 87,28.71 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0102.2091- मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	21,40.28 (-) 12,57.32	8,82.96	8,82.96	0.00	₹ 12,57.32 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।
2425-107.0102.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	86,86.64 (-) 80,86.64	6,00.00	6,00.00	0.00	₹ 80,86.64 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।
2425-107.0102.9134- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	21,73.73 (-) 21,73.73	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वास्तविक व्यय के अनुसार आहरण किये जाने एवं प्राकृतिक आपदा के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0102.9254- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,60,88.50 (-) 1,56,17.91	4,70.59	4,70.59	0.00	₹ 1,56,17.91 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0101.2091- मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	56,76.29 (-) 43,13.98	13,62.31	13,62.31	0.00	₹ 43,13.98 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।
2425-107.0101.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	1,54,28.28 (-) 53,11.70	1,01,16.58	1,01,16.58	0.00	₹ 53,11.70 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0101.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	4,26,69.50 (-) 3,92,96.95	33,72.55	33,72.55	0.00	₹ 3,92,96.95 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-800.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	11,07.05 (-) 6,22.92	4,84.13	4,84.13	0.00	₹ 6,22.92 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग से आहरण की छूट प्राप्त न होने एवं मितव्यीयता के तहत बजट सीमित किये जाने के कारण हुआ।

प्रभारित

(3) ₹ 0.60 लाख की सम्पूर्ण बचत, 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।

पुंजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 10,31,06.55 लाख की सम्पूर्ण बचत, 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	13,53.68 (-) 9,06.19	4,47.49	4,47.49	0.00	₹ 9,06.19 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग के द्वारा मितव्यीयता के तहत व्यय को सीमित किये जाने के कारण बिलों का आहरण न किये जाने के कारण हुआ।
4425-107.0103.5318- सहकारी बैंको को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	85,00.00 (-) 85,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 85,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आहरण की अनुमति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
4425-107.0102.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	1,15,00.00 (-) 1,15,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आहरण की अनुमति न होने के कारण हुई।
4425-107.0101.15318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	8,00,00.00 (-) 8,00,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 7,89,23.06 लाख + पुनर्वित्तनियोजन ₹ 10,76.94 लाख) आहरण की अनुमति प्राप्त न होने एवं नाबार्ड के किस्तों के भुगतान होने के कारण हुई।
4425-107.0101.16684- नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूँजी सहायता	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-) 4,75.00	25.00	25.00	0.00	₹ 4,75.00 लाख प्रत्याशित बचत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण हुई।
6425-107.0910.6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	16,85.72 (-) 12,65.28	4,20.44	4,20.44	0.00	₹ 12,65.28 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा मितव्यीयता के तहत व्यय को सीमित किये जाने के कारण विलों का आहरण न किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार तथा कौशल विकास)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,25,94,56			
पूरक	0	9,25,94,56	7,78,87,00	(-) 1,47,07,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2020)				24,15,67

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,71			
पूरक	0	2,71	0	(-) 2,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पचपन प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,47,07.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2020 को केवल ₹ 24,15.67 लाख राशि अभ्यर्पित की गई। ₹ 97,41.56 लाख (₹ 97,39.28 समर्पण + ₹ 2.28 पुनर्विनियोजन) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31.03.2020 के बाद जारी होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किये गये हैं।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 18—श्रम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.102.0791- कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	2,00,23.49 (-) 24,15.67	1,76,07.82	1,56,06.45	(-) 20,01.37	₹ 24,15.67 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.102.2714- प्रशासन	मूल	2,01.79	2,01.79	1,46.81	(-) 54.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.102.3676- राज्य बीमा अस्पताल	मूल	18,70.19	18,70.19	15,48.30	(-) 3,21.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.101.4272- श्रम न्यायालय	मूल	10,85.89	10,85.89	9,23.02	(-) 1,62.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.103.4270- श्रम कल्याण निधि में अंशदान	मूल	2,00.00	2,00.00	55.60	(-) 1,44.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-01.112.0101.2340- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-) 13.73	3,86.27	0.00	(-) 3,86.27	₹ 13.73 लाख का प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.112.0101.2365- मुख्यमंत्री जनकल्याण (नया सवेरा)	मूल	6,41,61.08	6,41,61.08	5,51,59.00	(-) 90,02.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(3) ₹ 2.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	72,61,99,31			
पूरक	1,00,87,70	73,62,87,01	65,77,72,98	(-) 7,85,14,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,00			
पूरक	7,00,00	7,25,00	6,91,57	(-) 33,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,84,80,84			
पूरक		2,84,80,84	1,77,97,28	(-) 1,06,83,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पैसठ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,00,87.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

- (2) ₹ 7,85,14.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0703.2315-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	मूल	40,47.00	40,47.00	0.00	(-) 40,47.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0702.2315-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	मूल	59,63.00	59,63.00	0.00	(-) 59,63.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.110.0701.2315-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	मूल	2,74,90.00	2,74,90.00	1,18,23.01	(-) 1,56,66.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0103.6105-पेशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल	2,33.52	2,33.52	78.61	(-) 1,54.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.110.0102.6105-पेशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल	3,50.26	3,50.26	1,61.97	(-) 1,88.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.110.0101.5719-चिकित्सा अवशिष्टों का विनिष्ठीकरण	मूल पूरक	16,00.00 11,95.00	27,95.00	10,88.00	(-) 17,07.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.110.0101.7880-उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	मूल	6,81.99	6,81.99	2,52.06	(-) 4,29.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.196.0101.1473-जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल पूरक	8,48,99.53 25.00	8,49,24.53	6,73,79.62	(-) 1,75,44.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-03.103.0102.7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	मूल	3,71.41	3,71.41	1,71.99	(-) 1,99.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-03.103.0101.5507-मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	मूल	10,00.06	10,00.06	0.00	(-) 10,00.06	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-03.198.0102.9812- उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल 5,45.42	5,45.42	49.80 (-) 4,95.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.105.0102.2502- परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	मूल 5,49.64	5,49.64	1,03.76 (-) 4,45.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-06.003.0101.4224- शिक्षा और प्रशिक्षण	मूल 2,13.77	2,13.77	28.02 (-) 1,85.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-80.800.0101.2366- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता	मूल 3,24,32.94	3,24,32.94	2,06,62.45 (-) 1,17,70.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(4) ₹ 33.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 1,06,83.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.1702.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल 9,17.34	9,17.34	3,34.82 (-) 5,82.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.0103.1473- जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल 2,50.00	2,50.00	1,10.65 (-) 1,39.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0103.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	20,98.26	20,98.26	13,85.41	(-) 7,12.85 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.0102.7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	38,25.91	38,25.91	10,01.47	(-) 28,24.44 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.0101.1473-जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल	8,05.00	8,05.00	4,14.71	(-) 3,90.29 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-01.110.0101.2283-निदेशन और प्रशासन	मूल	10,05.00	10,05.00	0.00	(-) 10,05.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-02.103.0101.5507-मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-02.104.1402.6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबाई)	मूल	2,20.60	2,20.60	18.74	(-) 2,01.86 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-04.107.0103.5305-इग्स रेग्लेटरी सिस्टम का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-04.107.0102.5305-इग्स रेग्लेटरी सिस्टम का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-04.107.0101.1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)	मूल	4,00.00	4,00.00	1,50.67	(-) 2,49.33 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-04.107.0101.5305-इग्स रेग्लेटरी सिस्टम का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष- 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,11,24,90			
पूरक	25,00,00	6,36,24,90	5,88,41,27	(-) 47,83,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,50,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	4,50,00	5,50,00	2,26,80	(-) 3,23,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				80,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,28,92,66			
पूरक	0	34,28,92,66	23,99,85,56	(-) 10,29,07,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				8,67,70,00

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 47,83.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 9,50.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि. 37,72.61 (-) 1,00.00	36,72.61	33,36.40 (-) 3,36.21	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल 2,54.61	2,54.61	1,49.74 (-) 1,04.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल 1,54.58	1,54.58	1,12.85 (-) 41.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0103.2219-नल कूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल 21,85.56	21,85.56	18,85.70 (-) 2,99.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-01.102.0103.8415-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल 1,45.49	1,45.49	1,02.47 (-) 43.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-01.102.0102.2219-नल कूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि. 40,20.40 (-) 94.80	39,25.60	33,22.02 (-) 6,03.58	₹ 94.80 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) सम्भावित बचत के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.102.0102.7166-हेण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण	मूल	1,04.57	1,04.57	48.81	(-) 55.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-01.102.0102.8415-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल	2,09.14	2,09.14	1,66.96	(-) 42.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-01.102.0101.7166-हेण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण	मूल	2,77.34	2,77.34	1,51.12	(-) 1,26.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0101.8415-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल	5,54.68	5,54.68	3,53.46	(-) 2,01.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-01.192.0101.2181-नगरीय जल प्रदाय योजनाएँ	मूल	7,50.00	7,50.00	88.01	(-) 6,61.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2215-02.107.1249-प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	11,87.72 (-) 55.00	11,32.72	10,40.93	(-) 91.79	₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित (पुनर्विनियोजन के रूप में) संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(5) उचंत लेन देन:—

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2019–20 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष “उचंत” में अस्थाई प्रकृति के लेन–देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन–देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है। उचंत शीर्ष के अन्तर्गत चार उप–खण्ड होते हैं।

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन–देनों की प्रकृति और लेखा कार्य–विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:—

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

- (i) क्रय— राज्य में 1983–84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
- (ii) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।
- (iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम—इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।
- (iv) कार्यशाला उचंत—किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उपशीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे +जमा (-)
2215—जल पूर्ति तथा सफाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 44,10.17	0.00	0.00	(-) 44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	0.00	0.00	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	0.00	0.00	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	0.00	0.00	+ 1,68,42.76

प्रभारित

- (5) ₹ 3,23.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 80.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,00.00 4,50.00 (-) 80.00			2,26.80 (-) 2,43.20	₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत IFMIS में ई-पेमेन्ट की सुविधा अनुउपलब्ध होने से भुगतान न होने के कारण हुई। बचत के अंतिम कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत

(7) ₹ 10,29,07.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 8,67,70.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.101.0101.7221- राज्य जल सहायता संगठन का प्रशासनिक भवन	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-) 1,90.00	10.00	5.52	(-) 4.48	₹ 1,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4215-01.102.0702.9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई. एफ.)	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-) 21,50.00	8,50.00	6,95.69	(-) 1,54.31	₹ 21,50.00 लाख (₹ 17,00.00 लाख समर्पण + ₹ 4,50.00 लाख पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति न होने से व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0423.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	16,00.00 (-) 16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 16,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की प्रगति न होने के कारण व्यय न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0422.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 20,00.00	0.00	0.00	₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की प्रगति न होने के कारण व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0420.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-) 60,00.00	0.00	0.00	₹ 60,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की प्रगति न होने के कारण व्यय न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0103.5468- पेयजल का अधिकार	मूल पुनर्वि.	2,40,00.00 (-) 2,40,00.00	0.00	0.00	₹ 2,40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की प्रगति न होने के कारण व्यय न होने के कारण हुई।
4215-01.102.0102.5468- पेयजल का अधिकार	मूल पुनर्वि.	2,40,00.00 (-) 2,40,00.00	0.00	0.00	₹ 2,40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,10,00.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 30,00.00 लाख) कार्य की प्रगति न होने के कारण व्यय नहीं किये जाने एवं आहरण की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त न होने के कारण हुई।
4215-01.102.0101.5468- पेयजल का अधिकार	मूल पुनर्वि.	5,20,00.00 (-) 5,20,00.00	0.00	0.00	₹ 5,20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 4,18,80.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,01,20.00 लाख) कार्य की प्रगति न होने के कारण व्यय नहीं किये जाने एवं आहरण की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.800.1702.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	34,50.00 (-) 18,50.00	16,00.00	15,99.99	(-) 0.01	₹ 18,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.1701.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,15,50.00 (-) 76,50.00	39,00.00	38,99.79	(-) 0.21	₹ 76,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0702.7486- गुणवत्ता प्रभारित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	2,30.00 4,50.00	6,80.00	6,06.27	(-) 73.73	₹ 4,50.00 लाख के प्रावधान में वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4215-01.102.0103.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	16,00.00 5,60.00	21,60.00	20,82.23	(-) 77.77	₹ 5,60.00 लाख के प्रावधान में वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) बकाया बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4215-01.102.0103.4379- समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 10,40.00	30,40.00	27,44.09	(-) 2,95.91	₹ 10,40.00 लाख के प्रावधान में वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) बकाया बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0102.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	24,00.00	32,40.00	30,99.88	(-) 1,40.12	₹ 8,40.00 लाख के प्रावधान में वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) बकाया बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4215-01.102.0102.4379-समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	28,75.00	40,35.00	38,14.82	(-) 2,20.18	₹ 11,60.00 लाख के प्रावधान में वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) बकाया बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4215-01.102.0101.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	60,00.00	81,00.00	76,29.12	(-) 4,70.88	₹ 21,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन बकाया बिलों के भुगतान के लिए फण्ड की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4215-01.102.0101.4379-समस्या मूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	76,25.00	1,15,25.00	1,03,64.65	(-) 11,60.35	₹ 39,00.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन बकाया बिलों के भुगतान के लिए फण्ड की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4215-01.800.1402.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	48,00.00	76,50.00	75,81.48	(-) 68.52	₹ 28,50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4215-01.800.1401.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,20,00.00	2,36,50.00	2,16,11.11	(-) 20,38.89	₹ 1,16,50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	76,39,50			
पूरक	0	76,39,50	52,73,70	(-) 23,65,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक		5,00,00	1,08,16	(-) 3,91,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 23,65.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.5379- लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना	मूल 3,50.54	3,50.54	2,77.19 (-) 73.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2053-093.1201.7628- सर्व सेवा परियोजना का क्रियान्वयन	मूल 22,73.28	22,73.28	9,25.00 (-) 13,48.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2053-093.0101.6483- अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	मूल	12,10.00	12,10.00	10,89.00	(-) 1,21.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2053-800.1923- मॉय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियाच्यन हेतु अनुदान	मूल	1,60.00	1,60.00	84.00	(-) 76.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल	5,00.00	5,00.00	3,31.00	(-) 1,69.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.7364- जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को अनुदान	मूल	6,36.52	6,36.52	3,94.50	(-) 2,42.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	मूल	1,97.14	1,97.14	1,12.50	(-) 84.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0101.5722- कॉल सेन्टर की स्थापना	मूल	23,00.00	23,00.00	20,60.00	(-) 2,40.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 3,91.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल	5,00.00	5,00.00	1,08.16	(-) 3,91.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217-शहरी विकास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	69,95,97,44			
पूरक	30,54,00	70,26,51,44	35,50,08,27	(-) 34,76,43,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				65,10

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,00			
पूरक	0	50,00	0	(-) 50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,15,77,17			
पूरक	2,33,00,00	15,48,77,17	10,58,24,97	(-) 4,90,52,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00,00			
पूरक	0	15,00,00	0	(-) 15,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र बावन प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधन से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 30,54.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 34,76,43.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 65.10 लाख राशि अभ्यर्पित की गई। ₹ 70,28.99 लाख वित्तीय वष्र की समाप्ति दिनांक 30.04.2020 के बाद जारी होने एवं अपूर्ण विवरण पत्रक (₹ 6,27.30 लाख) भेजे जाने एवं वांछित जानकारी निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया (₹ 64,01.69लाख)।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.5465- गैस त्रासदी राहत चिकित्सालयों का अनुरक्षण कार्य	मूल 1,59.13	1,59.13	58.55 (-) 1,00.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2059-01.800.9083- शौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण	मूल 1,90.93	1,90.93	93.69 (-) 97.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-01.001.0101.1021- क्षेत्रों का सौन्दर्यकरण आदि	मूल 6,36.52	6,36.52	3,69.09 (-) 2,67.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.001.0101.2621- विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना	मूल 2,60.42	2,60.42	1,06.51 (-) 1,53.91	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 1.00 लाख) का आवर्धन एवं कमी किया गया। वृद्धि इस शीर्ष के अंतर्गत कम फण्ड का आवंटन किये जाने एवं कमी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान कम व्यय किये जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिकय+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	18,18.63	18,18.63	10,49.96	(-) 7,68.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0703.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	8,40,00.00	8,40,00.00	1,83,49.76	(-) 6,56,50.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0702.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	9,24,00.00	9,24,00.00	1,62,91.90	(-) 7,61,08.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020) इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0701.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	24,36,00.00	24,36,00.00	9,85,48.22	(-) 14,50,51.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0103.5373- युवा स्वाभिमान योजना	मूल	24,00.00	24,00.00	0.00	(-) 24,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0102.5373- युवा स्वाभिमान योजना	मूल	33,00.00	33,00.00	14,85.00	(-) 18,15.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.0852- दीनदयाल रसोई घर योजना एकमुश्त सहायता	पूरक	10,00.00	10,00.00	2,29.01	(-) 7,70.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0101.2045- शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का व्याज अनुदान	मूल	4,54.66	4,54.66	99.84	(-) 3,54.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0101.5373-युवा स्वाभिमान योजना	मूल	93,00.00	93,00.00	7,54.00	(-) 85,46.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.6022-मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे	मूल	9,09.31	9,09.31	5,59.90	(-) 3,49.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0101.6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	मूल	5,00.00	5,00.00	1.80.00	(-) 3,20.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0101.7029-राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान	मूल	1,45.49	1,45.49	81.47	(-) 64.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0101.7039-शहरी सुधार कार्यक्रम	मूल	50,00.02	50,00.02	24,30.95	(-) 25,69.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.800.0101.9488-मुख्यमंत्री अद्योसंरचना (फेज-3)	पूरक	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

- (4) ₹ 50.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.6148-नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 2,33,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

- (7) ₹ 4,90,52.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.700.6989-विधान सभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00	(-) 3,50.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-01.051.0101.7715-नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण	मूल	25,00.00	25,00.00	0.00	(-) 25,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-03.190.0703.7705-स्मार्ट सिटी	मूल	38,00.00	38,00.00	28,00.00	(-) 10,00.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-03.190.0702.7705-स्मार्ट सिटी	मूल	50,00.00	50,00.00	32,00.00	(-) 18,00.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-03.190.0701.7705-स्मार्ट सिटी	मूल पूरक	3,00,00.00 1,37,00.00	4,37,00.00	3,80,00.00	(-) 57,00.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-03.190.0101.5372-सुपर मिनी स्मार्ट सिटी	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-) 50,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.1203.1262-म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के.एफ. डब्ल्यू.)	मूल	10,00.00	10,00.00	5,00.00	(-) 5,00.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-60.800.1201.1262-म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के.एफ. डब्ल्यू.)	मूल	20,00.00	20,00.00	10,00.00	(-) 10,00.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.800.1201.7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-) 5,00.00	30,00.00	12,24.30	(-) 17,75.70	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-60.800.0103.5468-पेयजल का अधिकार	मूल	1,80.00	1,80.00	0.00	(-) 1,80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-60.800.0103.7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	55,00.00	55,00.00	19,25.70	(-) 35,74.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.0102.5468-पेयजल का अधिकार	मूल	3,20.00	3,20.00	0.00	(-) 3,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4217-60.800.0101.5468-पेयजल का अधिकार	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6217-05.800.0801.9492-उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय ऋण / सहायता	पूरक	8,00.00	8,00.00	0.00	(-) 8,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6217-60.800.1202.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	63,00.00	63,00.00	41,35.17	(-) 21,64.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6217-60.800.1201.1262-म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के.एफ. डब्ल्यू.)	मूल	26,50.00	26,50.00	13,25.00	(-) 13,25.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6217-60.800.1201.5374-मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2	मूल पूरक	5,00.00 5,00.00	10,00.00	5,00.00	(-) 5,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6217-60.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	1,76,00.00	1,76,00.00	1,34,12.68	(-) 41,87.32 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.800.1201.7711- एम.पी. अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल पुनर्जि.	1,50,00.00 (-) 5,00.00	1,45,00.00	52,50.00	(-) 92,50.00 ₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (9) ₹ 15,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.050.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-) 15,00.00 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र का विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,48,38,37			
पूरक	सांकेतिक	11,48,38,37	10,53,92,60	(-) 94,45,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	55,65,26,33			
पूरक	15,00,00,01	70,65,26,34	59,79,35,56	(-) 10,85,90,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,16,00			
पूरक	0	1,16,00	62,62	(-) 53,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पैसठ प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 94,45.77 लाख की उपलब्ध बचत, ₹ 96,85.89 लाख की अवास्तविक समर्पण लेखे में शामिल नहीं किये गये क्योंकि एक समर्पण स्वीकृति (₹ 80,13.42 लाख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31.03.2020 के बाद 31.07.2020 को जारी किया एवं दूसरी समर्पण स्वीकृति (₹ 16,72.47 लाख) कट ऑफ दिनांक 30.06.2020 के बाद 14.08.2020 को प्राप्त हुआ।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिकाय+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-13.101.0102.2894-बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	4,36.05 (-) 80.00	3,56.05	1,01.80	(-) 2,54.25	₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2700-21.101.0101.2894-बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	2,75.36 (-) 1,38.00	1,37.36	57.36	(-) 80.00	₹ 1,38.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2700-31.101.7050-हाइड्रोलाजी परियोजनायें	मूल पुनर्वि.	11,70.73 (-) 2,49.00	9,21.73	7,37.83	(-) 1,83.90	₹ 2,49.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-33.101.0101.0815-कार्यपालिका स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,01.81 (-) 70.00	10,31.81	6,33.90	(-) 3,97.91	₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-37.101.0101.0815- कार्यपालिका स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,73.39 (-) 1,87.00	86.39	0.00	(-) 86.39	₹ 1,87.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2700-37.101.0101.2894- बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	3,01.66 (-) 2,35.00	66.66	0.00	(-) 66.66	₹ 2,35.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2701-80.001.0275- आवियाना स्थापना	मूल पुनर्वि.	40,64.83 (-) 6,12.00	34,52.83	33,81.33	(-) 71.50	₹ 6,12.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.799.0101.1051- स्टॉक	मूल	2,09.14	2,09.14	5.34	(-) 2,03.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2701-80.799.0101.4056- विवध—लोक निर्माण पेशगियाँ	मूल	72.74	72.74	0.00	(-) 72.74	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2701-80.800.5837- भवनों का अनुरक्षण	मूल	7,83.83	7,83.83	4,42.64	(-) 3,41.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.800.0103.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	1,27.30	1,27.30	13.44	(-) 1,13.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2701-80.800.0102.2250- नहरें तथा तालाबें	मूल पुनर्वि.	22,33.69 (-) 76.00	21,57.69	9,81.36	(-) 11,76.33	₹ 76.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,26.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2701-80.800.0102.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	1,36.40	1,36.40	26.89	(-) 1,09.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2702-80.800.0102.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	24,26.43 (-) 92.98	23,33.45	12,80.58	(-) 10,52.87	₹ 92.98 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2705-223.0701.6544- सिंचाई समितियों को अनुदान एवं अन्य कार्य	मूल	45.00	45.00	0.00	(-) 45.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2705-800.0703.5741- परियोजना प्रशासक जल संसाधन सागर कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ सागर	मूल	92.54	92.54	0.00	(-) 92.54	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2705-800.0701.5779- परियोजना प्रशासक जल संसाधन दतिया कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रदाय	मूल	60.60	60.60	0.00	(-) 60.60	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-28.101.1574- उर्मिल परियोजना	मूल पुनर्वि.	73.00 (-) 18.00	55.00	1,46.07	+ 91.07	₹ 18.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2700-30.101.6507- रंगवान परियोजना	मूल	98.60	98.60	3,06.60	+ 2,08.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2700-36.101.0101.2894- बाँधे तथा नहरें	मूल	1,62.50	1,62.50	3,44.59	+ 1,82.09	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(4) उचंत लेन—देन:—

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2019–20 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किये गये ₹ 5.34 लाख सम्मिलित है। उचंत के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप—शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शोषों सहित नीचे दिया गया हैः—

विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-) 23,09.78	0.00	0.00	(-) 23,09.78
(ii) भण्डार	+ 5,28.29	5.34	0.00	+ 533.63
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 38,11.34	0.00	52.22	+ 3759.12
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 6,64.04	0.00	0.00	+ 6,64.04
योग	+ 26,93.89	5.34	52.22	+ 2647.01

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 10,85,90.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-13.800.0103.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल 1,15,02.00	1,15,02.00	74,09.31	(-) 40,92.69 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-13.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल पुनर्वि. 1,10,17.50 (-) 15,00.00	95,17.50	76,76.24	(-) 18,41.26 ₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-50.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल पुनर्वि.	4,90,00.00 (-) 70,00.00	4,20,00.00	3,19,24.60	(-) 1,00,75.40	₹ 70,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-56.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	64,81.29	(-) 35,18.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-60.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	50,00.00 5,00,00.00 75,00.00	6,25,00.00	3,20,22.86	(-) 3,04,77.14	₹ 75,00.00 लाख का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-68.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 7,05.00	42,95.00	7,10.95	(-) 35,84.05	₹ 7,05.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-70.800.0103.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.0101.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	49,00.00	49,00.00	0.00	(-) 49,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-80.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	पूरक	1,00,00.00	1,00,00.00	49,99.95	(-) 50,00.05 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-80.800.0101.8695- पूर्ण योजनाओं के देनदारियों हेतु	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-83.800.1401.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल पुनर्वि.	5,00,00.00 (-) 1,15,00.00	3,85,00.00	1,23,51.52	(-) 2,61,48.48 ₹ 1,15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-84.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-) 15,00.00	85,00.00	61,69.23	(-) 23,30.77 ₹ 15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-86.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,60,00.00 (-) 25,00.00	1,35,00.00	63,70.06	(-) 71,29.94 ₹ 25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-B4.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	52,00.00 (-) 5,50.00	46,50.00	11,57.63	(-) 34,92.37	₹ 5,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-B9.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-) 2,00.00	98,00.00	62,85.17	(-) 35,14.83	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-C4.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 8,00,00.00 5,00.00	8,05,00.01	0.00	(-) 8,05,00.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख का आवधन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-57.800.0101.2884- नहरें तथा उससे संबंधित कार्य	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-) 10,00.00	60,00.00	27,35.86	(-) 32,64.14	₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.001.1401.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.001.0101.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	60,09.00	60,09.00	0.00	(-) 60,09.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्य (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0102.1910-डिण्डोरी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-) 2,50.00	37,50.00	69.95	(-) 36,80.05	₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0102.1913-हिरवार सूक्ष्म परियोजना	मूल	55,00.00	55,00.00	24,03.07	(-) 30,96.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.0641-साजली मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-) 40,00.00	60,00.00	35,57.90	(-) 24,42.10	₹ 40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.0670-टेम मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 3,00.00	47,00.00	48.72	(-) 46,51.28	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.1907-सतधार्क मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-) 8,00.00	42,00.00	8,70.98	(-) 33,29.02	₹ 8,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-97.800.0102.2897-बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-) 3,50.00	21,50.00	5.00	(-) 21,45.00	₹ 3,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-98.800.0102.2897-बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल	55,00.00	55,00.00	21,55.99	(-) 33,44.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-99.800.0101.2897-बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल	1,30,00.00	1,30,00.00	88,05.46	(-) 41,94.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-A6.800.0101.2884-नहरें तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4705-218.0701.2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम, डिफिशेयेन्सी, डेन एवं अन्य कार्य	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4711-01.103.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4711-01.800.0101.9194-पायरा बाढ़ नियंत्रण परियोजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	30,00.00 1,00,00.00 (-) 2,20.00	1,27,80.00	5,65,45.83	+ 4,37,65.83	₹ 2,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-11.800.0101.6596- सुधार सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल	0.01	0.01	3,09.95	+ 3,09.94	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-20.800.0101.6596- सुधार सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल पुनर्वि.	0.01 2,00.00	2,00.01	3,99.91	+ 1,99.90	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-24.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,08.33 3,50.00	4,58.33	5,82.12	+ 1,23.79	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,50.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-39.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	15,00.00 16,00.00	31,00.00	85,99.41	+ 54,99.41	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 16,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-54.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	10,00.00 40,00.00	50,00.00	67,78.39	+ 17,78.39	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 40,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4700-56.800.0102.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	1.00	1.00	1,39,94.05	+ 1,39,93.05	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-61.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	0.01	0.01	2,00.56	+ 2,00.55	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-69.800.1401.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	2,00.00 10,00.00	12,00.00	28,39.99	+ 16,39.99	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-69.800.0103.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	1.00	1.00	14,06.65	+ 14,05.65	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-78.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	25,00.00 51,50.00	76,50.00	2,02,48.72	+ 1,25,98.72	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 51,50.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 60,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8,50.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान एवं कमी कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4700-86.800.0103.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल	1.00	1.00	38,92.66	+ 38,91.66	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-88.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल	20,00.00	20,00.00	42,12.98	+ 22,12.98	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-C1.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	5,00.00 1,25,00.00	1,30,00.00	2,64,57.80	+ 1,34,57.80	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,25,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-C3.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-) 10,00.00	90,00.00	4,18,05.18	+ 3,28,05.18	₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) निर्माण कार्य के प्रगति के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-36.800.0101.7076- माचक नहर विस्तार	मूल	0.01	0.01	1,15.29	+ 1,15.28	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-40.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	0.01 1,65.00	1,65.01	3,95.65	+ 2,30.64	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,65.00 लाख का आवधन भू-अर्जन के लिए किसानों को मुआवजा देने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-54.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	0.01 3,50.00	3,50.01	13,39.97	+ 9,89.96	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,50.00 लाख का आवधन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-56.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	0.01 50.00	50.01	45.00	(-) 5.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 50.00 लाख का आवधन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-57.800.0103.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	1.00	1.00	5,79.79	+ 5,78.79	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-62.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	0.01 50.00	50.01	44.22	(-) 5.79	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 50.00 लाख का आवधन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4701-69.800.1401.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	0.01	0.01	1,95.47	+ 1,95.46	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.800.0101.1905- कैथ मध्य सिंचाइ परियोजना	मूल	25,00.00	25,00.00	52,91.38	+ 27,91.38	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.800.0101.5583- सेमरी तालाब	मूल	0.01	0.01	1,99.46	+ 1,99.45	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.800.0101.5586- बनेठा मध्यम परियोजना	मूल	0.01	0.01	2,88.00	+ 2,87.99	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.800.0101.5587- घांघरा मध्यम परियोजना	मूल	0.01	0.01	49.96	+ 49.95	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.800.0101.5589- रेहटी मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	0.01 25.00	25.01	93.65	+ 68.64	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-80.800.0101.6598- दतुनी मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	0.01 1,85.00	1,85.01	2,81.42	+ 96.41	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,85.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-89.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	0.01 3,00.00	3,00.01	2,99.43	(-) 0.58	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-A5.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	30,00.00	30,00.00	68,69.98	+ 38,69.98	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4701-B2.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	25,00.00 10,00.00	35,00.00	49,33.50	+ 14,33.50	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4705-204.0701.2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम, डिफिशेयेन्सी, डेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	8,00.00 13,50.00	21,50.00	17,00.02	(-) 4,49.98	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 13,50.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4705-211.0701.2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम, डिफिशेयेन्सी, डेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	50.00 4,00.00	4,50.00	4,00.00	(-) 50.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 4,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4705-213.0701.2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम, डिफिशेयेन्सी, डेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	50.00 11,00.00	11,50.00	11,50.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 11,00.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई।
4705-219.0702.2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम, डिफिशेयेन्सी, डेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 2,50.00	3,50.00	3,40.00	(-) 10.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,50.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4711-01.800.0101.9229-सीहोर जिला की बाढ़ नियंत्रण योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	4,49.79	+ 2,49.79	अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(8) उचंत लेन—देन:-

इस अनुदान के पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में “उचंत” के अंतर्गत 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। “उचंत” के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)22,89.29	0.00	0.00	(-)22,89.29
(ii) भण्डार	+ 40,22.86	0.00	0.00	+ 40,22.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,87.16	0.00	0.00	+ 11,87.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)2,11.06	0.00	0.00	(-)2,11.06
योग	+ 27,09.67	0.00	0.00	+ 27,09.67
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

प्रभारित

- (9) ₹ 53.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.1833-डिक्री धन का भुगतान भारित	मूल 1,00.00	1,00.00	57.30 (-) 42.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल

(मुख्य शीर्ष- 3053-नागर विमानन, 3054-सङ्केत तथा सेतु, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सङ्केत और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,22,39,15			
पूरक	1,50,00,00	13,72,39,15	11,34,22,93	(-) 2,38,16,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	69,29,69,05			
पूरक	4,50,00,01	73,79,69,06	61,51,08,08	(-) 12,28,60,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,20,00,00			
पूरक	0	3,20,00,00	0	(-) 3,20,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,38,16.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 39,74.11 लाख राशि अभ्यर्पित की गई लेकिन समर्पण स्वीकृति वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31.03.2020 के बाद दिनांक 06.06.2020 को जारी होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-01.337.0101.0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल	17,12.04	17,12.04	8,24.33	(-) 8,87.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-03.337.0103.0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल	10,91.17	10,91.17	8,00.00	(-) 2,91.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-03.337.0102.0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल	13,63.97	13,63.97	11,78.70	(-) 1,85.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0103.0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल	18,18.62	18,18.62	6,48.67	(-) 11,69.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0102.0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल	1,37,29.49	1,37,29.49	96,54.07	(-) 40,75.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3054-04.800.0103.7081-मुख्य जिला मार्गी तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	पूरक	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3054-04.800.0102.7081-मुख्य जिला मार्गी तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पूरक	54,55.87 30,00.00	84,55.87	52,15.08	(-) 32,40.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-04.800.0101.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पूरक	1,74,58.77 1,00,00.00	2,74,58.77	1,99,17.10 (-) 75,41.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.3300- मण्डल स्थापना	मूल	28,98.79	28,98.79	25,71.35 (-) 3,27.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल	62,15.05	62,15.05	49,21.72 (-) 12,93.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.3914- वास्तुकला स्थापना	मूल	4,10.71	4,10.71	2,15.80 (-) 1,94.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 4,50,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 12,28,60.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 10,34,69.98 लाख राशि अभ्यर्पित की गई लेकिन समर्पण स्वीकृति वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक 31.03.2020 के बाद दिनांक 06.06.2020 को जारी होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.4727- हवाई पटियों का निर्माण एवं विस्तार	मूल	10,00.00	10,00.00	5,26.01 (-) 4,73.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-03.101.1403.5225- पुलों का निर्माण (नाबाड़)	मूल	15,00.00	15,00.00	2,92.99 (-) 12,07.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.101.1402.5225- पुलों का निर्माण (नाबाड़)	मूल	50,00.00	50,00.00	15,31.31 (-) 34,68.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.1201.2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल	1,31,14.75	1,31,14.75	91,11.60	(-) 40,03.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.101.0103.4149-वृहद् पुलों का निर्माण	मूल	24,32.44	24,32.44	4,33.03	(-) 19,99.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-03.337.1203.5337-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	मूल	56,00.00	56,00.00	0.00	(-) 56,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)
5054-03.337.1201.5003-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित)	मूल	6,50,88.00	6,50,88.00	4,87,00.00	(-) 1,63,88.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-03.337.1201.5337-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	मूल	2,24,00.00	2,24,00.00	0.00	(-) 2,24,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)
5054-03.337.0803.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल	1,30,00.00	1,30,00.00	48,39.90	(-) 81,60.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.337.0802.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक	20,00.00 20,00.00	40,00.00	21,39.49	(-) 18,60.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.337.0801.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक	4,50,00.00 1,80,00.00	6,30,00.00	4,02,46.58	(-) 2,27,53.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.337.0103.5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	मूल	48,00.00	48,00.00	7,44.08	(-) 40,55.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-04.800.1403.5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबाड़ी)	मूल	10,00.00	10,00.00	4,85.52	(-) 5,14.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-04.800.1401.5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबाड़ी)	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	84,78.59	(-) 35,21.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत और पुल जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
5054-04.800.0423.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सङ्को सहित)	मूल	20,00.00	20,00.00	37.74	(-) 19,62.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-04.800.0103.4557- सुदृढ़ीकरण	मूल	35,00.00	35,00.00	9,13.08	(-) 25,86.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-04.800.0102.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सङ्को सहित)	मूल पूरक	2,10,00.00 21,00.00	2,31,00.00	1,84,85.55	(-) 46,14.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-04.800.0102.4416- सर्वेक्षण	मूल	2,76.00	2,76.00	59.01	(-) 2,16.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-04.800.0101.4557- सुदृढ़ीकरण	मूल पूरक	2,70,00.00 50,00.00	3,20,00.00	2,53,52.96	(-) 66,47.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-04.800.0101.7088- सर्वेक्षण कार्य	मूल	12,00.00	12,00.00	1,40.77	(-) 10,59.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-05.337.1202.7368- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सङ्क निर्माण)	मूल पूरक	80,00.00 21,00.00	1,01,00.00	79,91.87	(-) 21,08.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
5054-03.337.1203.0837- म.प्र. सङ्क विकास कार्यक्रम (एन.डी.बी.)	मूल	96,00.00	96,00.00	1,53,99.99	+ 57,99.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-03.337.1202.0837- म.प्र. सङ्क विकास कार्यक्रम (एन.डी.बी.)	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	1,91,90.00	+ 71,90.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5054-03.337.1201.0837- म.प्र. सङ्क विकास कार्यक्रम (एन.डी.बी.)	मूल	3,84,00.00	3,84,00.00	4,80,00.00	+ 96,00.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल समाप्त

(8) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिदष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800 'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

प्रभारित

- (9) ₹ 3,20,00.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल 20,00.00	20,00.00	0.00 (-) 20,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)
5054-80.800.0103.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल 48,00.00	48,00.00	0.00 (-) 48,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020) इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-80.800.0102.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल 60,00.00	60,00.00	0.00 (-) 60,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020) इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-80.800.0101.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल 1,92,00.00	1,92,00.00	0.00 (-) 1,92,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020) इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	47,70,51			
पूरक	0	47,70,51	38,44,46	(-) 9,26,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,02,05,00			
पूरक	0	7,02,05,00	7,01,14,00	(-) 91,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,08,50,00			
पूरक	0	3,08,50,00	1,06,02	(-) 3,07,43,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र बावन प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 9,26.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.102.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	मूल पुनर्वि. 16,00.22 (-)28.20	15,72.02	9,79.15 (-) 5,92.87	₹ 28.20 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (3) ₹ 91.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 3,07,43.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.004.0420.2713- प्रयोगशाला स्थापना	मूल 1,00.00	1,00.00	2.29 (-) 97.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.800.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	मूल	7,50.00	7,50.00	1,03.73	(-) 6,46.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4853-01.800.1703.5453- जिला मार्झनिंग फण्ड (जिला स्तर) से अधोसंरचना कार्य	मूल	51,00.00	51,00.00	0.00	(-) 51,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4853-01.800.1702.5453- जिला मार्झनिंग फण्ड (जिला स्तर) से अधोसंरचना कार्य	मूल	69,00.00	69,00.00	0.00	(-) 69,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4853-01.800.1701.5453- जिला मार्झनिंग फण्ड (जिला स्तर) से अधोसंरचना कार्य	मूल	1,80,00.00	1,80,00.00	0.00	(-) 1,80,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,83,83,19			
पूरक	2,00,00	1,85,83,19	1,35,19,44	(-) 50,63,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	42,30,03			
पूरक	0	42,30,03	12,53,90	(-) 29,76,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र छप्पन प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 2,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 50,63.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल	9,19.94	9,19.94	7,60.72	(-) 1,59.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.0687- भवन एवं कला केन्द्रों की स्थापना / उन्नयन	मूल	4,54.66	4,54.66	1,89.13	(-) 2,65.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.6379- संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	मूल	3,61.14	3,61.14	2,07.27	(-) 1,53.87	इस शीर्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि ₹ 0.75 लाख की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.9061- शोर्य स्मारक हेतु प्रादेशी का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	मूल	2,04.60	2,04.60	98.27	(-) 1,06.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	2,72.80	2,72.80	1,71.86	(-) 1,00.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.5690- धर्मपाल शोधपीठ	मूल	45.47	45.47	0.00	(-) 45.47	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.5705- विक्रमादित्य शोधपीठ	मूल	54.56	54.56	0.00	(-) 54.56	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.5753- समारोह के आयोजन हेतु अनुदान	मूल	13,95.79	13,95.79	11,08.47	(-) 2,87.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.7060- सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	मूल	9,09.32	9,09.32	7,27.45	(-) 1,81.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.7067- संस्कृति भवनों का निर्माण	मूल	3,18.26	3,18.26	0.00	(-) 3,18.26	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-102.0101.7073- म.प्र. संस्कृति परिषद	मूल	34,55.38	34,55.38	27,64.30	(-) 6,91.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-103.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	15,53.18 13.37	15,66.55	11,85.61	(-) 3,80.94	₹ 13.37 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मांग अनुसार बजट का आवंटन न किया जाना, विश्व धरोहर दिवस एवं विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदर्शनियों का आयोजन, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लालपरेड ग्राउण्ड भोपाल में होने वाले मुख्य समारोह में विभागीय झांकी का चलित प्रदर्शन किया जाने के कारण था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-103.0101.0758- कंजर्वेशन एवं संवर्धन	मूल पुनर्वि.	17,44.01 (-) 13.37	17,30.64	12,04.84	(-) 5,25.80	₹ 13.37 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 21.52 लाख की कमी एवं ₹ 8.15 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत एवं कोषालय द्वारा देयकों पर आपत्ति दिये जाने के कारण यह कार्य अन्य मद से किया गया, वृद्धि कोषालय द्वारा देयकों पर आपत्ति दिये जाने के कारण यह कार्य इस मद से किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-104.0101.4283- संग्रहालय	मूल	1,35.89	1,35.89	0.00	(-) 1,35.89	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2205-107.0102.6464- स्मारकों/संग्रहालयों की स्थापना, अनुरक्षण एवं विकास	मूल	10,91.17	10,91.17	8,72.94	(-) 2,18.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-107.0101.4283- संग्रहालय	मूल	11,29.35	11,29.35	8,69.72	(-) 2,59.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 29,76.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.7721- टेगौर कला केन्द्रों की स्थापना	मूल	8,00.00	8,00.00	3,17.17	(-) 4,82.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-04.800.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.5685- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-04.800.0101.6867- आजाद स्मृति मंदिर स्मारक	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-04.800.0101.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-04.800.0101.8001- वीर भारत योजना	मूल	3,60.00	3,60.00	0.00	(-) 3,60.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-04.800.0101.9052- शहीदों की स्मृति में स्मारक निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-04.800.0101.9061- शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,47,78,93,61			
पूरक	14,34,82,00	1,62,13,75,61	1,50,02,60,24	(-) 12,11,15,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				41,04

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,70,67,35			
पूरक	1,77,00,00	7,47,67,35	6,68,33,34	(-) 79,34,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सङ्गठन प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 12,11,15.37 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 14,34,82.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 12,11,15.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 41.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.001.1500- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	87,61.55 11.00	87,72.55	76,08.88	(-) 11,63.67	₹ 11.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 12.55 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1.55 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0703.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	12,75,74.16 (-)5,13,00.00	7,62,74.16	7,62,50.97	(-) 23.19	₹ 5,13,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन) का कारण केन्द्रांश की राशि प्राप्ति अनुसार ही आहरण किया गया। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/ कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-01.101.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	17,78,77.67 (-) 6,98,29.81	10,80,47.86	8,74,33.05	(-) 2,06,14.81	₹ 6,98,29.81 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन) का कारण केन्द्रांश की राशि प्राप्ति अनुसार ही आहरण किया गया। अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/ कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-01.101.0103.0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	मूल	2,00.00	2,00.00	40.00	(-) 1,60.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0103.6484- आर.टी.ई के तहत अशासकीय विद्यालयों को टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल	64,83.39	64,83.39	31,96.00	(-) 32,87.39	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0103.6716- नि:शुल्क गणवेश प्रदाय	मूल	9,56.30	9,56.30	5,35.53	(-) 4,20.77	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0102.0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	मूल	3,00.00	3,00.00	1,00.00	(-) 2,00.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0102.6484- आर.टी.ई के तहत अशासकीय विद्यालयों को टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल	1,35,10.18	1,35,10.18	27,52.00	(-) 1,07,58.18	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0102.6716- नि:शुल्क गणवेश प्रदाय	मूल	14,34.45	14,34.45	8,03.29	(-) 6,31.16	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0101.0730 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	मूल	5,00.00	5,00.00	1,78.60	(-) 3,21.40	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0101.0739- शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान एवं मुल्यांकन	मूल	2,90.00	2,90.00	1,80.00	(-) 1,10.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.101.0101.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	43,74,56.50 10,13,58.00 (-) 66.50	53,87,48.00	49,27,81.34	(-) 4,59,66.66	₹ 66.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,73,50.49 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन) एवं ₹ 1,72,83.99 लाख की वृद्धि (पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-01.101.0101.6484- आर.टी.ई के तहत अशासकीय विद्यालयों को टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल	1,00,17.63	1,00,17.63	54,03.00	(-) 46,14.63	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2202-01.101.0101.6716- नि:शुल्क गणवेश प्रदाय	मूल	35,86.15	35,86.15	20,08.24	(-) 15,77.91	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
2202-01.102.0803.6344- मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	मूल	6,80.00	6,80.00	0.00	(-) 6,80.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-01.102.0802.6344- मदरसों में गुणवत्तापरख शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00	(-) 7,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-01.102.0103.9949- अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल	88,12.00	88,12.00	78,61.37	(-) 9,50.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.102.0102.9949- अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल	1,26,88.00	1,26,88.00	1,01,18.57	(-) 25,69.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0101.7617- जबलपुर में विस्थापित भवन निर्माण (पी.एस.एम.परिसर)	मूल	90.93	90.93	0.00	(-) 90.93	बचत का कारण डीपीआर तैयार न होना था।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	11,87,83.63 12,11,29.81	23,99,13.44	23,99,13.42 (-) 0.02	₹ 12,11,29.81 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन का कारण भारत सरकार से प्राप्त अनुपातिक राज्यांश सहित संपूर्ण राशि का आहरण किया गया।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

पूँजीगत:

- (5) ₹ 79,34.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0703.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,08,41.58 (-) 8,41.88	99,99.70	72,94.20	(-) 27,05.50	₹ 8,41.88 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोग के रूप में केन्द्रांश की राशि प्राप्ति अनुसार ही आहरण किया जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-01.201.0103.2068- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अंधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल	3,90.00	3,90.00	1,53.00	(-) 2,37.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
4202-01.201.0102.2068- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अंधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल	4,80.00	4,80.00	2,16.00	(-) 2,64.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
4202-01.201.0101.2068- प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अंधोसंरचना संरक्षण एवं विकास	मूल	33,30.00	33,30.00	9,06.00	(-) 24,24.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
4202-01.201.0101.7733- बालिका छात्रावासों की सुरक्षा एवं चौकीदार रूम	मूल	6,00.00	6,00.00	3,00.00	(-) 3,00.00	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।
4202-04.800.0101.5481- शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सरथानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	2,51.06	(-) 7,48.94	बचत के कारण वित्तीय नियंत्रण एवं मितव्ययता था।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	75,41.96 8,41.88	83,83.84	83,83.83	(-) 0.01	₹ 8,41.88 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवधन भारत सरकार से प्राप्त अनुपातिक राज्यांश सहित संपूर्ण राशि का आहरण किया जाने के कारण हुई।

सर्वप्रथम स्वीकृति आदेश क्र. 567(3) भोपाल, दिनांक 31.03.2020 राशि ₹ 5,32,46.38 लाख लेखे में शामिल नहीं
की गई, क्योंकि यह निर्धारित दिनांक(30.06.2020) के पश्चात दिनांक 10.08.2020 को प्राप्त हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	96,39,29			
पूरक	0	96,39,29	81,03,07	(-) 15,36,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				64,92

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	61,85			
पूरक	0	61,85	45,22	(-) 16,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 15,36.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 64.92 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (2) सर्वप्रथम स्वीकृति आदेश क्र. 6997/व/स/खाता/2020 भोपाल दिनांक 17.07.2020 राशि ₹ 13,34,63,858 लेखे में शामिल नहीं की गई, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2019–20 के पश्चात जारी की गई थी।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007- विधायक / मंत्री	मूल पुनर्वि.	42,32.15 (-) 49.00	41,83.15	36,83.29 (-) 4,99.86	₹ 49.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,13.40 लाख की कमी एवं ₹ 1,64.40 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण (₹ 36.00 लाख) मान. विधायकों द्वारा यात्रा/दौरे पर व्यय न होने के कारण एवं शेष कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं एवं वृद्धि का आंशिक कारण (₹ 1,51.00 लाख) महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में माननीय सदस्यों/विधान सभा के सदस्यों को सामग्री प्रदान करना और डाक विभाग, भारत सरकार, शाखा भोपाल से विधानसभा की तस्वीर के साथ 5000 टिकटों और 280 माई स्टाम्प टिकटों की खरीद (₹ 13.40 लाख) करना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 और 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.101.6110- विधायक मंत्री की निजी स्थापना	मूल	5,91.60	5,91.60	3,98.48 (-) 1,93.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2011-02.103.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	6,00.00	6,00.00	2,15.02 (-) 3,84.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 16.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 0.01 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते	मूल	61.64	61.64	45.22 (-) 16.42	बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 और 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,60,21,09			
पूरक	10,00,00	17,70,21,09	13,24,56,01	(-) 4,45,65,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,96,07,16

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,83,16,84			
पूरक	0	1,83,16,84	1,38,18,63	(-) 44,98,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				40,52,27

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,87,04,00			
पूरक	0	1,87,04,00	1,63,37,82	(-) 23,66,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				23,48,73

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र अंठावन प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,45,65.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 3,96,07.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.4497- समान्य स्थापना	मूल पुनर्वि.	8,99,32.04 (-) 1,64,66.74	7,34,65.30	7,31,28.32 (-) 3,36.98	₹ 1,64,66.74 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,22,46.96 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,73,16.74 लाख + पुनर्विनियोग ₹ 49,30.22 लाख) एवं ₹ 57,80.22 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार अंतरिम राहत को 18-001 से विकलित किये जाने से, कटौती की राशि बी.सी.ओ. 2103 के हक में रिलीज कर दिये जाने एवं 11-028 वेतन एवं 18-031 मद का आहरण 18-001 से किये जाने के कारण। जबकि वृद्धि का कारण अधीनस्थ न्यायालयों की मांग को पूर्ण करने, कम आवंटन एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के विलों के भुगतान करने के कारण हुई।
2014-105.8808- सूचना प्राधीनिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	18,18.62 (-) 10,09.91	8,08.71	4,46.39 (-) 3,62.32	₹ 10,09.91 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.0701.2450- न्याय प्रशासन	मूल पुनर्विं.	2,54.66 (-) 34.68	2,19.98	44.85	(-) 1,75.13	₹ 34.68 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2014-105.0101.1486- स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	मूल पुनर्विं.	2,50.00 (-) 2,00.00	50.00	0.00	(-) 50.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,40.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 60.00 लाख) वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2014-105.0101.9065- अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्विं.	9,00.00 (-) 4,01.83	4,98.17	3,18.17	(-) 1,80.00	₹ 4,01.83 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2014-114.0101.9069- महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्विं.	1,30.10 (-) 1,30.10	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई।
2014-800.7984- परिवार न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्विं.	76,45.14 (-) 18,75.58	57,69.56	57,16.44	(-) 53.12	₹ 18,75.58 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 20,40.72 लाख (समर्पण ₹ 12,69.58 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,71.14 लाख) की कमी एवं ₹ 1,65.13 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंतरिम राहत 18-001 से विकलित किए जाने से एवं परिवार न्यायालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान लागू किये जाने से महंगाई भत्ते में बचत संभावित होना था। जबकि वृद्धि का कारण परिवार न्यायालयों के स्थापना एवं विभिन्न शीर्षों में राशि की आवश्यकता हाने से तथा परिवार न्यायालय, विदिशा के ज्ञापन क 13 दिनांक 02.03.2020 के अनुसार बिलों का भुगतान करना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-103.3307- मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	मूल पुनर्वि.	81,11.03 (-) 22,60.51	58,50.52	43,50.56	(-) 14,99.96	₹ 22,60.51 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-105.4311- संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	मूल पुनर्वि.	2,34,30.22 (-) 53,30.48	1,80,99.74	1,68,30.79	(-) 12,68.95	₹ 53,30.48 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 78,44.48 लाख (समर्पण ₹ 56,30.48 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 22,14.00 लाख) की कमी एवं ₹ 25,14.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। (₹ 56,30.48 लाख), शेष बचत के कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं, जबकि वृद्धि का कारण लोक सभा चुनाव में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करना, संसद चुनाव 2019 में ई.व्ही.एम एवं व्ही.व्ही.पी.टी की एफ.एल.सी, बी.ई.एल इंजीनियर के बिलों का भुगतान, चुनाव कार्य में लगे मृतक कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	58,30.24 (-) 26,17.58	32,12.66	25,68.54	(-) 6,44.12	₹ 26,17.58 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 29,87.58 लाख (समर्पण ₹ 23,15.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6,72.50 लाख) की कमी एवं ₹ 3,70.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती, संसद चुनाव 2019 में ई.व्ही.एम एवं व्ही.व्ही.पी.टी की एफ.एल.सी, बी.ई.एल इंजीनियर के बिलों का भुगतान, चुनाव कार्य में लगे मृतक कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देना था। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-108.9503- मतदाताओं को फोटो परियंच पत्र जारी करना	मूल पुनर्वि.	15,05.90 (-) 5,24.44	9,81.46	6,81.08	(-) 3,00.38	₹ 5,24.44 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0703.5171- विशेष न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	36,82.37 (-) 7,98.59	28,83.78	28,90.87	+ 7.09	₹ 7,98.59 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 8,42.59 लाख (समर्पण ₹ 7,98.59 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 44.00 लाख) की कमी एवं ₹ 44.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का मुख्य कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती, संभावित बचत, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार अंतरिम राहत को 18-001 से विकलित किये जाने के कारण, जबकि वृद्धि का कारण न्यायिक अधिकारियों की विकित्सा प्रतिपूर्ति, विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यालय के विभिन्न मदों में व्यय होना था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-60.200.0102.5136- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,63.68 (-) 1,27.68	36.00	36.00	0.00	₹ 1,27.68 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.1489- ए.डी.आर. सेन्टर्स के निर्माण हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 5,98.00	4,02.00	4,02.00	0.00	₹ 5,98.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.3255- मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	मूल पुनर्वि.	52,00.00 (-) 13,31.89	38,68.11	38,67.83	(-) 0.28	₹ 13,31.89 लाख की प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई।
2235-60.200.0101.5104- स्थायी लोक अदालत	मूल पुनर्वि.	90.93 (-) 71.83	19.10	19.09	(-) 0.01	₹ 71.83 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं , 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 44,98.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 40,52.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (भारित)	मूल पुनर्वि.	1,67,58.46 (-) 32,12.65	1,35,45.81	1,31,83.87	(-) 3,61.94	₹ 32,12.65 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 36,67.99 लाख (समर्पण ₹ 33,13.15 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,54.84 लाख) एवं ₹ 4,55.34 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण रिक्त पद, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार अंतरिम राहत को 18-001 से विकलित किये जाने के कारण, संभावित बचत होना था। वृद्धि का कारण मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में 21 और 22 मार्च 2020 को आयोजित रजत जयंती (निदेशक रिट्रीट) समारोह, शासन द्वारा राशि वितरित नहीं करना, मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास और न्यायालय की पुस्तक की छपाई, मुख्य शाखा जबलपुर और इंदौर / ग्वालियर की न्यायिक स्थापना के उद्देश्य से अतिरिक्त धनराशि, कम आवंटन एवं मुख्य शाखा जबलपुर के मकान किराए के बिलों का भुगतान करना था। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन	मूल पुनर्वि.	7,10.00 (-) 2,07.61	5,02.39	4,32.39	(-) 70.00	₹ 2,07.61 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (भारित)	मूल पुनर्वि.	8,18.38 (-) 6,16.01	2,02.37	2,02.37	0.00	₹ 6,16.01 लाख की प्रत्याशित बचत का अंशतः (₹ 1,00.51 लाख) संभावित बचत के कारण हुई, समर्पण के रूप में शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-106.4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	30.00 (-) 16.00	14.00	0.00	(-) 14.00	₹ 16.00 लाख प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 23,66.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 23,48.73 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0701.9074-उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 1,14.97	18,85.03	8,85.02	(-) 10,00.01	₹ 1,14.97 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.9073-महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,00.00 लाख (संपूर्ण प्रावधान) की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई।
4216-01.106.0701.6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	मूल पुनर्वि.	53,00.00 (-) 9,12.93	43,87.07	43,67.00	(-) 20.07	₹ 9,12.93 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं 20 प्रतिशत राशि की कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054-सड़क तथा सेतु, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,65,55,54			
पूरक	0	10,65,55,54	9,20,56,75	(-) 1,44,98,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				57,83,14

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,81			
पूरक	0	4,81	0	(-) 4,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,81

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	29,87,50,04			
पूरक	0	29,87,50,04	29,05,34,83	(-) 82,15,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				19,51,82

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,44,98.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 57,83.14 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2505-01.198.0101.2368-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान	मूल पुनर्वि. 4,54.66 (-) 58.20	3,96.46	(-) 90.93	समर्पण के रूप में ₹ 58.20 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-001.0103.1033-विकास खण्ड कार्यालय	मूल पुनर्वि. 18,32.99 (-) 7,42.88	10,90.11	10,82.89 (-) 7.22	₹ 7,42.88 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) मांग कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-001.0102.1033-विकास खण्ड कार्यालय	मूल पुनर्वि. 21,55.97 (-) 4,61.71	16,94.26	16,93.82 (-) 0.44	समर्पण के रूप में ₹ 4,61.71 लाख की प्रत्याशित बचत मांग कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-001.0102.3926-विकास आयुक्त	मूल पुनर्वि. 1,24.23 (-) 1,23.63	0.60	0.28 (-) 0.32	समर्पण के रूप में ₹ 1,23.63 लाख की प्रत्याशित बचत मांग कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-102.0101.1032-कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतिकरण आदि	मूल पुनर्वि. 2,98.26 (-) 1,37.57	1,60.69	92.34 (-) 68.35	₹ 1,37.57 लाख की प्रत्याशित बचत मांग कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 और 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0103.9216- प्रधानमंत्री सडक योजनान्तर्गत निर्मित सडकों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	58,19.59 (-) 3,82.13	54,37.46	42,73.54	(-) 11,63.92	समर्पण के रूप में ₹ 3,82.13 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-800.0102.1208- ग्रामीण यांत्रीकी सेवा	मूल पुनर्वि.	23,05.25 (-) 5,00.00	18,05.25	16,22.83	(-) 1,82.42	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-800.0102.9216- प्रधानमंत्री सडक योजनान्तर्गत निर्मित सडकों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	83,65.66 (-) 5,49.51	78,16.15	61,43.02	(-) 16,73.13	समर्पण के रूप में ₹ 5,49.51 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-800.0101.9216- प्रधानमंत्री सडक योजनान्तर्गत निर्मित सडकों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,21,87.19 (-) 14,55.95	2,07,31.24	1,62,93.80	(-) 44,37.44	समर्पण के रूप में ₹ 14,55.95 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(3) ₹ 4.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 1.81 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।

पूँजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 82,15.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 19,51.82 लाख अभ्यर्पित किये
गये हैं।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	87,79,49			
पूरक	सांकेतिक	87,79,49	63,71,65	(-) 24,07,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				7,61,50

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60			
पूरक	0	60	0	(-) 60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				32

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,70,94,00			
पूरक	0	1,70,94,00	1,47,55,24	(-) 23,38,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				21,19,09

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सत्रह प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 24,07.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 7,61.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3451-101.3686- राज्य योजना मण्डल	मूल पुनर्वि.	4,73.34 30.00	5,03.34	3,76.26	(-) 1,27.08	₹ 30.00 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नए वाहनों की खरीद के कारण किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-101.0101.5612- विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,37.31	1,37.31	10.97	(-) 1,26.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-101.0101.7613- प्रदेश में कियान्वित परियोजनाओं की मानिटरिंग, सलाहकार सेवायें, नवाचार, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	मूल पुनर्वि.	12,35.00 (-) 30.00	12,05.00	1,34.17	(-) 10,70.83	₹ 30.00 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.800.0101.6270- जनअभियान परिषद् का गठन	मूल पुनर्वि.	9,09.31 (-) 2,28.45	6,80.86	4,99.00	(-) 1,81.86	₹ 2,28.45 लाख की समर्पण द्वारा प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (3) ₹ 0.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 0.32 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 23,38.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 21,19.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4515-103.0103.8284- म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पुनर्वि.	72,64.95 (-) 9,34.88	63,30.07	61,42.27	(-) 1,87.80	₹ 9,34.88 लाख (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-103.0102.8284- म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पुनर्वि.	98,29.05 (-) 11,84.21	86,44.84	86,12.97	(-) 31.87	₹ 11,84.21 लाख समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-भू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810-अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,47,57,85			
पूरक	0	4,47,57,85	3,30,49,06	(-) 1,17,08,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 32— जनसंपर्क जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,50,00			
पूरक	0	2,50,00	0	(-) 2,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र अड़तीस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,17,08.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2220-01.001.2304- निवेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि. 2,02,03.92 (-) 44.00	2,01,59.92	1,65,91.74 (-) 35,68.18	₹ 44.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत थी। वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2220-01.001.7248- इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रचार	मूल 67,57.87	67,57.87	50,23.71 (-) 17,34.16	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-01.105.0101.2822- चलाचित्र इकाई की स्थापना	मूल 8,41.06	8,41.06	5,31.90 (-) 3,09.16	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32— जनसंपर्क समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2220-60.101.0103.5621- जनहितकारी योजना का प्रचार-प्रसार	मूल	2,52.31	2,52.31	0.00	(-) 2,52.31 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-60.106.0994- क्षेत्र प्रचार	मूल	22,73.28	22,73.28	14,16.11	(-) 8,57.17 बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-60.106.4065- विशेष अवसरों पर प्रचार	मूल	88,85.18	88,85.18	59,53.84	(-) 29,31.34 बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(3) ₹ 0.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 2,50.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684- कार्यालय भवन निर्माण	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-) 2,50.00 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	59,86,14,07			
पूरक	15,27,93,51	75,14,07,58	65,19,83,28	(-) 9,94,24,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				12,30,54

राजस्त दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 65,19,83,27,845) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 26.09.2019 को ₹ 26,79,00,000 एवं 09.10.2019 को ₹ 3,26,75,000, कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 30,05,75,000 में से ₹ 30,03,00,000 खर्च की गई राशि भी शामिल है, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,50			
पूरक	0	5,50	1,49	(-) 4,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,06,09,96			
पूरक	0	15,06,09,96	9,28,98,40	(-) 5,77,11,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				4,00,02,29

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र साठ प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 9,94,24.30 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 15,27,93.51 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 9,94,24.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 12,30.54 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.2773- प्राथमिक शालाएं	मूल पूरक पुनर्वि.	12,27,23.30 7,54,42.00 (-)43,94.00	19,37,71.30	17,63,66.09	(-) 1,74,05.21	₹ 43,94.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,39,15.97 लाख कमी एवं ₹ 6,95,21.97 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत तथा अध्यापक कैडर के एंट्री डेटाबेस और पोस्ट डेटाबेस की एंट्री कोष लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर न होने से हुई, जबकि वृद्धि शिक्षक कैडर के वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार आहरण नहीं किये जाने एवं पोस्ट डेटाबेस की एंट्री कोष लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर न होने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2202-02.109.5216- हाई स्कूल	मूल पुनर्वि.	96,73.89 (-) 85,23.26	11,50.63	11,33.98	(-) 16.65	₹ 85,23.26 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90,98.56 लाख कमी एवं ₹ 5,75.30 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण संभावित बचत तथा अध्यापक कैडर के एंट्री डेटाबेस और पोस्ट डेटाबेस की एंट्री कोष लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर न होने से हुई, जबकि वृद्धि शिक्षक कैडर के वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार आहरण नहीं किये जाने एवं पोस्ट डेटाबेस की एंट्री कोष लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर न होने के कारण हुई। इस शीर्ष अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.001.0102.9843- अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईया	मूल पुनर्वि .	1,20.66 (-) 78.95	41.71	35.24 (-) 6.47	समर्पण के रूप में ₹ 78.95 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.2325- प्रतिभा योजना	मूल पुनर्वि .	1,00.00 (-) 20.00	80.00	27.25 (-) 52.75	₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि .	10,00.00 (-) 2,00.00	8,00.00	6,00.00 (-) 2,00.00	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.2676- 11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि .	1,50,00.00 (-) 35,00.00	1,15,00.00	1,12,17.61 (-) 2,82.39	₹ 35,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.277.0102.0762- विशिष्ट आवासीय संस्थायें	मूल पुनर्वि .	1,49,99.95 (-) 10,00.00	1,39,99.95	73,51.65 (-) 66,48.30	₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.277.0102.1868- तकनीकी शिक्षा मण्डल (मेपसेट)	मूल	1,00.00	1,00.00	20.00 (-) 80.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.277.0102.2949- गणवेश का प्रदाय	मूल पुनर्वि .	3,80.00 (-) 3,04.00	76.00	0.00 (-) 76.00	₹ 3,04.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना 2019–20 से समाप्त कर दिये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.277.0102.5202- व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि .	2,00.00 (-) 90.00	1,10.00	70.00 (-) 40.00	₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.6813-साइकिलों का प्रदाय	मूल	3,50.00	3,50.00	32.72	(-) 3,17.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.8012-शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु उत्कछता पुरस्कार	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.8735-अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र / छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	मूल पुनर्वि .	1,00.00 (-) 11.60	88.40	20.00	(-) 68.40	₹ 11.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.9846-स्काउट गार्ड	मूल	1,00.00	1,00.00	22.59	(-) 77.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.800.0802.3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल	16,22.72	16,22.72	1,16.26	(-) 15,06.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0802.6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल	1,33,03.81	1,33,03.81	61,97.57	(-) 71,06.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि .	6,42.19 (-) 5,13.75	1,28.44	0.00	(-) 1,28.44	समर्पण के रूप में ₹ 5,13.75 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.800.0102.2346-मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान	मूल	1,00.00	1,00.00	20.00	(-) 80.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0102.4719-अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	14.68	(-) 85.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0102.5211-आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि .	58.00 (-) 28.84	29.16	17.56	(-) 11.60	समर्पण के रूप में ₹ 28.84 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.800.0102.6462- कोल जनजाति विकास अभिकरण	मूल पुनर्वि.	90.93 (-) 72.74	18.19	0.00	(-) 18.19	समर्पण के रूप में ₹ 72.74 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.800.0102.8011- सिविल सेवा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन	मूल	1,40.94	1,40.94	10.70	(-) 1,30.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.800.0102.9484- सहायता योजना	पूरक	70,19.51	70,19.51	30,03.00	(-) 40,16.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-02.800.0102.9819- विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	16.82	(-) 83.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0102.9853- आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण विकास एवं देवठान	मूल पुनर्वि.	10,60.00 6,10.50	16,70.50	3,31.00	(-) 13,39.50	₹ 6,10.50 लाख की निधियों का आवर्धन आंशिक (₹ 2,00.00 लाख) विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन किये जाने से किया गया, शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0494- आश्रम	मूल पुनर्वि.	1,37,66.98 72,22.10	2,09,89.08	1,79,04.35	(-) 30,84.73	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72,22.10 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 88.92 लाख की कमी एवं ₹ 73,11.02 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आश्रम के कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान (₹ 3,06.30 लाख) करने एवं (₹ 45,52.13 लाख) शिष्यत्व के लिये धन की आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथी ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिकार्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.8805- राज्य शासन अनु- जाति / जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 एवं 8)	मूल पुनर्वि.	40,00.00	46,34.00	46,34.00 0.00	₹ 6,34.00 लाख की निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 5,77,11.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 4,00,02.09 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिकार्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.102.0802.7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	5,78,00.00 (-) 2,84,35.08	2,93,64.92	2,60,55.05 (-) 33,09.87	₹ 2,84,35.08 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,82,31.40 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,03,68 लाख) डी.डी.ओ द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। समर्पण के साथी ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.277.0802.6502- महाविद्यालयीन छात्रावास	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-) 1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-02.277.0102.0495- जूनियर छात्रावास	मूल	10,40.00	10,40.00	3,28.68 (-) 7,11.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-02.277.0102.1398- सिनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	51,20.00 (-) 10,00.00	41,20.00	12,40.46 (-) 28,79.54	₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.102.6502- महाविद्यालयीन छात्रावास	मूल	15,20.00	15,20.00	63.99	(-) 14,56.01	अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-02.800.0802.3728- आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल	15,00.00	15,00.00	1,05.32	(-) 13,94.68	अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्विं.	2,60,00.00 (-) 1,15,67.20	1,44,32.80	1,57,22.96	+12,90.16	₹ 1,15,67.20 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,14,10.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,57.12 लाख) डी.डी.ओ द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-02.800.0102.0334- आदिवासी अनवेषण संस्था	मूल	38,89.95	38,89.95	0.00	(-) 38,89.95	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-02.800.0102.1032- कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतिकरण आदि	मूल	2,00.00	2,00.00	1,07.56	(-) 92.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.0494- आश्रम	मूल पुनर्विं.	4,00.00 2,00.00	6,00.00	6,00.00	0.00	₹ 2,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

समर्पण क्रमांक बजट/2019–20/7609 भोपाल दिनांक 31.03.2020 ₹ 4,08,77,90,879 आंशिक रूप से ₹ 5,88,000 के लेखे में शामिल नहीं की गई, चूंकि यह विसंगतिपूर्ण जारी की गई थी।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,63,19,51			
पूरक	74,72,02	9,37,91,53	7,49,06,59	(-) 1,88,84,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,94,08,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,80			
पूरक	0	1,80	0	(-) 1,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,80

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सत्ताईस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में ₹ 74,72.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2020 को ₹ 1,94,08.00 लाख का समर्पण, ₹ 1,88,84.94 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	57,01.41 (-) 14,86.95	42,14.46	41,98.94	(-) 15.52	₹ 14,86.95 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 15,03.94 लाख की कमी (समर्पण ₹ 14,86.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 19.43 लाख) एवं ₹ 17.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित, पद रिक्त, प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जाना और कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण हुई थी। जबकि वृद्धि का मुख्य कारण टोकन प्रावधान था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.5663- निधन कल्याण आयोग का गठन	मूल पुनर्वि.	60.55 (-) 59.29	1.26	1.26	0.00	समर्पण के रूप ₹ 59.29 लाख की प्रत्याशित बचत का कारण आयोग की अवधि पूर्ण होना था।
2235-02.001.0103.6584- अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	1,60.04 (-) 1,60.04	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 1,60.04 लाख समर्पण के रूप में मेलों का आयोजन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.0102.6584- अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	2,31.06 (-) 2,31.06	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 2,31.06 लाख समर्पण के रूप में मेलों का आयोजन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.0101.6584- अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	6,93.17 (-) 4,50.22	2,42.95	0.00	(-) 2,42.95	प्रत्याशित बचत ₹ 4,50.22 लाख समर्पण के रूप में मेलों का आयोजन नहीं किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.101.0103.0079- दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	5,35.56 (-) 4,57.54	78.02	77.17	(-) 0.85	प्रत्याशित बचत ₹ 4,57.54 लाख समर्पण रिक्त पद, दौरे नहीं, हस्तांतरण नहीं होने से, संभावित बचत एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-02.101.0102.0079- दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	2,13.14 (-) 1,13.39	99.75	98.33	(-) 1.42	प्रत्याशित बचत ₹ 1,13.39 लाख समर्पण रिक्त पद, दौरे नहीं, हस्तांतरण नहीं होने से, संभावित बचत एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-02.101.0101.2084- श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	2,00.05 (-) 1,64.46	35.59	35.59	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 1,64.46 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-02.200.0795- कला पथक	मूल पुनर्वि.	10,11.59 (-) 1,94.65	8,16.94	8,16.90	(-) 0.04	प्रत्याशित बचत ₹ 1,94.65 लाख समर्पण के रूप में ₹ 1,97.08 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,43 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण रिक्त पद, प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने से, कम दौरे, कम व्यय, मेलों का आयोजन नहीं होने से एवं सेमिनार आयोजित नहीं होने से, जबकि वृद्धि का कारण जिला सिवनी से मांग आ जाने के कारण हुई।
2235-02.800.0803.7569- निःशक्त जनों के लिए बाधारहित वातावरण	मूल पुनर्वि.	1,70.00 (-) 1,63.79	6.21	1.90	(-) 4.31	प्रत्याशित बचत ₹ 1,63.79 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.800.0802.7569- निःशक्त जनों के लिए बाधारहित वातावरण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-) 1,43.05	56.95	28.80	(-) 28.15	प्रत्याशित बचत ₹ 1,43.05 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.800.0801.7569- निःशक्त जनों के लिए बाधारहित वातावरण	मूल पूरक पुनर्वि.	6,30.00 87.42 (-) 5,06.43		2,10.99	2,21.00 + 10.01	प्रत्याशित बचत ₹ 5,06.43 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.800.0801.9477- नशीली दवा में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	पूरक पुनर्वि.	2,25.00 (-) 2,25.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 2,25.00 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-02.800.0103.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पूरक पुनर्वि.	38,25.93 14,00.00 (-) 23,14.53	29,11.40	29,18..44	+ 7.04	प्रत्याशित बचत ₹ 23,14.53 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.800.0102.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पूरक पुनर्वि.	51,01.23 24,00.00 (-) 33,82.10	41,19.13	41,19.13	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 33,82.10 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-02.800.0101.6692- मुख्यमंत्री निकाह योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	11,59.37 5,00.00 (-) 6,43.64	10,15.73	10,15.73	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 6,43.64 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-02.800.0101.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,65,79.01 22,00.00 (-) 55,18.29	1,32,60.72	1,32,60.72	0.00	प्रत्याशित बचत ₹ 55,18.29 लाख समर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कारण हुई थी।
2235-60.102.0703.7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	17,50.00 (-) 10,81.08	6,68.92	6,69.12	+ 0.20	प्रत्याशित बचत ₹ 10,81.08 लाख समर्पण लाभार्थियों की संख्या में कमी आ जाने के कारण हुई थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,83,43,33			
पूरक	0	7,83,43,33	5,63,15,35	(-) 2,20,27,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,38,50,03			
पूरक	50	3,38,50,53	2,54,82,47	(-) 83,68,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 2,54,82,47,276) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 05.07.2019 को ₹ 2,30,00,00,00 स्वीकृत अग्रिम में से ₹ 2,26,44,98,819 खर्च की गई राशि भी शामिल है, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र ढाई प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,20,27.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-108.0101.7690-पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय / व्याज अनुदान	मूल	20,00.49	20,00.49	7,25.96	(-) 12,74.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्षान्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-800.0103.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल	79,93.80	79,93.80	59,78.26	(-) 20,15.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-800.0102.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल	53,97.19	53,97.19	34,82.39	(-) 19,14.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-800.0102.7589-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मूल	52,05.00	52,05.00	41,64.00	(-) 10,41.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-800.0101.2124-एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन / सुविधा प्रदाय योजना	मूल	1,64,65.02	1,64,65.02	1,30,76.09	(-) 33,88.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-800.0101.2373-इंक्यूवेशन एवं स्टार्टअप योजना	मूल	35,68.37	35,68.37	2,24.00	(-) 33,44.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-800.0101.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल	94,80.07	94,80.07	69,26.23	(-) 25,53.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-800.0101.7589-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मूल	1,11,67.51	1,11,67.51	87,57.06	(-) 24,10.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 0.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 83,68.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-101.0101.6750- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल	70,00.00	70,00.00	26,32.53 (-) 43,67.47 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4851-800.0101.6820- क्लस्टरों की स्थापना	मूल	35,00.00	35,00.00	0.00 (-) 35,00.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

सर्वप्रथम स्वीकृति आदेश क्र. 537/412/2020/अ-73 भोपाल, दिनांक 23.05.2020 राशि ₹ 1,59,79,74,728 लेखे में शामिल नहीं की गई, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2019-20 के पश्चात जारी की गई थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	92,30,37			
पूरक	0	92,30,37	76,03,07	(-) 16,27,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				15,32,25

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,40			
पूरक	0	2,40	0	(-) 2,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,60

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,00,01			
पूरक	0	20,00,01	9,47,41	(-) 10,52,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,65,01

अनुदान संख्या 36—परिवहन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र चौंतालीस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

(1) ₹ 16,27.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 15,32.25 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,68.05 (-) 3,79.13	5,88.92	5,86.87	(-) 2.05	₹ 3,79.13 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-001.8348- राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण	मूल	2,12.78	2,12.78	98.74	(-) 1,14.04	बचत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2041-101.4280- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	36,01.86 (-) 7,95.54	28,06.32	28,27.11	+ 20.79	₹ 7,95.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

(3) ₹ 10,52.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,65.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311- कार्यालय भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)1,65.00	18,35.00	9,47.41	(-) 8,87.59	₹ 1,65.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

(मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,23,33,67			
पूरक	10,00,00	1,33,33,67	95,95,36	(-) 37,38,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक		1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,06,00,02			
पूरक	टोकन	1,06,00,02	59,45,03	(-) 46,54,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 37—पर्यटन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र छत्तीस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 37,38.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अर्भपित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3452-01.101.0101.1271-पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल	3,30.00	3,30.00	1,32.00	(-) 1,98.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3452-01.190.3346- पर्यटन क्षेत्र में प्रचार—प्रसार हेतु अनुदान	पूरक	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3452-01.190.0101.3346-पर्यटन क्षेत्र में प्रचार—प्रसार हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	75,00.00 5,00.00	80,00.00	72,50.00	(-) 7,50.00	₹ 7,50.00 लाख की अंतिम बचत को दृष्टिगत रखते हुए, आईफा सप्ताह और पुरस्कार कार्यक्रम हेतु ₹ 5,00.00 लाख की निधियों किया गया आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3452-80.001.0101.1271-पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	23,53.09 (-) 5,00.00	18,53.09	6,75.90	(-) 11,77.19	प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018—19 एवं 2017—18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3452-80.001.0101.1919-मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु सहायता	मूल	10,00.00	10,00.00	7,92.00	(-) 2,08.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 46,54.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5452-01.101.0102.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल 16,00.00	16,00.00	9,06.00 (-) 6,94.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5452-01.101.0101.1251- पर्यटन अधोसंरचना का विकास	मूल 43,00.00	43,00.00	36,00.83 (-) 6,99.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5452-80.003.0101.0699- लाईट एण्ड साऊंड सो	मूल 13,00.00	13,00.00	3,12.00 (-) 9,88.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5452-80.800.0101.5395- होटल से मुल्य संवर्धन हेतु सहायता	मूल 12,00.00	12,00.00	0.00 (-) 12,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,58,20,23			
पूरक	76,38,00	5,34,58,23	4,90,60,44	(-) 43,97,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,20,01			
पूरक	0	23,20,01	20,43,80	(-) 2,76,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र तिहत्तर प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 43,97.79 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 76,38.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 43,97.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0703.1277-राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	7,00.00	7,00.00	3,95.94	(-) 3,04.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0702.1277-राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल	7,20.00	7,20.00	2,45.87	(-) 4,74.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0103.4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल	1,73.61	1,73.61	1.03.90	(-) 69.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-02.101.0102.0460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	73,19.76 (-) 3,00.00	70,19.76	65,42.20	(-) 4,77.56	₹ 3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप में के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-02.101.0102.4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल	2,36.02	2,36.02	56.88	(-) 1,79.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-02.101.0101.4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल	3,28.21	3,28.21	2,21.41	(-) 1,06.80	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 1.00 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कम प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.4286- संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	मूल	10,52.07	10,52.07	6,86.55 (-) 3,65.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0101.5559- झग कंट्रोलर एवं झग टेस्टिंग लेब की स्थापना	मूल	1,04.06	1,04.06	50.50 (-) 53.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-02.101.0101.7762- रोग नियंत्रण कार्यक्रम	मूल	90.95	90.95	50.92 (-) 40.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2020)।
2210-02.102.0101.4810- होम्योपैथिक औषधालय	मूल	20,41.52	20,41.52	17,62.21 (-) 2,79.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.103.0102.4760- यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	मूल	1,01.28	1,01.28	43.12 (-) 58.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-02.103.0101.8564- भोपाल यूनानी महाविद्यालय	मूल	11,00.94	11,00.94	9,42.51 (-) 1,58.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) सम्पूर्ण विनियोग की बचत (₹ 10.00 लाख) के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.4286- संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	मूल	10.00	10.00	0.00 (-) 10.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 2,76.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-02.101.0103.0460- आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल	66.00	66.00	5.03	(-) 60.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-02.101.0102.0460- आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल	96.00	96.00	35.52	(-) 60.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-02.101.0101.0460- आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल	4,20.01	4,20.01	2,82.49	(-) 1,37.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य भण्डारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 6408-खाद्य भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,38,45,56			
पूरक	10,00,00	15,48,45,56	9,58,42,45	(-) 5,90,03,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,32,91

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,25			
पूरक	0	1,25	0	(-) 1,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				60

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,05			
पूरक	0	2,00,05	35,16	(-) 1,64,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र अड़तालीस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 ₹ 10,00.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,90,03.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,32.91 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.1471 - जिला कार्यालय	मूल	44,22.21	44,22.21	38,92.46	(-) 5,29.75	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 0.50 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी परीक्षा का आयोजन न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत वित्त विभाग द्वारा लागू मासिक चतुर्भुज व्यय सीमा से संबंधित आदेश निर्देशों द्वारा लगाया गए प्रतिबंध के कारण हुई।
2408-01.001.0701.6878-उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना	पूरक	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	संपूर्ण प्रावधान की बचत का कारण भारत सरकार से ₹ 7,50.00 लाख (पीछतर प्रतिशत) की निधि जारी नहीं किये जाने से एवं ₹ 2,50.00 लाख (पच्चीस प्रतिशत) का आहरण की अनुमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.001.0101.1921-म.प्र. खाद्य आयोग का गठन	मूल	2,38.73	2,38.73	1,15.38	(-) 1,23.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2408-01.102.1299-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	2,10,49.28	2,10,49.28	1,11,14.12	(-) 99,35.16	₹ 99,35.16 लाख की बचत भारत सरकार से केन्द्र शेयर की राशि प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा किफायती खर्च के संबंध में जारी किये गए दिशानिर्देशों के कारण तथा प्रावधान के विरुद्ध आहरण की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.3229- म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	मूल	2,18,23.46	2,18,23.46	1,03,01.03	(-) 1,15,22.43 ₹ 1,15,22.43 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लागू मासिक चतुर्भुज व्यय सीमा से संबंधित आदेश निर्देशों द्वारा लगाया गए प्रतिबंध के कारण एवं आहरण की आवश्यक अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.3248- म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	मूल	1,13,00.92	1,13,00.92	53,06.10	(-) 59,94.82 ₹ 59,94.82 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लागू मासिक चतुर्भुज व्यय सीमा से संबंधित आदेश निर्देशों द्वारा लगाया गए प्रतिबंध के कारण एवं आहरण की आवश्यक अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0801.5420- समन्वित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन योजना	मूल	2,86.40	2,86.40	0.00	(-) 2,86.40 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2408-01.102.0703.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	52,60.31	52,60.31	28,62.06	(-) 23,98.25 ₹ 23,98.25 लाख की बचत भारत सरकार से केन्द्र शेयर की राशि प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा किफायती खर्च के संबंध में जारी किये गए दिशानिर्देशों के कारण तथा प्रावधान के विरुद्ध आहरण की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.102.0702.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	51,92.30	51,92.30	39,02.81	(-) 12,89.49 ₹ 12,89.49 लाख की बचत भारत सरकार से केन्द्र शेयर की राशि प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा किफायती खर्च के संबंध में जारी किये गए दिशानिर्देशों के कारण तथा प्रावधान के विरुद्ध आहरण की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2408-01.102.0701.7367-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन	मूल	15,68.49	15,68.49	3,25.18	(-) 12,43.31	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2408-01.102.0701.1299-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	1,63,48.96	1,63,48.96	65,18.98	(-) 98,29.98	₹ 98,29.98 लाख की बचत भारत सरकार से केन्द्र शेयर की राशि प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा किफायती खर्च के संबंध में जारी किये गए दिशानिर्देशों के कारण तथा प्रावधान के विरुद्ध आहरण की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.102.0103.5623-गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल	98,02.00	98,02.00	76,95.32	(-) 21,06.68	₹ 21,06.68 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लागू मासिक चतुर्भुज व्यय सीमा से संबंधित आदेश निर्देशों द्वारा लगाया गए प्रतिबंध के कारण एवं आहरण की आवश्यक अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।
2408-01.102.0102.5623-गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल	1,33,67.00	1,33,67.00	1,04,93.61	(-) 28,73.39	₹ 28,73.39 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लागू मासिक चतुर्भुज व्यय सीमा से संबंधित आदेश निर्देशों द्वारा लगाया गए प्रतिबंध के कारण एवं आहरण की आवश्यक अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0102.9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल	2,30.10	2,30.10	15.77	(-) 2,14.33	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2408-01.102.0101.5623-गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल	2,13,87.00	2,13,87.00	1,67,89.78	(-) 45,97.22	₹ 45,97.22 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा लागू मासिक चतुर्भुज व्यय सीमा से संबंधित आदेश निर्देशों द्वारा लगाया गए प्रतिबंध के कारण एवं आहरण की आवश्यक अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0101.7723- शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढ़ीकरण	मूल	3,63.72	3,63.72	80.89	(-) 2,82.83	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2020)।
2408-01.102.0101.9087- खुली निविदा पद्धति से शक्ति क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल	3,68.16	3,68.16	63.06	(-) 3,05.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2408-01.190.0101.6242- मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	मूल पुनर्वि.	2,09.31 (-) 20.00	1,89.31	0.00	(-) 1,89.31	₹ 20.00 प्रत्याशित बचत योजना में संभावित कम व्यय होने के कारण हुई। हालांकि वर्ष के दौरान योजना में कोई व्यय नहीं हुआ एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2408-02.190.0101.1275- वेयरहाऊसिंग एवं लोजिस्टिक नीति 2012 के अंतर्गत अनुदान	मूल	1,55.00	1,55.00	0.00	(-) 1,55.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(4) ₹ 1.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 0.60 लाख अभ्यर्पित किये गये।

पूंजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 1,64.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4408-01.800.0801.0629- उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल	75.00	75.00	12.14	(-) 62.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6408-01.190.0173- अन्न का क्रय	मूल	60.00	60.00	7.23	(-) 52.77	₹ 52.77 लाख की बचत संभावित होने के कारण हुई। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	29,61,40,71			
पूरक	3,70,22,00	33,31,62,71	30,77,22,57	(-) 2,54,40,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रमारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,00			
पूरक	30,00	60,00	24,00	(-) 36,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,71,75,94			
पूरक	0	3,71,75,94	2,97,76,88	(-) 73,99,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र इकतीस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,54,40.14 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 3,70,22.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,54,40.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-001.800.0103.5473- राज्य पुस्तकालय की स्थापना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-001.800.0102.5473- राज्य पुस्तकालय की स्थापना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-001.800.0101.5473- राज्य पुस्तकालय की स्थापना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.001.0103.1265- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-) 4,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.001.0102.1265- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-) 4,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.001.0101.1265- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	मूल	12,00.00	12,00.00	42.54	(-) 11,57.46	अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.001.0101.5541- शैक्षिक अभ्युत्थान	मूल	9,49.41	9,49.41	1,94.30	(-) 7,55.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.001.0101.5542- खेलकूद परिसर का निर्माण एवं गतिविधियों का संचालन	मूल	6,36.53	6,36.53	2,80.49	(-) 3,56.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.109.0581- हायर सेकेण्डरी शालांग	मूल पूरक पुनर्वि.	20,55,20.95 2,18,56.00 (-) 47,30.00	22,26,46.95	21,41,37.56	(-) 85,09.39	₹ 47,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,19,60.50 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन) एवं ₹ 72,30.50 लाख (पुनर्विनियोजन) की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.4193- शास. विद्यालय में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायिकरण	मूल	98,81.28	98,81.28	85,61.80	(-) 13,19.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.109.0103.2076- 1736/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में विद्युत कनेक्शन	मूल	3,72.81	3,72.81	27.88	(-) 3,44.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.109.0103.2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल	1,20.02	1,20.02	0.00	(-) 1,20.02	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0103.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	7,04.88	7,04.88	1,42.58	(-) 5,62.30	अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल	7,73.70	7,73.70	1.25	(-) 7,72.45 अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0102.2076-1736/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में विद्युत कनेक्शन	मूल पुनर्वि.	4,54.67 (-) 3,15.00	1,39.67	0.00	(-) 1,39.67 ₹ 3,15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही शेष संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202.02.109.0102.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेत	मूल	2,57.33	2,57.33	0.00	(-) 2,57.33 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0102.6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	22,12.63 (-) 2,24.88	19,87.75	4,79.85	(-) 15,07.90 ₹ 2,24.88 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल	14,41.33	14,41.33	4,91.04	(-) 9,50.29 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेत	मूल	13,81.25	13,81.25	0.00	(-) 13,81.25 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.0101.4980-उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान	मूल	6,36.53	6,36.53	1,83.69	(-) 4,52.84 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.109.0101.6968-शालाओं का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	21,26.73 15.00	21,41.73	14,32.59	(-) 7,09.14 पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख की निधियों का आवर्धन ₹ 1.00 लाख की कमी एवं ₹ 16.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0103.0701- अतिथि अध्यापकों को मानदेय	मूल पुनर्वि.	33,24.22	43,24.22	41,85.96	(-) 1,38.26	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.109.0102.0701- अतिथि अध्यापकों को मानदेय	मूल पुनर्वि.	42,84.43	52,84.43	52,46.10	(-) 38.33	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 ₹ 30.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल पूरक	30.00	30.00	60.00	24.00	(-) 36.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 73,99.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.1703.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-) 15,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) समाप्त**

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.1702.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-01.202.1701.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-) 20,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0103.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 12.50	37.50	0.00	(-) 37.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही संपूर्ण प्रावधान के प्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-01.800.0101.4395- सरकारी पुस्तकालय	मूल पुनर्वि.	5,22.00 (-) 5,12.00	10.00	0.70	(-) 09.30	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,12.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-01.800.0101.5473- राज्य पुस्तकालय की स्थापना	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-) 4,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0101.0816- छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	22,00.00 3,04.77	25,04.77	24,54.79	(-) 49.98	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,04.77 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—2217-शहरी विकास)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210-विकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,15,43,50			
पूरक	0	1,15,43,50	1,02,45,30	(-) 12,98,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	18,99,02			
पूरक	0	18,99,02	29,42	(-) 18,69,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पचपन प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 12,98.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.796.001.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल 1,08,58.93	1,08,58.93	97,91.07	(-) 10,67.86 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.796.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल 2,90.77	2,90.77	2,38.29	(-) 52.48 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.796.001.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	मूल 3,87.38	3,87.38	2,14.93	(-) 1,72.45 इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 6.70 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। वृद्धि प्रभारी संचालक का वेतन अपने मूल कार्यालय से आहरण किये जाने से हुई, जबकि कमी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 18,69.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास समाप्त

शीष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वार्ताविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.796.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल	13,78.00	13,78.00	29.42	(-) 13,48.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4235-01.796.201.0701.6281- गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	मूल	2,04.00	2,04.00	0.00	(-) 2,04.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4235-01.796.201.0103.4889- गैस पीडित क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4235-01.796.201.0102.4889- गैस पीडित क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4235-01.796.201.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	मूल	11.01	11.01	0.00	(-) 11.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4235-01.796.201.0101.4889- गैस पीडित क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना	मूल	1,06.00	1,06.00	0.00	(-) 1,06.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,40,95,10			
पूरक	0	1,40,95,10	99,22,18	(-) 41,72,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (07 अगस्त, 27 सित., 25 नव. 2019 एवं 03 जन. 2020)				6,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	59,27,32			
पूरक	1,00,00	60,27,32	40,02,56	(-) 20,24,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पचपन प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 41,72.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 07 अगस्त, 27 सित., 25 नव. 2019 एवं 03 जन. 2020 को केवल ₹ 6.75 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-103.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल	18,49.27	18,49.27	14,86.45	(-) 3,62.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0103.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	7,66.70	7,66.70	5,88.73	(-) 1,77.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2204-800.0103.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	5,40.46 (-) 4.13	5,36.33	3,09.37	(-) 2,26.96	₹ 4.13 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2204-800.0102.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	8,25.44 (-) 0.40	8,25.04	5,74.75	(-) 2,50.29	₹ 0.40 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0102.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	6,31.87 (-) 0.18	6,31.69	4,56.98	(-) 1,74.71	₹ 0.18 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में स्वीकृत खेल गतिविधि के भुगतान के पश्चात शेष होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	32,56.82	32,56.82	24,50.37	(-) 8,06.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-800.0101.7265-ओलंपिक 2020	मूल	2,35.83	2,35.83	1,11.71	(-) 1,24.12 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2204-800.0101.8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	12,76.19 (-) 0.91	12,75.28	8,48.68	(-) 4,26.60 ₹ 0.91 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप आंशिक ₹ 0.31 लाख समन्वयक (प्रभारी हॉकी कोच) ने जुलाई 2019 के महीने से काम नहीं किया एवं शेष ₹ 0.60 लाख संभावित बचत तथा हॉकी कोच की सेवा रद्द किये जाने के कारण हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.8841-मूलभूत सुविधाओं के उत्थान सुधार हेतु—स्टेडियम आदि	मूल	8,27.76	8,27.76	5,64.51	(-) 2,63.25 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(3) ₹ 5.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 ₹ 1,00.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 20,24.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-03.800.0103.5159-खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	7,78.36	7,78.36	4,09.12	(-) 3,69.24 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-03.800.0103.6703-स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल	4,48.00	4,48.00	3,05.55	(-) 1,42.45 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.800.0102.6703-स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल	6,72.00	6,72.00	3,53.79	(-) 3,18.21 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-03.800.0101.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	11,93.86	11,93.86	6,59.52	(-) 5,34.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-03.800.0101.6703- स्टेडियम एवं खेल अद्योसंरचना निर्माण	मूल पूरक	16,80.00 1,00.00	17,80.00	14,02.63	(-) 3,77.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,11,90,78			
पूरक	2,26,93,00	21,38,83,78	18,51,89,57	(-) 2,86,94,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,30,86,00			
पूरक		4,30,86,00	3,66,38,57	(-) 64,47,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र दो प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 लिया गया ₹ 2,26,93.00 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,86,94.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिकार्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.001.0101.3443-महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय	मूल 20,68.57	20,68.57	16,31.23 (-) 4,37.34	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (₹ 1.96 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि दर्ज हुई। कमी संभावित बचत के कारण हुई जबकि वृद्धि आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के वेतन की वापसी के लिए पर्याप्त राशि का अभाव होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.102.0101.1565-चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	मूल 1,75.01	1,75.01	1,75.00 (-) 0.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.102.0101.5551-आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि. 3,46.54 (-) 50.00	2,96.54	2,02.09 (-) 94.45	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना में व्यय नहीं होना संभावित हाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.102.0101.7319-महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन	मूल 2,27.33	2,27.33	1,27.30 (-) 1,00.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2020)।
2202-03.102.0101.8518-राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल	मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-) 1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.1203.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल	20,68.68	20,68.68	93.37	(-) 19,75.31	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल	22,50.54	22,50.54	1,72.37	(-) 20,78.17	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल	47,73.89	47,73.89	7,01.45	(-) 40,72.44	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0103.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल	2,06,69.19	2,06,69.19	88,06.83	(-) 1,18,62.36	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.103.0102.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	3,12,57.43 (-) 70,00.00	2,42,57.43	1,06,82.15	(-) 1,35,75.28	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत चार माह के लेखा अनुदान में समूह शीर्ष 0102 एवं 0103 में प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अत्याधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.103.0102.4699- छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल	12,00.29	12,00.29	8,61.86	(-) 3,38.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.104.0103.3444- महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल	34,16.00	34,16.00	9,97.47	(-) 24,18.53	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2202-03.104.0103.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल पूरक 15,27.64 25,00.00	40,27.64	27,38.32	(-) 12,89.32	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0102.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल पूरक 22,91.46 38,00.00	60,91.46	45,78.35	(-) 15,13.11	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0101.3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल 1,63,74.00	1,63,74.00	1,31,82.60	(-) 31,91.40	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.104.0101.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल पूरक 57,28.66 97,00.00	1,54,28.66	1,13,37.24	(-) 40,91.42	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2202-03.102.1565-चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	मूल 1,75.00	1,75.00	1,44.20	(-) 30.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.103.0103.4699-छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल 11,00.27	11,00.27	12,45.79	+ 1,45.52	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-03.103.0101.0798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वित. 7,27,88.97 64,35.00 70,00.00	8,62,23.97	10,82,88.27	+ 2,20,64.30	पुनर्वितियोजन द्वारा ₹ 70,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन की चार माह के लेखा अनुदान में कम प्रावधान के कारण शेष अवधि के लिए आवश्यकता होने के कारण किया गया। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा समाप्त

प्रभारित

- (5) ₹ 10.00 लाख(संपूर्ण विनियोग) की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं कि गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.001.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल 10.00	10.00	0.00 (-) 10.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 64,47.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं कि गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल 14,69.16	14,69.16	9,57.09 (-) 5,12.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-01.203.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल 1,10,90.84	1,10,90.84	71,84.41 (-) 39,06.43	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
6202-01.203.5449- अशासकीय महाविद्यालय पेशन भुगतान योजना	मूल 57,84.00	57,84.00	46,27.20 (-) 11,56.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.0101.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल 50,54.15	50,54.15	50,96.06 + 41.91	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य
(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	76,41,30			
पूरक	0	76,41,30	62,38,12	(-) 14,03,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86,45,39			
पूरक	0	86,45,39	86,15,58	(-) 29,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,00			
पूरक	0	4,00	0	(-) 4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 45— लघु सिंचाई निर्माण कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पैसठ प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 14,03.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2702-80.800.0103.0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल	3,00.40	3,00.40	1,33.98	(-) 1,66.42 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2702-80.800.0103.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	1,20.00	1,20.00	30.00	(-) 90.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0102.0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल	12,17.70	12,17.70	4,21.28	(-) 7,96.42 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0101.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	2,80.00	2,80.00	1,61.11	(-) 1,18.89 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 29.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

प्रभारित

- (4) ₹ 4.00 लाख (संपूर्ण विनियोग) की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) सर्वपण स्वीकृति आदेश क्र. 4214/11/2019–20/ भोपाल, दिनांक 31.07.2020 राशि ₹ 14,69,11,000 लेखे में शामिल नहीं की गई, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2019–20 के पश्चात जारी की गई थी।

अनुदान संख्या 45— लघु सिंचाई निर्माण कार्य समाप्त

(6) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में “उचंत” के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। “उचंत” के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशोषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	01 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे + जमा (-)
-------	--	--------------------------	----------------------	---

4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)

(1) क्य	(-) 1,31.77	0.00	0.00	(-) 1,31.77
(2) भण्डार	(-) 27.12	0.00	0.00	(-) 27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	0.00	0.00	+65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-) 93.43	0.00	0.00	(-) 93.43

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,85,71,89			
पूरक	0	1,85,71,89	70,96,60	(-) 1,14,75,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	61,00,03			
पूरक	0	61,00,03	0	(-) 61,00,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सत्रह प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 1,14,75.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0701.7615- प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चररिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल 5,00.00	5,00.00	0.00 (-) 5,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0103-6874- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल 6,00.00	6,00.00	0.00 (-) 6,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0103.7608- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	मूल 1,45.50	1,45.50	0.00 (-) 1,45.50	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3425-60.600.0102.6874- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल 10,00.00	10,00.00	0.00 (-) 10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3425-60.600.0102.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल 5,00.00	5,00.00	0.00 (-) 5,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3425-60.600.0101.5125- मैप-आई.टी. में जी.आई. एस. लैब की स्थापना	मूल 6,36.52	6,36.52	0.00 (-) 6,36.52	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0101.5818- डाटा सेंटर बिल्डिंग नेटवर्क का निर्माण	मूल 8,18.38	8,18.38	0.00 (-) 8,18.38	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0101.6760- नई तकनीक हेतु मैप आई. टी. अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता	मूल 6,60.00	6,60.00	0.00 (-) 6,60.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3425-60.600.0101.6874- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल 20,37.24	20,37.24	0.00 (-) 20,37.24	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0101.7062- प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना	मूल 25,46.56	25,46.56	20,37.25 (-) 5,09.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0101.7614- प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण हेतु जिलों में क्षेत्रीय संवर्धन केन्द्रों की स्थापना	मूल 6,81.98	6,81.98	0.00 (-) 6,81.98	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
3425-60.600.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	11,09.55	11,09.55	3,66.74	(-) 7,42.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0102.7608- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	मूल	2,18.23	2,18.23	0.00	(-) 2,18.23	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3425-60.600.0102.6760- नई तकनीक हेतु मैप आई. टी. अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता	मूल	2,64.00	2,64.00	0.00	(-) 2,64.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3425-60.600.0103.6760- नई तकनीक हेतु मैप आई. टी. अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता	मूल	1,76.00	1,76.00	0.00	(-) 1,76.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 61,00.03 लाख(संपूर्ण प्रावधान) की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं
की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
5425-600.0103.5818- डाटा सेंटर बिल्डिंग नेटवर्क का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5425-600.0101.5818- डाटा सेंटर बिल्डिंग नेटवर्क का निर्माण	मूल	20,00.01	20,00.01	0.00	(-) 20,00.01	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5425-600.0101.6874- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल	11,50.00	11,50.00	0.00	(-) 11,50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5425-600.0102.5818- डाटा सेंटर बिल्डिंग नेटवर्क का निर्माण	मूल	11,00.00	11,00.00	0.00	(-) 11,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5425-600.0102.6874- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
5425-600.0103.6874- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00	(-) 3,50.00 संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

(मुख्य शीर्ष—2203-तकनीकी शिक्षा, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,91,98,80			
पूरक	4,26,00	12,96,24,80	7,81,89,25	(-) 5,14,35,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,00			
पूरक	0	6,00	0	(-) 6,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,74,08,03			
पूरक	0	3,74,08,03	1,66,29,41	(-) 2,07,78,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पेंतालीस प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 4,26.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,14,35.55 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। सर्वप्रथम स्वीकृति आदेश क्र. 737/892/2020/42-1 भोपाल, दिनांक 17.06.2020 राशि ₹ 2,29,88,76,000/- एवं सर्वप्रथम स्वीकृति आदेश क्र. 878/1093/2020/42-2 भोपाल, दिनांक 21.05.2020 राशि ₹ 4,69,90,78,000/- लेखे में शामिल नहीं की गई, चूंकि यह वित्त वर्ष 2019-20 के पश्चात जारी की गई थी।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-104.0101.5885-आई.आई.टी. इंदौर की स्थापना	मूल	5,47.51	5,47.51	0.00	(-) 5,47.51	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2203-105.0802.2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	1,52.92	1,52.92	6.60	(-) 1,46.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2203-105.0103.2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	46,54.00	46,54.00	19,13.76	(-) 27,40.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2203-105.0102.2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	42,32.36	42,32.36	29,16.29	(-) 13,16.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-105.0101.2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	1,46,79.16	1,46,79.16	1,02,94.59	(-) 43,84.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-112.0103.5400-अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	1,44.00	1,44.00	0.00	(-) 1,44.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2203-112.0102.5400-अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	2,16.00	2,16.00	0.00	(-) 2,16.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-112.0101.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	5,40.00	5,40.00	0.00	(-) 5,40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-02.101.0801.0644- इटरलिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण रोजगार सृजन के साथ मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालयों के लिए पी.पी.पी मोड के कार्यान्वयन के कारण व्यय नहीं हुआ।
2230-02.101.0103.7133- जॉब फेयर एण्ड करियर काउसलिंग	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण रोजगार सृजन के साथ मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालयों के लिए पी.पी.पी मोड के कार्यान्वयन के कारण व्यय नहीं हुआ।
2230-02.101.0101.0724- जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण रोजगार सृजन के साथ मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालयों के लिए पी.पी.पी मोड के कार्यान्वयन के कारण व्यय नहीं हुआ।
2230-03.001.0801.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	17,40.00	17,40.00	1,61.97	(-) 15,78.03	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.1202.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00	(-) 7,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.1201.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल पुनर्वि.	15,22.00 (-) 1,00.00	14,22.00	4,27.16	(-) 9,94.84	₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत चार माह में देनदारियों का गैर-सृजन होना था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.0802.5346- नेशनल स्कील एजूकेशन	मूल	1,99.99	1,99.99	0.00	(-) 1,99.99	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.0701.2327- संकल्प योजना	मूल	18,09.00	18,09.00	0.00	(-) 18,09.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.0103.5373- यूवा स्वाभिमान योजना	मूल	28,80.00	28,80.00	0.00	(-) 28,80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03.003.0102.0736- मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	मूल	90.93	90.93	0.00	(-) 90.93	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0102.0740- मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन	मूल	14,40.00	14,40.00	3,70.13	(-) 10,69.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.0102.5373- यूवा स्वाभिमान योजना	मूल	41,40.00	41,40.00	0.00	(-) 41,40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.0101.0740- मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन	मूल	36,00.00	36,00.00	7,68.20	(-) 28,31.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0101.5373- यूवा स्वाभिमान योजना	मूल	1,09,80.00	1,09,80.00	16,40.30	(-) 93,39.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.003.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सबधो कार्य	मूल	95.47	95.47	8.55	(-) 86.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.101.0803.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	5,80.00	5,80.00	0.00	(-) 5,80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.101.0802.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	5,80.00	5,80.00	0.00	(-) 5,80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.101.0103.2376- तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-) 4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.101.0102.2376- तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र योजना	मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-) 6,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2230-03.101.0101.2376- तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र योजना	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-) 15,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2230-03.003.0101.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	1,25,26.82 1,00.00	1,26,26.82	1,36,55.85 +10,29.03	₹ 1,00.00 लाख की निधियों का आवर्धन मांग अनुसार बचत प्राप्त न होने के कारण किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगतः

दत्तमत

(5) ₹ 2,07,78.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अन्वर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02.104.0703.1232- आई.टी.आई का मॉडल आई.टी.आई के रूप में उन्नयन	मूल 1,59.99	1,59.99	0.00	(-) 1,59.99 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-02.104.0702.1232- आई.टी.आई का मॉडल आई.टी.आई के रूप में उन्नयन	मूल 2,30.00	2,30.00	0.00	(-) 2,30.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-02.104.0701.1232- आई.टी.आई का मॉडल आई.टी.आई के रूप में उन्नयन	मूल 1,20.00	1,20.00	0.00	(-) 1,20.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-02.104.0102.4945- तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण	मूल 1,50.00	1,50.00	0.00	(-) 1,50.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-02.104.0103.6215- शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	मूल 5,62.40	5,62.40	37.78	(-) 5,24.62 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02.104.0103.9238-डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	2,90.00	2,90.00	0.00	(-) 2,90.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.104.0103.4945-तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-) 1,50.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-02.104.0101.6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	मूल	61,42.00	61,42.00	31,46.84	(-) 29,95.16 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.105.0102.5400-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	2,64.00	2,64.00	0.00	(-) 2,64.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4202-03.003.1203.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	25,71.20	25,71.20	2,08.20	(-) 23,63.00 अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.1202.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	37,46.80	37,46.80	3,37.78	(-) 34,09.02 अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.1201.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	95,82.00	95,82.00	68,21.62	(-) 27,60.38 अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.0103.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	2,40.00	2,40.00	0.00	(-) 2,40.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.0102.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	3,36.00	3,36.00	0.00	(-) 3,36.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.0101.0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	10,24.00	10,24.00	0.00	(-) 10,24.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-201.0102.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल 42,84.50	42,84.50	19,61.30 (-) 23,23.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2801-बिजली, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,64,66			
पूरक	0	17,64,66	11,85,32	(-) 5,79,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,00,86

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	33,04,86,21			
पूरक	0	33,04,86,21	32,13,12,11	(-) 91,74,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				77,97,88

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	35,00			
पूरक	2,92,00	3,27,00	0	(-) 3,27,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				18,50

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सौ प्रतिशत राशि का अंकमिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 5,79.34 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2,00.86 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-01.001.0101.5018-बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल पुनर्वि. 2,72.79 (-) 1,48.42	1,24.37	69.81 (-) 54.56	समर्पण के रूप में ₹ 1,48.42 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-01.001.0101.6818-सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल 3,18.26	3,18.26	0.00 (-) 3,18.26	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 91,74.10 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 77,97.88 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (4) यद्यपि ₹ 91,74.10 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:—

अनुदान संख्या 48—नर्मदा धाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)	मूल पुनर्वि.	59,15.92 (-) 2,88.43	56,27.49	56,30.76	+ 3.27	₹ 2,88.43 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,30.43 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 0.03 लाख + समर्पण ₹ 4,30.40 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,42.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरोवर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु (₹ 0.03 लाख), पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-43.001.0101.3556- मुख्यालय स्थापना यूनिट-एक	मूल पुनर्वि.	2,87.54 (-) 19.21	2,68.33	2,69.35	+ 1.02	₹ 19.21 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 22.41 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 3.22 लाख + समर्पण ₹ 19.19 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3.20 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरोवर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	69.45 (-) 6.21	63.24	48.85	(-) 14.39	समर्पण के रूप में ₹ 6.21 लाख की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-43.800.0703.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-) 2,57.19	5,42.81	5,46.23	+ 3.42	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,57.19 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से उज्जैनी देवास उज्जैन पाइप लाइन के लिए व्यवस्थित करने हेतु, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-43.001.0701.6534- इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	मूल पुनर्वि.	4,80.00 (-) 4,80.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से माइक्रों सिंचाई के लिए व्यवस्थित करने के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-45.800.0703.7369- कमान क्षेत्र विकास	मूल पुनर्वि.	3,20.00 (-) 3,20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से उज्जैन देवास पाइप लाइन, नर्मदा काली सिंघ लिंक परियोजना एवं विभिन्न परियोजना के कारण हुई।
4700-45.800.0702.9091- ऑकारेश्वर परियोजना	मूल	2,00.00	2,00.00	1,87.09	(-) 12.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-51.001.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)	मूल पुनर्वि.	34,59.16 (-) 7,31.76	27,27.40	25,23.20	(-) 2,04.20	₹ 7,31.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 7,32.10 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 0.02 लाख + समर्पण ₹ 7,32.18 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 0.34 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरावर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु हुई, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयक के भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-51.001.0101.3296- मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि.)	मूल पुनर्वि.	1,91.79 (-) 57.87	1,33.92	1,35.26	+ 1.34	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 57.87 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरोवर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु हुई, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई। अंतिम आधिकाय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-51.001.0101.3557- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,32.37 (-) 53.49	4,78.88	4,75.55	(-) 3.33	₹ 53.49 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 0.02 लाख + समर्पण ₹ 53.48 लाख) की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरोवर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु हुई, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा धाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-51.001.0101.8191- निष्पादन स्थापना (यूनिट-दो)	मूल पुनर्वि.	40,46.75 (-) 3,45.10	37,01.65	38,16.70	+ 1,15.05	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,45.10 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरोवर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु हुई, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-51.800.0101.9000- रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर, यूनिट-दो	मूल पुनर्वि.	34,00.00 (-) 21,00.58	12,99.42	12,04.62	(-) 94.79	₹ 21,00.58 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 20,40.78 लाख + समर्पण ₹ 59.80 लाख) अंशतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से विभिन्न परियोजना के लिए व्यवस्थित करने हेतु (₹ 7,00.00 लाख), वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से छिपानेर माइक्रो सिंचाई योजना, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना, नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना के लिए व्यवस्थित करने हेतु, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा धाटी विकास जारी

शीष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.0101.5011- शेयर मछेरेवा शक्कर परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 34.07	65.93	29.93 (-) 36.00		₹ 34.07 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 34.00 लाख + समर्पण ₹ 0.07 लाख) पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-45.001.0101.9091- ऑकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	77,49.06 19,47.47	96,96.53	90,02.32 (-) 6,94.20		₹ 19,47.47 लाख के निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,51.53 लाख (समर्पण ₹ 2,51.52 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.02 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप ₹ 21,99.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण, वेतन बिलों के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था (₹ 2,51.53 लाख), वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से सरदार सरोवर परियोजना की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु हुई (₹ 0.02 लाख)। जबकि वृद्धि विद्युत देयकों का भुगतान समयावधि में नहीं करने के कारण अतिभार अधिरोपित करने के साथ समय-समय पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु परिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नोटिस जारी करने के कारण आवश्यक व्यवस्था (₹ 20,00.00 लाख) एवं वेतन बिलों के भुगतान (₹ 1,99.00 लाख) के लिए धन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी		
4700-80.800.0103.1406- काली सिंध लिंक परियोजना	मूल पुनर्वि.	54,08.00	69,51.00	1,19,51.00	+ 50,00.00	₹ 15,43.00 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 0.60 लाख की कमी एवं समर्पण के रूप में ₹ 15,43.60 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई, जबकि वृद्धि अंशतः कार्य के प्रगति के आधार पर लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।	
4700-80.800.0102.1250- अलीराजपुर उद्धवन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,40,00.00	32,53.01	1,72,53.01	1,44,49.34	(-) 28,03.67	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,53.01 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख की कमी एवं ₹ 38,53.01 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीक व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से विभिन्न परियोजना के लिए व्यवस्थित करने के कारण हुई। जबकि वृद्धि कार्य प्रगति के आधार पर लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0102.1406- काली सिंध लिंक परियोजना	मूल पुनर्वि. 81,12.00 61,07.37	1,42,19.37	1,42,19.37 0.00	₹ 61,07.37 लाख की निधियों का आवर्धन अंशतः कार्य प्रगति के आधार पर लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई (₹ 36,07.37 लाख)। शेष पुनर्विनियोजन ₹ 25,00.00 लाख के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4700-80.800.0102.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि. 50.00 (-) 28.05	21.95	28,24.87 + 28,02.92	₹ 28.05 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 14.00 लाख + समर्पण ₹ 14.05 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्तीय वर्ष 2019–20 में लेखा अनुदान से आवश्यकता अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना में उपलब्ध राशि को तत्कालीन व्यवस्था के रूप में पुनर्विनियोजन से नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना हेतु, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

(5) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2019–20 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किये गये हैं। उचन्त के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया हैं:—

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(i) भण्डार	+ 13.47	0.00	0.00	+ 13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	0.00	0.00	(-) 3.82
योग	+ 9.65	0.00	0.00	+ 9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	(-) 55.08	0.00	0.00	(-) 55.08
(ii) भण्डार	(-) 21,11.65	0.00	0.00	(-) 21,11.65
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 1,02.80	0.00	0.00	(-) 1,02.80
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 2,58.61	0.00	0.00	(-) 2,58.61
योग	(-) 25,28.14	0.00	0.00	(-) 25,28.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) भण्डार	+ 67.09	0.00	0.00	+ 67.09
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,37.78	0.00	0.00	(-) 2,37.78
योग	(-) 1,70.69	0.00	0.00	(-) 1,70.69

प्रभारित

- (6) वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया, जनवरी 2020 में प्राप्त ₹ 2,92.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 3,27.00 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 18.50 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (8) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641- स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	20.00 2,92.00 (-) 3.50	3,08.50	0.00 (-) 3,08.50	समर्पण के रूप में ₹ 3.50 लाख की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कौविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4801-80.800.0101.4641- स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध के कारण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के आदेश विलम्ब से प्राप्त होने, कौविड-19 के कारण लॉकडाउन एवं संबंधित परिस्थितियों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-विजली, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,21,50,28			
पूरक	5,00,00	12,26,50,28	9,88,18,36	(-) 2,38,31,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,28,20,03			
पूरक	0	2,28,20,03	74,30,59	(-) 1,53,89,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र साठ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जनवरी 2020 में प्राप्त किया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,38,31.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.2947-डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान महू को स्थापना अनुदान	मूल	10,00.25	10,00.25	8,00.20 (-) 2,00.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.001.0101.1474-जिला कार्यालयों की स्थापना	मूल	23,88.21	23,88.21	15,84.37 (-) 8,03.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.102.0103.7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल	2,20.00	2,20.00	1,10.00 (-) 1,10.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.277.0803.5204-अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के प्रवीण्य में उन्नयन	मूल	1,75.00	1,75.00	18.50 (-) 1,56.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.277.0803.7765-पोर्स्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल	14,70.00	14,70.00	4,20.00 (-) 10,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.277.0103.1398-सीनियर छात्रावास	मूल पुरक	1,32,73.52 5,00.00	1,37,73.52	1,00,95.59 (-) 36,77.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल	1,45,05.88	1,45,05.88	1,14,35.59 (-) 30,70.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.277.0103.7562-उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	मूल	30,00.00	30,00.00	12,84.06 (-) 17,15.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.7765- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल	1,02,90.00	1,02,90.00	66,40.04	(-) 36,49.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.8735- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 10.00	90.00	0.00	(-) 90.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.800.0803.1213- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	मूल	70,00.00	70,00.00	41,89.74	(-) 28,10.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-01.800.0103.8011- सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	6,36.52 (-) 73.35	5,63.17	2,08.09	(-) 3,55.08	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 73.35 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2801-06.800.0603.5084- अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास	मूल	50,00.00	50,00.00	17,02.47	(-) 32,97.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 10.00 लाख की सम्पूर्ण बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 1,53,89.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल	50,00.02	50,00.02	6,42.10	(-) 43,57.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.277.0103.8829- शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल	50,00.00	50,00.00	11,15.13	(-) 38,84.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-01.800.0803.5635- बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना	मूल	19,00.00	19,00.00	4,70.66	(-) 14,29.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0703.1400- आश्रम तथा छात्रावास भवन	मूल	23,00.00	23,00.00	47.99	(-) 22,52.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4225-01.800.0103.6821- शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-) 5,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,91,30,62			
पूरक	35,89,02	10,27,19,64	6,17,19,84	(-) 4,09,99,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00,00			
पूरक	0	1,00,00,00	0	(-) 1,00,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र अठासी प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया ₹ 35,89.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,09,99.80 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिकार्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0701.7692-राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	मूल पूरक	2,00.00 3,89.02	5,89.02	1,83.21 (-) 4,05.81	₹ 4,05.81 लाख की बचत कटौती की 20 प्रतिशत राशि प्राप्त न होने तथा प्रथम अनुपूरक में स्वीकृति राशि ₹ 3,89.02 लाख बी.सी.ओ. में आवंटित न होने के कारण हुई।
2401-109.0101.2378-कृषि समूह योजना व्याज एवं लहसुन फसल हेतु उद्यानिकी प्रोत्साहन	मूल पूरक	11,00.00 32,00.00	43,00.00	8,80.00 (-) 34,20.00	₹ 34,20.00 लाख की बचत कटौती की 20 प्रतिशत राशि प्राप्त न होने तथा प्रथम अनुपूरक में स्वीकृति राशि ₹ 32,00.00 लाख बी.सी.ओ. में आवंटित न होने के कारण हुई।
2401-119.0703.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रोइरिगेशन योजना	मूल	38,00.00	38,00.00	11,96.37 (-) 26,03.63	₹ 26,03.63 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने तथा कोविड-19 के कारण हुई।
2401-119.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	8,05.00	8,05.00	4,01.89 (-) 4,03.11	₹ 4,03.11 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने के कारण जिलों द्वारा राशि का आहरण न करने के कारण हुई।
2401-119.0702.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रोइरिगेशन योजना	मूल	54,00.00	54,00.00	35,66.50 (-) 18,33.50	₹ 18,33.50 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने तथा कोविड-19 के कारण हुई।
2401-119.0702.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	12,05.00	12,05.00	4,45.37 (-) 7,59.63	₹ 7,59.63 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने के कारण जिलों द्वारा राशि का आहरण न करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0701.1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रोइरिगेशन योजना	मूल	1,08,00.00	1,08,00.00	51,88.42	(-) 56,11.58	₹ 56,11.58 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने तथा कोविड-19 के कारण हुई।
2401-119.0701.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल	38,00.00	38,00.00	17,96.23	(-) 20,03.77	₹ 20,03.77 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने तथा कोविड-19 के कारण हुई।
2401-119.0103.0694- नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	मूल	4,29.78	4,29.78	0.00	(-) 4,29.78	₹ 4,29.78 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के अंतर्गत रोक लगने तथा कोविड-19 के कारण हुई।
2401-119.0103.2816- फसल बीमा योजना	मूल	11,19.97	11,19.97	8,26.82	(-) 2,93.15	₹ 2,93.15 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत व्यय सीमा समाप्त होने के कारण राशि व्यय नहीं करने के कारण हुई।
2401-119.0103.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल	11,71.08	11,71.08	5,54.43	(-) 6,16.65	₹ 6,16.65 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत व्यय सीमा समाप्त होने के कारण राशि व्यय नहीं करने के कारण हुई।
2401-119.0103.6497- व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना	मूल	3,29.15	3,29.15	1,41.76	(-) 1,87.39	₹ 1,87.39 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत व्यय सीमा समाप्त होने के कारण राशि व्यय नहीं करने के कारण हुई।
2401-119.0103.7370- शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	मूल	68.20	68.20	0.00	(-) 68.20	₹ 68.20 लाख की बचत नवीन नर्सरियों की SFC प्राप्त न होने से राशि व्यय न करने के कारण हुई।
2401-119.0102.0694- नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	मूल	6,17.80	6,17.80	0.00	(-) 6,17.80	₹ 6,17.80 लाख की बचत शासन से व्यय की अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0102.6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल	15,62.94	15,62.94	4,18.81	(-) 11,44.13 ₹ 11,44.13 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत व्यय सीमा समाप्त होने के कारण राशि व्यय नहीं करने के कारण हुई।
2401-119.0101.0694-नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	मूल	16,80.35	16,80.35	0.00	(-) 16,80.35 ₹ 16,80.35 लाख की बचत शासन से व्यय की अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी।
2401-119.0101.5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास योजना	मूल	51,82.59	51,82.59	35,83.77	(-) 15,98.82 ₹ 15,98.82 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा पर प्रतिबंध के कारण हुई।
2401-119.0101.5403-ऑपरेशन ग्रीन	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-) 50,00.00 ₹ 50,00.00 लाख की बचत योजना संचालित न होने से राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई।
2401-119.0101.5408-मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना	मूल	85,55.00	85,55.00	54,07.11	(-) 31,47.89 ₹ 31,47.89 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा पर प्रतिबंध के कारण हुई।
2401-119.0101.6498-उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना	मूल	6,31.06	6,31.06	3,15.74	(-) 3,15.32 ₹ 3,15.32 लाख की बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा पर प्रतिबंध के कारण हुई।
2401-119.0101.7370-शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	मूल	2,95.53	2,95.53	0.00	(-) 2,95.53 ₹ 2,95.53 लाख की बचत शासन से व्यय की अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि व्यय नहीं की जा सकी।

प्रभारित

(4) ₹ 1.20 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अन्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 1,00,00.00 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अन्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वार्ताविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4401-119.0103.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल	18,00.00	18,00.00	0.00	(-) 18,00.00	₹ 18,00.00 लाख की बचत योजना संचालित न होने से राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई।
4401-119.0102.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल	23,00.00	23,00.00	0.00	(-) 23,00.00	₹ 23,00.00 लाख की बचत योजना संचालित न होने से राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई।
4401-119.0101.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल	59,00.00	59,00.00	0.00	(-) 59,00.00	₹ 59,00.00 लाख की बचत योजना संचालित न होने से राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	88,32,88			
पूरक	11,00,00	99,32,88	55,08,49	(-) 44,24,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				32,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00,00			
पूरक	0	10,00,00	0	(-) 10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र बीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 11,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 44,24.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 32.00 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.5384-राम पथ गमन अंचल विकास योजना	मूल	12,09.32	12,09.32	0.00	(-) 12,09.32 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2250-800.5410-पुजारी कल्याण कोष	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2250-800.5415-नदी न्यास	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2250-800.5416-मठ मंदिर सलाहकार समिति	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2250-800.5805-धर्म शालाओं का निर्माण	मूल	90.93	90.93	37.65	(-) 53.28 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.6273-तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना	मूल	4,54.66	4,54.66	2,54.61	(-) 2,00.05 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.6292-धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णद्वार	मूल पुनर्वि.	10,36.76 (-) 32.00	10,04.76	3,04.18 (-) 7,00.58	समर्पण के रूप में ₹ 32.00 लाख का प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2250-800.0101.1476- आनन्दम	मूल	5,00.00	5,00.00	3,50.00	(-) 1,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2250-800.0101.2104- बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2250-800.0101.7227- तीर्थ यात्रा योजना	मूल पूरक	30,09.46 10,00.00	40,09.46	23,88.52	(-) 16,20.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(4) सम्पूर्ण विनियोग ₹ 50.00 लाख के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10,00.00 लाख के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4250-800.5384- राम पथ गमन अंचल विकास योजना	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-) 10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,99,36,05			
पूरक	0	12,99,36,05	11,36,35,25	(-) 1,63,00,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,10,40,34			
पूरक	1,75,44,00	11,85,84,34	8,97,60,06	(-) 2,88,24,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र साठ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 1,63,00.80 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.796.110.0961- कैंसर अस्पताल ग्वालियर को अनुदान	मूल 1,18.21	1,18.21	34.04 (-) 84.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2210-01.796.110.0103.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल	1,55,94.06	1,38,26.12	(-) 17,67.94	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 18,33.66 लाख प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि अंशतः वेतन के भुगतान एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्वशासी घोषित होने के कारण उद्देश्य शीर्ष 42 के बजाय उद्देश्य शीर्ष 11 से कर्मचारियों को 7वां वेतनमान और बकाया के भुगतान के कारण हुई।	
2210-01.796.110.0103.3506- मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर	मूल	10,00.24	10,00.24	8,00.19	(-) 2,00.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-01.796.110.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	6,55,87.81 (-) 4.00	6,55,83.81	6,02,00.83	(-) 53,82.98	₹ 4.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) ₹ 1,07,05.42 लाख की कमी एवं ₹ 1,07,01.42 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः नवीन नियुक्त प्रक्रियाधीन, स्टायपेण्ड के भुगतान के लिए आन्तरिक व्यवस्था, लंबित स्तरों के भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था, जबकि वृद्धि अंशतः वेतन की नितान्त आवश्यकता, छात्रवृत्ति के भुगतान, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्वशासी होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान एवं 7वां वेतनमान के एरियर भुगतान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0527- इन्दौर में परिचर्या महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	6,24.40 (-) 2,00.00	4,24.40	3,98.55	(-) 25.85	₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.796.105.1355- चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	7,71.63 (-) 1,36.00	6,35.63	4,99.58	(-) 1,36.05	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,36.00 लाख का प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,60.00 लाख की कमी एवं ₹ 24.25 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः लंबित स्तरों के भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था के कारण हुई, जबकि वृद्धि अंशतः कर्मचारियों के लंबित स्तरों एवं वेतन के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी (₹ 1,50.25 लाख) एवं वृद्धि (₹ 10.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0703.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	1,76.00	1,76.00	0.00	(-) 1,76.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0702.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	2,64.00	2,64.00	87.79	(-) 1,76.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0701.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परिसर अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	6,60.00	6,60.00	0.00	(-) 6,60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0103.9080- रतलाम / दतिया / शिवपुरी / छिन्दवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय	मूल	35,00.00	35,00.00	16,20.18	(-) 18,79.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0102.9080- रतलाम / दतिया / शिवपुरी / छिन्दवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय	मूल	40,00.00	40,00.00	35,90.25	(-) 4,09.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0101.2060- चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में टी.बी. चेस्ट विभाग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-) 30.00	2,70.00	95.11	(-) 1,74.89	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 30.00 लाख का प्रत्याशित बचत नवीन नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.796.105.0101.6458- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लेब की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	मूल पुनर्वि. 1,60.00	30.00 1,90.00	98.00 (-) 92.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन की नितान्त आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2210-05.796.105.0101.6591- जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल 18,50.00	18,50.00 3,00.00	(-) 15,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.796.105.0101.7502- चिकित्सा महाविद्यालयों में आई. सी.टी. सपोर्ट/प्रशिक्षण सहायता/स्मार्ट व्हिलास का उन्नयन	मूल 6,90.13	6,90.13 1,11.96	(-) 5,78.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (3) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया ₹ 1,75,44.00 लाख का
अनूपरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 2,88,24.28 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.796.105.0703.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल पूरक 18,16.00 80,00.00	98,16.00 44,34.45	(-) 53,81.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)
4210-03.796.105.0701.1210- स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि. 44,00.00 20,00.00 (-) 20,00.00	44,00.00 12,57.33 (-) 31,42.67		पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 20.00 लाख का प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.796.105.0701.1944- चिकित्सा महाविद्यालय में बायरोलॉजी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,05.00 (-) 1,36.00	2,69.00	2.49	(-) 2,66.51	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,36.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.796.105.0701.2064- ठरटियरी केयर केंसर, ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-) 5,00.00	25,00.00	1,53.35	(-) 23,46.65	₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.796.105.0701.5388- अलाइक हेल्थ सेंटर	मूल पूरक	8,00.00 8,44.00	16,44.00	3,82.45	(-) 12,61.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-03.796.105.0701.6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल पूरक	11,40.00 5,00.00	16,40.00	97.31	(-) 15,42.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-03.796.105.0102.7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-) 32,00.00	8,00.00	7,55.00	(-) 45.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 32,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आक्रियकता निधि से अग्रिम के प्रस्ताव पर दिए गए परामर्श अनुसार विशेष परिस्थिति में आन्तरिक पुनर्विनियोजन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.796.105.0101.6335- चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	44,00.00 (-) 25,00.00	19,00.00	11,70.42	(-) 7,29.58	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम के प्रस्ताव पर दिए गए परामर्श अनुसार विशेष परिस्थिति में आन्तरिक पुनर्विनियोजन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.796.105.0101.6591- जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,00.01 (-) 5,00.00	0.01	0.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम के प्रस्ताव पर दिए गए परामर्श अनुसार विशेष परिस्थिति में आन्तरिक पुनर्विनियोजन की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.796.800.0103.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-03.796.800.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	16,00.00 (-) 16,00.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 16,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत 1000 बिस्तर अस्पताल ग्वालियर के लंबित देयकों की भुगतान एवं वित्त विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से अग्रिम के प्रस्ताव पर दिए गए परामर्श अनुसार विशेष परिस्थिति में आन्तरिक पुनर्विनियोजन की व्यवस्था के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा समाप्त

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.796.105.0102.5402- छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि. 0.01 33,73.97	33,73.98	24,90.00 (-) 8,83.98	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 33,73.97 लाख की आवर्धन मोवलाईजेशन अग्रिम तथा अरकाप संस्थान के लंबित स्वत्वों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-03.796.105.0101.5402- छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि. 0.01 36,79.79	36,79.80	24,38.22 (-) 12,41.58	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 36,79.79 लाख की आवर्धन मोवलाईजेशन अग्रिम तथा अरकाप संस्थान के लंबित स्वत्वों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4210-03.796.105.0101.7158- चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि. 15,00.00 10,00.00	25,00.00	24,98.61 (-) 1.39	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन लंबित जिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

**अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,69,38,66,36			
पूरक	0	2,69,38,66,36	1,94,96,01,84	(-) 74,42,64,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				27,14,77,67

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,36,80,01			
पूरक	0	1,36,80,01	32,94,40	(-) 1,03,85,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				61,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र ग्यारह प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 74,42,64.52 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 27,14,77.67 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.789.196.0103.8403-पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन / मानदेय	मूल	8,87,32.27	8,87,32.27	3,68,60.74	(-) 5,18,71.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.789.196.0102.8403-पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन / मानदेय	मूल	13,30,98.40	13,30,98.40	8,37,41.50	(-) 4,93,56.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.789.196.0101.8403-पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन / मानदेय	मूल	33,27,46.00	33,27,46.00	21,18,69.17	(-) 12,08,76.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-03.789.198.0703.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	15,00,00.00 (-) 7,18,48.66	7,81,51.34	7,81,51.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 7,18,48.66 लाख का प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-03.789.198.0702.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	15,00,00.00 (-) 3,76,57.43	11,23,42.57	11,23,42.57	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,76,57.43 लाख का प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.789.198.0701.5198-प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	36,00,00.00 (-) 6,20,47.96	29,79,52.04	29,79,52.04 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,20,47.96 लाख का प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-789.196.0103.2806-फल पौध रोपण हेतु अनुदान	मूल	3,98.26	3,98.26	18.41 (-) 3,79.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2501-06.789.198.0101.2372-रेडी-टू-ईट टेकहोम राशन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-) 3,20.00	80.00	0.00 (-) 80.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना प्रभारी से मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-789.198.8393-पंचायत गजट	मूल	81.84	81.84	0.00 (-) 81.84	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-789.198.0801.0656-किचन शेड डिवाइजेज	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 10,00.00	0.00	0.00 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
2515-789.198.0103.5463-युवा शक्ति योजना	मूल	48.00	48.00	0.00 (-) 48.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-789.198.0103.6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	मूल	1,90.96	1,90.96	3.69 (-) 1,87.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-789.198.0102.5463-युवा शक्ति योजना	मूल	72.00	72.00	0.00 (-) 72.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-789.198.0102.6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	मूल	2,72.79	2,72.79	3.69	(-) 2,69.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-789.198.0101.1221-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	27,13,95.70	27,13,95.70	22,67,82.76	(-) 4,46,12.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-789.198.0101.5463-युवा शक्ति योजना	मूल	1,80.00	1,80.00	0.00	(-) 1,80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-789.198.0101.6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	मूल	9,09.31	9,09.31	11.06	(-) 8,98.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0103.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल	41,11.61	41,11.61	0.00	(-) 41,11.61	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0103.6087-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुरक्षण हेतु अनुदान	मूल	1,60.00	1,60.00	0.00	(-) 1,60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0102.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल	53,96.13	53,96.13	0.00	(-) 53,96.13	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0102.6087-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुरक्षण हेतु अनुदान	मूल	2,10.00	2,10.00	0.00	(-) 2,10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0101.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल	1,61,88.24	1,61,88.24	0.00	(-) 1,61,88.24	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0101.6087-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुरक्षण हेतु अनुदान	मूल	6,30.00	6,30.00	0.00	(-) 6,30.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3604-789.198.0101.6602-स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	मूल	63.00	63.00	0.00	(-) 63.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.198.0101.7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल	7,96,38.07	7,96,38.07	1,65,32.76	(-) 6,31,05.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.789.198.0101.9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	मूल पुनर्वि.	1,20,82.80 1,22,71.00	2,43,53.80	2,43,53.80	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,22,71.00 लाख की आवर्धन अंशतः बजट कम प्राप्त होने एवं पेशन हितग्राहियों में वृद्धि होने के कारण हुई।
2501-06.789.198.0703.6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	48,00.00 24,80.00	72,80.00	72,80.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 24,80.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण हुई।
2501-06.789.198.0702.6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	69,00.00 35,65.00	1,04,65.00	1,04,65.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 35,65.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण हुई।
2501-06.789.198.0701.6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	1,83,00.00 94,55.00	2,77,55.00	2,77,55.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 94,55.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.789.198.0103.5127-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (राज्य)	मूल पुनर्वि. 0.01 4,12.94	4,12.95	4,12.95 0.00	₹ 4,12.94 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 9,63.56 लाख की कमी (समर्पण के रूप में) एवं ₹ 13,76.50 लाख की वृद्धि (पुनर्विनियोजन के रूप में) का निवल प्रभाव की कमी वित्त विभाग द्वारा आहरण की अनुमति नहीं प्राप्त होने के कारण हुई जबकि वृद्धि राज्य स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण हुई।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 1,03,85.61 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 61,00.00 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-60.789.800.0103.7393-विमुक्त जाति छात्रावास	मूल 3,30.00	3,30.00	4.47 (-) 3,25.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-789.198.0701.6099-मध्यान्ह भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि. 61,00.00 (-) 61,00.00	0.00	0.00 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 61,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
4515-789.800.0422.6084-मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क एवं अवसंरचना योजना	मूल 30,00.00	30,00.00	15,75.78 (-) 14,24.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4515-789.800.0103.6084-मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क एवं अवसंरचना योजना	मूल 42,50.00	42,50.00	17,14.15 (-) 25,35.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,60,92,16			
पूरक	0	1,60,92,16	1,51,36,94	(-) 9,55,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,55,22

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र उन्नीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 9,55.22 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्तातः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2415-01.120.0715- जगहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना	मूल पुनर्वि. 29,80.72 (-) 5,96.14	23,84.58	23,84.58 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,96.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2415-01.120.0101.5664- राजमाता विजयराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना	मूल पुनर्वि. 28,95.84 (-) 3,09.18	25,86.66	25,86.66 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,09.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	51,62,03,57			
पूरक	95,01,10	52,57,04,67	45,89,34,31	(-) 6,67,70,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				7,18,22,24

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00			
पूरक	0	15,00	2,70	(-) 12,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				12,30

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,30,52,08			
पूरक	0	1,30,52,08	69,99,42	(-) 60,52,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				59,32,90

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सत्तर प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्य मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 95,01.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2020 को किया गया ₹ 7,18,22.24 का अभ्यर्पण ₹ 6,67,70.37 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (3) समर्पण स्वीकृति क्रमांक व.ओ.एन.-145/269/ब-5/2020 दिनांक 18.05.2020, राशि ₹ 2,50,00.000 लेखे में शामिल नहीं की गई, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2019–20 के पश्चात् जारी की गई थी।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.5508-महिला बाल विकास के भवनों का रख—रखाव	मूल पुनर्वि. 4,09.19 (-) 3,35.87	73.32	62.00 (-) 11.32	समर्पण के रूप में ₹ 3,35.87 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा निधियों के व्यय पर लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.001.9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	मूल पुनर्वि. 1,25,49.48 (-) 17,50.69	1,07,98.79	1,07,86.57 (-) 12.22	₹ 17,50.69 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 17,54.19 लाख की कमी समर्पण के रूप में एवं ₹ 3.50 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन के रूप में का निवल प्रभाव थी। कमी कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.1201.1291 - आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ई-स्निप) / एन.एन.एम.	मूल पूरक पुनर्वि.	1,85,94.88 89,08.65 (-) 1,66,36.78	1,08,66.75	1,09,50.26	+ 83.51	समर्पण के रूप में ₹ 1,66,36.78 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.102.0701.0851- राष्ट्रीय झूलाघर योजना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-) 2,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.102.0103.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	2,72.79 (-) 1,20.91	1,51.88	1,51.88	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,20.91 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.102.0102.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	3,18.26 (-) 1,69.82	1,48.44	1,48.44	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,69.82 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.102.0101.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	18,18.62 (-) 8,07.10	10,11.52	10,15.61	+ 4.09	समर्पण के रूप में ₹ 8,07.10 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	3,18.20 (-) 2,36.48	81.72	81.72	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,36.48 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0701.2367- महिला शक्ति केन्द्र	मूल पुनर्वि.	18,55.14 (-) 18,35.04	20.10	20.10	0.00	₹ 18,35.04 लाख (समर्पण ₹ 16.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,00.00 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2235-02.103.0701.2375- सेफ सिटी कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	1,74.50 (-) 1,74.50	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,74.50 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0701.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पूरक पुनर्वि.	40,66.52 5,89.68 (-) 18,13.25	28,42.95	28,42.97	+ 0.02	₹ 18,13.25 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 18,27.25 लाख की कमी समर्पण के रूप में एवं ₹ 14.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन के रूप का निवल प्रभाव थी। कमी कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधान कम होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.6917- प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई)	मूल पुनर्वि.	1,76,25.00 (-) 51,16.15	1,25,08.85	1,25,10.40	+ 1.55	समर्पण के रूप में ₹ 51,16.15 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0102.5033- जबाली योजना	मूल पुनर्वि.	1,81.86 (-) 1,81.86	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,81.86 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0103.5067- लाड़ली लक्ष्मी योजना	मूल पुनर्वि.	1,26,99.24 (-) 26,41.42	1,00,57.82	1,00,57.82	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 26,41.42 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई।
2235-02.103.0102.5067- लाड़ली लक्ष्मी योजना	मूल पुनर्वि.	1,85,85.33 (-) 49,12.82	1,36,72.51	1,36,72.22	(-) 0.29	समर्पण के रूप में ₹ 49,12.82 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0101.5067- लाड़ली लक्ष्मी योजना	मूल पुनर्वि.	6,08,92.03 (-) 1,27,02.22	4,81,89.81	4,81,63.47	(-) 26.34	₹ 1,27,02.22 लाख (समर्पण ₹ 1,26,98.63 लाख + पुनर्विभिन्नोजन ₹ 3.59 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा निधियों के व्यय पर लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने (₹ 1,26,98.63 लाख) एवं संभावित बचत आवश्यकता से अधिक प्रावधान के कारण (₹ 3.59 लाख) के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0703.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	2,36.56 (-) 1,57.18	79.38	79.38	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,57.18 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0701.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	33,11.25 (-) 8,27.48	24,83.77	24,83.76	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 8,27.48 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

(5) उपरोक्त टिप्पणी (4) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.1326- स्वाधार गृह	मूल पुनर्वि.	1,50.00 + 90.87	2,40.87	2,40.87	0.00	₹ 90.87 लाख का निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,09.13 लाख की कमी समर्पण के रूप में एवं ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन के रूप में का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि का विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(6) 31 मार्च 2020 को सम्पूर्ण विनियोग ₹ 12.30 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.9041- महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	13.00 (-)10.30	2.70	2.70	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 10.30 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगतः

दत्तमत

(8) ₹ 60,52.66 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 59,32.90 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.1501.7449- सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	13,52.00 (-) 13,52.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13,52.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.102.0701.0658- ऑँगनबाड़ी सेवायें	मूल पुनर्वि.	51,00.00 (-) 19,17.10	31,82.90	31,82.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 19,17.10 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.102.0101.5360- ऑँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-) 23,63.72	36,36.28	35,16.52	(-) 1,19.76	समर्पण के रूप में ₹ 23,63.72 लाख की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4235-02.800.0701.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-) 1,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कोरोना वायरस के कारण वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से छूट प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56— कुटीर एवं ग्रामोद्योग

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,68,07,17			
पूरक	0	1,68,07,17	1,21,26,94	(-) 46,80,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				13,82

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60			
पूरक	0	60	0	(-) 60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,01,60			
पूरक	0	2,01,60	32,74	(-) 1,68,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 56— कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सैंतीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 46,80.23 लाख की उपलब्ध के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 13.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.0101.4787-हथकरघा संचालनालय के अधीनस्थ प्रशासनिक एवं सभागीय अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	47.89 (-) 25.00	22.89	4.33	(-) 18.56	₹ 25.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) इस योजना को '2542' योजना में शामिल किये जाने के कारण हुई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-103.0101.6794-उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	मूल	24.66	24.66	0.00	(-) 24.66	पुनर्विनियोजन प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
2851-104.0101.5491-प्रमोशन अभिलेखीकरण एवं ब्रान्ड बिल्डिंग	मूल	9,80.00	9,80.00	5,48.80	(-) 4,31.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-107.3778-रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन	मूल	31,03.53	31,03.53	24,42.90	(-) 6,60.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई है।
2851-107.0103.6778-एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	2,27.34	2,27.34	8.05	(-) 2,19.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-107.0102.2731-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	मूल	68.34	68.34	25.24	(-) 43.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-107.0102.3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल	2,27.77	2,27.77	89.72	(-) 1,38.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई है।

अनुदान संख्या 56— कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2851-107.0102.5146- टशर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल	5,18.28	5,18.28	1,87.63	(-) 3,30.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई है।
2851-107.0102.6778- एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	2,45.52	2,45.52	39.03	(-) 2,06.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-107.0101.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	12,94.14 (-) 13.82	12,80.32	7,27.31	(-) 5,53.01	समर्पण के रूप में ₹ 13.82 लाख की प्रत्याशित बचत राशि मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई है।
2851-107.0101.5146- टशर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल	1,82.84	1,82.84	94.82	(-) 88.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2851-107.0101.6778- एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल पुनर्वि.	6,18.34 (-) 20.00	5,98.34	1,03.80	(-) 4,94.54	₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई है।
2851-107.0101.6794- उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	मूल	1,36.40	1,36.40	8.40	(-) 1,28.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(1) ₹ 60.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(4) ₹ 1,68.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 56— कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्ष के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0103.3777- रेशम उद्योग विकास कार्य	मूल	61.60	61.60	2.18	(-) 59.42 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाइ सुविधाएँ एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल	1,40.00	1,40.00	30.56	(-) 1,09.44 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

**अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय)

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

उचंत लेन—देन:-

इस अनुदान के पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत) में “उचंत” शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। “उचंत” के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई है।

2019–20 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया हैः—

विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—				
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	0.00	0.00	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	0.00	0.00	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	0.00	0.00	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	0.00	0.00	+ 18,36.64

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,82,98,27			
पूरक	1,33,85,00,00	1,57,67,98,27	60,25,34,38	(-) 97,42,63,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				39,06

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,80,00			
पूरक	0	1,80,00	77,66	(-) 1,02,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,34

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 97,42,63.89 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया, ₹ 1,33,85,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 97,42,63.89 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 39.06 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

[अ] बचत

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-01.101.6422- सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	4,54,65.55 (-) 3,98,75.00	55,90.55	51,14.79	(-) 4,75.76	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,98,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखा नहीं पड़ने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2245-01.102.6434- ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल परिवहन	मूल पुनर्वि.	10,00.24 (-) 5,00.00	5,00.24	1,40.89	(-) 3,59.35	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन हेतु आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-02.101.2018- बाढ़ तथा अतिदृष्टि पीड़ितों को राहत	मूल पूरक पुनर्वि.	58,92.34 57,00,00.00 12,65,00.00	70,23,92.34	22,89,59.85	(-) 47,34,32.49	₹ 12,65,00.00 लाख की निधियों का आवधन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,49,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,84,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राज्य में भारी बारिश के कारण अत्यधित नुकसान के कारण हुई। ₹ 2,84,00.00 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-05.101.0475- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चि मार्जिन धन निधि अकाल राहत निधि	मूल पूरक पुनर्वि.	10,66,00.00 10,65,00.00 (-) 10,65,00.00	10,66,00.00	10,66,00.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10,65,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत राशि उपयोग नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.103.6949- राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि	मूल	7,32.02	7,32.02	0.00	(-) 7,32.02	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.103.7024- राष्ट्रीय आक्रिमिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि	मूल पुनर्वि.	3,34,00.00 66,00,00.00	69,34,00.00	20,46,14.00	(-) 48,87,86.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2245-80.800.7021- पाला से क्षति पर राहत सहायता	मूल पुनर्वि.	1,59,68.97 (-) 1,50,00.00	9,68.97	6,81.60	(-) 2,87.37	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,50,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कीट प्रकोप से फसलों की क्षति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

[ब] आधिक्य

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-02.101.0747- ओला पीडितों को राहत	मूल पुनर्वि.	90,93.11 1,34,00.00	2,24,93.11	1,33,51.54	(-) 91,41.57	₹ 1,34,00.00 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,84,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 50,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः ओला पीडितों को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी ओला से क्षति नहीं होने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.102.6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल पुनर्वि.	4,54.66 91,00.00	95,54.66	93,80.20	(-) 1,74.46	₹ 91,00.00 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93,00.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी राहत सामग्री की क्रय नहीं करने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.800.5504- राजस्व पुस्तक 6–4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	1,00,02.42 83,75.00	1,83,77.42	1,82,66.00	(-) 1,11.42	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83,75.00 लाख की निधियों का आवर्धन अंशतः राजस्व पुस्तक (6–4) के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता प्रदाय करने के कारण हुई (₹ 16,75.00 लाख)। शेष प्रत्याशित (₹ 67,00.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2245-80.800.6097- सर्पदंश पर आर्थिक सहायता	मूल पूरक पुनर्वि.	40,00.00 20,00.00 49,75.00	1,09,75.00	1,08,82.71	(-) 92.29	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,75.00 लाख की निधियों का आवर्धन सर्पदंश पीड़ीतों को राहत सहायता देने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2245-80.800.7249- कीट प्रकोप से क्षति	मूल पुनर्वि.	3,60.13 5,25.00	8,85.13	8,52.69	(-) 32.44	₹ 5,25.00 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,25.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,00.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कीट प्रकोप से फसल क्षति होने पर राहत देने के कारण हुई, जबकि कमी कीट प्रकोप से फसल क्षति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(5) अकाल राहत निधि	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)
2245-05-101-0474- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि	0.01	0.00	(-) 0.01
<p>यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्भित की गई है। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।</p>			
<p>वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोर्चन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोर्चन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।</p>			

31 मार्च 2019 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :- (₹ लाख में)				
विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-अकाल राहत निधि	(-) 5,92.81	0.00	0.00	(-) 5,92.81
(2) 102-अकाल राहत निधि— निवेश लेखा	(-) 5.34	5.34	0.00	0.00
कुल	(-) 5,98.15	5.34	0.00	(-) 5,92.81
<p>निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2019-20 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।</p>				

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(6) राज्य आपदा मोचन निधि:-

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2019-20 हेतु निधि का अंशदान ₹ 10,66,00.00 लाख निश्चित किया गया, जिसका 5 प्रतिशत (₹ 7,99,50.00 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-07-वित्त मंत्रालय अनुदान-104-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (₹ 2,66.50 लाख) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता हैं और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ-122-भारत की राज्य आपदा राहत निधि" में अंतिम शेष ₹ 1,02,46.44 लाख था। यह राशि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा निधि में मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों—111—आपदा राहत निधि से अंतरित की गई है। क्योंकि आपदा राहत निधि—14 दिसम्बर 2010 से अस्तित्व में नहीं है। म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य शेषों के प्रभाजन के फलस्वरूप मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियाँ-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अन्तर्गत म.प्र. का 1 अप्रैल 2019 को ₹ 75,18.84 लाख (क्रेडिट) का शेष था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखचित मार्जिन मुद्रा निधि-अकाल राहत निधि" में ₹ 10,66,00.00 एवं ₹ 75,19.00 लाख एवं मुख्य शीर्ष 2245—80—103—7024 को ₹ 17,12,14.00 लाख एवं ₹ 3,34,00.00 लाख नामे कर, मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों—122—राज्य आपदा मोचन निधि में ₹ 31,12,14.00 लाख की राशि जमा की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹ 31,87,32.84 लाख का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2020 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कोई जमा राशि नहीं था। जबकि निधि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण—पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध—वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज अदायगी— 05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2019-20 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय समाप्त

पूँजीगत:

(7) ₹ 1,02.34 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 2.34 लाख अभ्यर्पित की गई।

(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6245-01.800.2750- प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,00,00.00			
पूरक	0	14,00,00.00	11,25,33,60	(-) 2,74,66,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,74,66,40

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

पूंजीगत:

- (1) ₹ 2,74,66.40 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4515-800.1201.0654- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (वाहन वित्त पोषित)	मूल पुनर्वि.	8,30,00.00 (-) 2,39,10.40	5,90,89.60	5,90,89.60 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,39,10.40 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग आहरण की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	44,65,00			
पूरक	0	44,65,00	41,63,89	(-) 3,01,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,75,22

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,87,58,33			
पूरक	10,00,00	2,97,58,33	2,41,14,20	(-) 56,44,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				41,09,21

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 3,01.11 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2020 को ₹ 3,75.22 लाख का अभ्यर्पण आधिक्य एवं अवास्तविक था।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0103.5272- विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि. 5,89.05 (-) 1,09.29	4,79.76	4,99.48 19.72	₹ 1,09.29 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,03.45 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.84 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0102.5272- विधायक स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	7,96.95 (-) 1,97.13	5,99.82	6,87.82	88.00	₹ 1,97.13 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,09.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 88.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2515-800.1954- सांसद स्वेच्छानुसार निधि से आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 1,13.11	8,86.89	9,30.46	43.57	समर्पण के रूप में ₹ 1,13.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

- (3) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 56,44.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को केवल ₹ 41,09.21 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-101.0101.8284- म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,56,41.00 (-) 34,61.91	2,21,79.09	2,16,47.29	(-) 5,31.80	₹ 34,61.91 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4515-103.0103.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पूरक पुनर्वि.	4,01.33 1,60.00 (-) 69.29	4,92.04	3,15.82	(-) 1,76.22	समर्पण के रूप में ₹ 69.29 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4515-103.0102.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पूरक पुनर्वि.	5,42.97 2,40.00 (-) 65.43	7,17.54	4,98.37	(-) 2,19.17	समर्पण के रूप में ₹ 65.43 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0101.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पूरक पुनर्वि.	14,16.45 6,00.00 (-) 2,28.54	17,87.91	11,87.94	(-) 5,99.97	समर्पण के रूप में ₹ 2,28.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-800.0101.5775- विन्ध्य विकास प्राधिकरण	मूल पुनर्वि.	2,13.56 (-) 1,11.36	1,02.20	1,02.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,11.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली पालन, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2700-मुख्य सिंचाई, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,73,08			
पूरक	0	2,73,08	1,70,68	(-) 1,02,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				7

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पच्चीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 1,02.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 0.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-800.0701.6078- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास	मूल 2,73.00	2,73.00	1,70.68	(-) 1,02.32 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 0.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2020 को ₹ 0.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 62—पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,11,40,77			
पूरक	0	2,11,40,77	1,83,16,84	(-) 28,23,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	72			
पूरक	0	72	0	(-) 72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 28,23.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.2468- पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था	मूल	1,11.86	1,11.86	69.38	(-) 42.48
2515-101.2474- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	मूल	2,03,30.58	2,03,30.58	1,77,37.77	(-) 25,92.81

अनुदान संख्या 62—पंचायत समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.0101.2467- पंचायत संचालनालय	मूल	6,48.32	6,48.32	4,69.68	(-) 1,78.64

प्रभारित

- (3) सम्पूर्ण विनियोग ₹ 0.72 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्प संख्यकों का कल्याण, 4225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	27,23,68			
पूरक	0	27,23,68	12,67,10	(-) 14,56,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,00,00			
पूरक	0	6,00,00	0	(-) 6,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 14,56.58 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.9411- चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल 1,00.00	1,00.00	24.00 (-) 76.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-03.800.9413- वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	मूल 1,90.60	1,90.60	78.21 (-) 1,12.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.0801.2082-अल्प संख्यकों को मदरसा /शिक्षा प्रदान करना	मूल	4,50.00	4,50.00	0.00	(-) 4,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 216–17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.5180-बेरोजगार युवक—युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	मूल	4,54.66	4,54.66	2.80	(-) 4,51.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-03.800.0101.6626-अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	मूल	46.38	46.38	0.00	(-) 46.38	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.7237-मध्यप्रदेश हज कमटी को हज हाउस के निर्माण हेतु अनुदान	मूल	1,02.10	1,02.10	0.00	(-) 1,02.10	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2225-03.800.0101.7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल	40.00	40.00	10.39	(-) 29.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (3) सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 6,00.00 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0801.5617-अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-) 6,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6217-शहरी विकास के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	74,76,11,85			
पूरक	3,83,56,60	78,59,68,45	63,92,97,97	(-) 14,66,70,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				21,09,41

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,02,17,00			
पूरक	0	6,02,17,00	5,81,59,38	(-) 20,57,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	57,17,30			
पूरक	0	57,17,30	35,42,00	(-) 21,75,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र तीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 3,83,56.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 14,66,70.48 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2020 को ₹ 21,09.41 लाख अभ्यर्पित किये गये हैं।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.789.191.0103.2669- नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल 23,42.35	23,42.35	8,97.08 (-) 14,45.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2202-02.789.191.0102.2669- नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल 35,13.52	35,13.52	12,23.24 (-) 22,90.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.789.191.1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल 1,69,25.28	1,69,25.28	0.00 (-) 1,69,25.28	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.789.191.0801.1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	पूरक	1,77,48.00	1,77,48.00 0.00 (-) 1,77,48.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.789.191.0102.7357- झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास	मूल 10,91.17	10,91.17	2,18.23 (-) 8,72.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.789.192.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल	95,50.71	95,50.71	0.00	(-) 95,50.71	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.789.192.0801.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	पूरक	1,09,81.00	1,09,81.00	0.00	(-) 1,09,81.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.789.193.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	मूल	76,88.15	76,88.15	0.00	(-) 76,88.15	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.789.193.0801.1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	पूरक	88,40.00	88,40.00	0.00	(-) 88,40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-789.191.6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-789.191.6063-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3604-789.191.7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल	2,20,00.00	2,20,00.00	1,63,47.84	(-) 56,52.16 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.191.8017-वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सङ्क मरम्मत के लिए अनुदान	मूल	1,03,88.08	1,03,88.08	75,52.09	(-) 28,35.99 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.191.8860-वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी प्रतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण	मूल	4,11,00.00	4,11,00.00	2,63,66.04	(-) 1,47,33.96 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.192.6602-स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	मूल	3,00.00	3,00.00	1,18.80	(-) 1,81.20 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.192.8017-वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सङ्क मरम्मत के लिए अनुदान	मूल	74,24.96	74,24.96	49,33.94	(-) 24,91.02 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.192.8860-वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी प्रतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	1,96,93.43	(-) 1,03,06.57 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.193.8860-वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी प्रतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण	मूल	2,03,82.00	2,03,82.00	1,41,37.17	(-) 62,44.83 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
3604-789.193.8017-वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सङ्क मरम्मत के लिए अनुदान	मूल	50,32.97	50,32.97	33,59.99	(-) 16,72.98 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

प्रभारित

(4) ₹ 20,57.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 21,75.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्थित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6217-60.789.191.1203.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायमेंट सेक्टर प्रोग्राम (के. एफ. डब्ल्यू)	मूल 22,50.00	22,50.00	11,25.00 (-) 11,25.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6217-60.789.192.1203.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायमेंट सेक्टर प्रोग्राम (के. एफ. डब्ल्यू)	मूल 20,00.00	20,00.00	10,00.00 (-) 10,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
6217-60.789.193.1203.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायमेंट सेक्टर प्रोग्राम (के. एफ. डब्ल्यू)	मूल 1,00.00	1,00.00	50.00 (-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	37,24,45			
पूरक	0	37,24,45	22,39,73	(-) 14,84,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	70,50,01			
पूरक	0	70,50,01	4,44,60	(-) 66,05,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पंद्रह प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 14,84.72 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय	मूल	32,24.44	32,24.44	13,51.18	(-) 18,73.26

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 65—विमानन समाप्त

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति—संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3053-80.003.0101.0689- क्षेत्रीय संयोजन (रीजनल कनेक्टिविटी)	मूल 5,00.00	5,00.00	8,88.54 + 3,88.54	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगतः

(4) ₹ 66,05.41 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(5) प्रावधान मे बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अद्योसर्चना एवं विमानपतन का विकास	मूल 50.00	50.00	0.00 (-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)
5053-80.800.0101.6592- नये जेट विमान का क्रय	मूल 70,00.00	70,00.00	4,44.60 (-) 65,55.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)

**अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,61,79,81			
पूरक	1,06,00,00	8,67,79,81	8,37,64,90	(-) 30,14,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	26,74,02			
पूरक	0	26,74,02	3,77,61	(-) 22,96,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा सौ प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 30,14.91 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 1,06,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 30,14.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किये गये हैं।
- (3) हालांकि संपूर्ण बचत कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय विविधताएं पाई गईं:

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.6384- पहचान पत्र का प्रदाय	मूल पुनर्जि.	24.00 (-) 19.20	4.80 0.00 (-) 4.80	₹ 19.20 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। ₹ 4.80 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 66—पिछळा वर्ग कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0801.2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	92,40.00	92,40.00	91,55.02	(-) 84.98	₹ 84.98 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।
2225-03.277.0101.0496-आश्रम और छात्रावास	मूल पुनर्वि.	8,42.65 17.00	8,59.65	4,76.61	(-) 3,83.04	₹ 17.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19, 2017-18 एवं 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी। ₹ 3,83.04 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।
2225-03.277.0101.2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पूरक	4,19,00.00 81,00.00	5,00,00.00	4,93,43.22	(-) 6,56.78	₹ 6,56.78 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।
2225-03.277.0101.5181-उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	मूल पूरक	8,00.00 5,00.00	13,00.00	12,76.14	(-) 23.86	₹ 23.86 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।
2225-03.277.0101.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल	6,00.00	6,00.00	4,41.14	(-) 1,58.86	₹ 1,58.86 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।
2225-03.277.0101.7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल	40.00	40.00	13.41	(-) 26.59	₹ 26.59 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 66—पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

पूंजीगत:

- (4) ₹ 22,96.41 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5512- जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण	मूल 5,70.00	5,70.00	25.35 (-) 5,44.65	₹ 5,44.65 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।
4225-03.800.0701.6889- जिला स्तरीय कन्या छात्रावासों का भवन निर्माण	मूल 21,00.00	21,00.00	3,52.26 (-) 17,47.74	₹ 17,47.74 लाख की बचत कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन के कारण लगातार सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,70,88,95			
पूरक	0	6,70,88,95	4,59,72,40	(-) 2,11,16,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00,00			
पूरक	0	3,00,00	2,35,98	(-) 64,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,72,30,03			
पूरक	50,00,00	2,22,30,03	1,38,99,35	(-) 83,30,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,11,16.55 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) समर्पण स्वीकृति आदेश क्र. आर-174/8/19/2010/117, भोपाल दिनांक 06.06.2020, राशि ₹ 70,33,11,956 एवं स्वीकृति आदेश क्र. आर-174/8/19/2010/118, भोपाल दिनांक 06.06.2020, राशि ₹ 71,59,08,000 लेखे में शामिल नहीं की गई, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2019–20 के पश्चात् जारी की गई थी।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.0183-अन्य अनुरक्षण कार्य	मूल	81,83.80	81,83.80	62,02.14	(-) 19,81.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-01.053.3383-विशेष मरम्मत—भवन	मूल	13,63.97	13,63.97	5,62.98	(-) 8,00.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.001.2418-निष्पादन	मूल	2,64,08.49	2,64,08.49	1,85,92.87	(-) 78,15.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.001.7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	80,59.04	80,59.04	59,19.24	(-) 21,39.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.052.7091-विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना	मूल	43,64.56	43,64.56	2,41.16	(-) 41,23.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2216-05.053.1316-एफ टाइप एवं उससे नीचे की रोगी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	मूल	90,93.11	90,93.11	68,49.47	(-) 22,43.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उचंत लेन-देन :-

इस अनुदान के व्यय में 2059—लोक निर्माण ‘उचंत’ शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ₹ निरंक की राशि सम्मिलित है। ‘उचंत’ के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (5) में की गई हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान इस अनुदान में विभिन्न ‘उचंत’ उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित ‘उचंत’ लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

विवरण	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2020 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059-लोक निर्माण कार्य				(लाख ₹ में)
(i) क्रय	(-) 62,89.91	0.00	0.00	(-) 62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,86.48	0.00	0.00	+ 24,86.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,47,81.38	0.00	0.00	+1,47,81.38
योग	+ 1,09,77.95	0.00	0.00	+1,09,77.95

प्रभारित

- (5) ₹ 64.02 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.800.1833-डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल 3,00.00	3,00.00	2,35.98	(-) 64.02 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 83,30.68 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.2348-इलेक्ट्रॉनिक गोटिंग मशीनों एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिए वेयर हाउस का निर्माण	मूल पूरक 80,00.00 50,00.00	1,30,00.00	1,12,88.00	(-) 17,12.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0103.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/ पुनर्स्थापना	मूल	1,20.00	1,20.00	11.57	(-) 1,08.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0102.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/ पुनर्स्थापना	मूल	2,40.00	2,40.00	81.78	(-) 1,58.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.1267- वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल	12,50.00	12,50.00	3,00.00	(-) 9,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.2374- वर्कशॉप का निर्माण	मूल	3,20.00	3,20.00	31.73	(-) 2,88.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.6739- महानिरीक्षक पंजीयक मुख्यालय भवन निर्माण	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-) 1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.7382- जिला/उप पंजीयक कार्यालय—भवन निर्माण/विस्तार	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-) 2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
4059-01.051.0101.8041- लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उप संभागीय कार्यालय	मूल	10,00.00	10,00.00	1,33.61	(-) 8,66.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0103.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	8,00.00	8,00.00	90.07	(-) 7,09.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0102.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	37.76	(-) 9,62.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0101.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	25,00.00	25,00.00	8,22.30	(-) 16,77.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 68—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2810- अपारंपरिक ऊर्जा के स्त्रोत)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,71,21,91			
पूरक	0	2,71,21,91	1,09,25,52	(-) 1,61,96,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र इककीस प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) 1,61,96.39 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-01.796.001.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	1,56.26	1,56.26	1,11.41	(-) 44.85 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-02.796.101.0101.7312- सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल	2,27.33	2,27.33	8.36	(-) 2,18.97 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-02.796.102.0413.0718- मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना	मूल	29,89.75	29,89.75	11,24.15	(-) 18,65.60 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2810-02.796.102.0412.0718- मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना	मूल	44,84.62	44,84.62	16,86.22	(-) 27,98.40 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2810-02.796.102.0410.0718- मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना	मूल	1,12,11.56	1,12,11.56	46,60.18	(-) 65,51.38 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 68—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2810-02.796.102.0101.0719- रूफटॉप योजना (शासकीय एवं अन्य संस्थाएँ)	मूल	28,64.69	28,64.69	10,31.29	(-) 18,33.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2810-60.796.600.0101.6759- अपरम्परागत ऊर्जा से संबंधित सर्वेक्षण कार्य	मूल	4,09.19	4,09.19	66.16	(-) 3,43.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2810-60.800.0101.5694- उद्योग संवर्धन नीति 2014	मूल	9,09.31	9,09.31	29.11	(-) 8,80.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-02.102.0103.0719- रूफटॉप योजना (शासकीय एवं अन्य संस्थाएँ)	मूल	7,63.92	7,63.92	4,03.35	(-) 3,60.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2810-02.102.0102.0719- रूफटॉप योजना (शासकीय एवं अन्य संस्थाएँ)	मूल	11,45.88	11,45.88	5,77.52	(-) 5,68.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2810-60.800.0101.1305- नवकरणीय ऊर्जा का म.प्र. में ब्राण्ड बिल्डिंग एवं प्रचार	मूल	2,27.33	2,27.33	5,00.00	(-) 1,77.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-60.800.0101.5683- उद्योग संवर्धन नीति में पूंजी अनुदान	मूल	4,54.66	4,54.66	1,65.00	(-) 2,89.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 69—विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति कल्याण
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	24,51,11			
पूरक	0	24,51,11	15,75,50	(-) 8,75,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,00,00			
पूरक	0	7,00,00	2,67,55	(-) 4,32,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र सत्तर प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 8,75.61 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.102.0103.9094- समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि. (-) 39.21	51.83 12.62 0.00 (-) 12.62		पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 39.21 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत विमुक्त घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति का सर्वे कार्य न होने के कारण हुई। ₹ 12.62 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 69—विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति कल्याण जारी

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.102.0101.9094-समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि. 31.83 (-) 24.83	7.00	0.00 (-) 7.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 24.83 लाख की प्रत्याशित बचत योजनात्तर्गत विमुक्त घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति का सर्वे कार्य न होने के कारण हुई। ₹ 7.00 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7393-विमुक्त जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि. 17,01.34 1,46.60	18,47.94	12,93.39 (-) 5,54.55	₹ 1,46.60 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अंशतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित राशि सितम्बर 2019 तक उपयोग होने से 140 छात्रावासों के लंबित विद्युत देयकों के भुगतान एवं माह अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 (₹ 76.38 लाख) तक के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधान कम होने के कारण हुई (₹ 70.22 लाख)। ₹ 5,54.55 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0103.4986-विमुक्त घुमककड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	मूल पुनर्वि. 62.74 (-) 43.92	18.82	0.00 (-) 18.82	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 43.92 लाख प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। ₹ 18.82 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0102.7168-विमुक्त जाति आवास योजना	मूल पुनर्वि.	24.00 (-) 2.36	21.64	0.00	(-) 21.64	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2.36 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। ₹ 21.64 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0102.7754-खेल-कूद / सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन	मूल	23.37	23.37	1.50	(-) 21.87	₹ 21.87 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई।
2225-01.800.0101.4986-विमुक्त घुमक्कड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	मूल पुनर्वि.	38.19 (-) 26.73	11.46	0.00	(-) 11.46	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 26.73 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। ₹ 11.46 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई।
2225-01.800.0101.7754-खेल-कूद / सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन	मूल	33.64	33.64	5.49	(-) 28.15	₹ 28.15 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई।

पूंजीगत:

- (3) ₹ 4,32.45 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7397-विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	3,00.00	3,00.00	1,36.57	(-) 1,63.43	₹ 1,63.43 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 69—विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जनजाति कल्याण समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0102.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	1,00.00	1,00.00	20.00	(-) 80.00 ₹ 80.00 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0101.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	3,00.00	3,00.00	1,10.98	(-) 1,89.02 ₹ 1,89.02 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से बचत राशि का समयावधि में समर्पण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018-19 एवं 2017-18 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 70—प्रवासी भारतीय

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—2852—उद्योग)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90.93			
पूरक	0	90.93	5.25	(-) 85.68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 85.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.1951- फ्रेन्ड्स ऑफ एम.पी. कॉनकलेव	मूल	90.93	90.93	(-) 85.68

बचत के कारण सूचित नहीं किये
गये हैं (अक्टूबर 2020)।

अनुदान संख्या 71—पर्यावरण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—2215—जल पूर्ति, सफाई, 2217—शहरी विकास तथा 4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	35,14,42			
पूरक	0	35,14,42	26,84,63	(-) 8,29,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	40,00			
पूरक	0	40,00	30,80	(-) 9,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा मात्र पचपन प्रतिशत राशि का अंक मिलान किया गया।

राजस्व:

- (1) ₹ 8,29.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-02.106.0101.8049- म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान	मूल 17,75.16	17,75.16	13,60.44	(-) 4,14.72

अनुदान संख्या 71—पर्यावरण समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.001.0101.5397-संजय गाँधी पर्यावरण मिशन	मूल	60.00	60.00	0.00	(-) 60.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.191.0101.2026-जलवायु परिवर्तन प्रबंधन मद	मूल	1,46.93	1,46.93	90.51	(-) 56.42 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)।
2217-05.191.0101.0513-इनवायरोमेन्टल रिसर्च एजूकेशन एण्ड ड्रेनिंग	मूल	5,91.05	5,91.05	4,66.09	(-) 1,24.96 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2020)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2018–19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(3) ₹ 9.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 72—आनंद

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2			
पूरक	0	2	0	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम (1)	बजट अनुमान (2)	वास्तविक आंकड़े (3)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-) (4)
			(हजार ₹ में)
01. सामान्य प्रशासन			
राजस्व—			
प्रभारित	30,00,00		(-) 30,00,00
10. वन—			
पूंजीगत—			
दरमत	5,00,00,00		(-) 5,00,00,00
12. ऊर्जा—			
पूंजीगत—			
दरमत	5,72,00,00		(-) 5,72,00,00
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
पूंजीगत—			
दरमत	2		(-) 2
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी—			
पूंजीगत—			
दरमत	7,74,90,00	2	(-) 7,74,89,98
23. जल संसाधन—			
राजस्व—			
दरमत	1,57,86,00	52,22	(-) 1,57,33,78
पूंजीगत—			
दरमत	29,48,00		(-) 29,48,00
24. लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल			
पूंजीगत—			
दरमत	1,10,00,00		(-) 1,10,00,00
25. खनिज साधन—			
राजस्व—			
दरमत	17,05,12		(-) 17,05,12
पूंजीगत—			
दरमत	8,50,00		(-) 8,50,00

परिशिष्ट—I—जारी

29. विधि और विधायी कार्य—			
राजस्व—			
दत्तमत	3,08,30,34		(-) 3,08,30,34
30. ग्रामीण विकास—			
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,27,50,00		(-) 1,27,50,00
33. जनजातीय कार्य			
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,50,00,00		(-) 1,50,00,00
48. नर्मदा घाटी विकास—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,71,31		(-) 4,71,31
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,46,21,92		(-) 2,46,21,92
52. चिकित्सा शिक्षा			
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,85,00,00		(-) 1,85,00,00
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
पूंजीगत—			
दत्तमत	30,00,00		(-) 30,00,00
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	10,66,00,00	31,87,32,84	+ 21,21,32,84
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,00,00,00		(-) 4,00,00,00

परिशिष्ट—I—समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	19,53,92,77	31,87,85,07	12,33,92,30
प्रभारित	30,00,00		(-)30,00,00
पूँजीगत—			
दत्तमत	27,33,59,94	2	(-) 27,33,59,92
महायोग			
राजस्व	19,83,92,77	31,87,85,07	12,03,92,30
पूँजीगत	27,33,59,94	2	(-) 27,33,59,92

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम (1)	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष (2)	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक (3)	किया गया व्यय जमा जमा में अंतरित राशि (4)	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि (5)
(लाख ₹ में)				
55— महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658- आंगनवाड़ी सेवायें	7,25,16.81	6,98,01.82	24,87.33
55— महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0702-0658- आंगनवाड़ी सेवायें	2,80.65.95	2,66,81.94	16,87.14
55— महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658- आंगनवाड़ी सेवायें	1,22,30.13	1,19,95.23	5,07.69
योग		11,28,12.89	10,84,78.99	46,82.16

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in